हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994

धाराओं का कम

धाराएंः

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागु होना और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

अध्याय–2

ग्राम सभा

3. सभा क्षेत्र की घोषणा।

4. ग्राम सभा की स्थापना।

5. सभा की बैठकें और गणपूर्ति।

5–क. कार्यसूची।

5–ख. महिला ग्राम सभा का गठन।

6. सदस्यों के नामांकन में त्रुटि या लोप से ग्राम सभा के कार्य या कार्यवाही का निष्फल न होना।

7. ग्राम सभा के कृत्य।

7–क. उप–ग्राम सभा का गठन।

अध्याय–3

ग्राम पंचायतें

8. ग्राम पंचायत का गठन।

9. ग्राम पंचायत की बैठकें।

10. पंचायत के रिकार्ड आदि, का रखा जाना।

11. ग्राम पंचायत के कृत्य ।

11–क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए अभिलेख का अनुरक्षण।

12. अधिक्रमण और न्यूसैन्स को दूर करने की शक्ति।

13. साधारण आदेश करने की शक्ति।

14. भवन परिनिर्माण पर नियन्त्रण।

15. पंचायत के विशेष या साधारण आदेश की अवज्ञा के लिए शास्ति।

16. कतिपय पदधारियों के अवचार की जांच और रिर्पोट करने की शक्ति।

17. कर और अन्य देय के संग्रहण के लिए संविदा की शक्ति ।

18. नशाबन्दी लागू करने की शक्ति।

19. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति।

20. मेलों और मण्डियों का प्रबन्ध करने की शक्ति।

21. जलमार्ग आदि के बारे में शक्ति।

22. मार्गों के नाम रखने और इमारतों पर नम्बर लगाने के बारे में शक्तियां ।

23. स्थायी समितियों का गठन और कृत्य।

24. संयुक्त समिति ।

25. पंचायत समिति की संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाले कार्य।

26. विद्यालयों, अस्पतालों या औषधालयों का अनुरक्षण और सुधार।

27. पंचायत के किसी समूह के लिए विद्यालयों अस्पतालों या औषधालयों की स्थापना।

28. सरकारी सेवकों की सहायता।

29. संस्थाओं आदि का प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति ।

अध्याय–4

ग्राम पंचायत के न्यायिक कृत्य और शक्तियां

30. कुछ मामलों में पंचों द्वारा भाग लेना वर्जित।

31. क्षेत्रीय अधिकारिता।

32. ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध।

33. शास्तियां।

34. न्यायालयों द्वारा संज्ञान नहीं।

35. कुछ मामलों में दाण्डिक कार्यवाहियों का ग्राम पंचायत को अन्तरण।

36. परिवाद का संक्षिप्त निपटारा।

37. परिवाद को वापिस करना।

38. ग्राम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न किया जाना।

39. अभियुक्त को प्रतिकर।

40. मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए मामलों की जांच।
41. अधिकारिता का विस्तार ।
42. पक्षकारों के करार द्वारा अधिकारिता का विस्तारण।
43. एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को मामले के अन्तरण के लिए आवेदन।
44. ग्राम पंचायत की अधिकारिता का अपवर्जन।
45. वाद में सम्पूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना।
46. परिसीमा ।
47. ग्राम पंचायत के विनिश्चय का प्रभाव।
48. हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 46 के अधीन कार्यवाही।
49. राजस्व कार्यवाहियों में प्रक्रिया।
50. पूर्व न्याय।
51. दोहरा जोखिम।
52. संमवर्ती अधिकारिता।
53. वादों और मामलों का संस्थित किया जाना।
54. परिवादों और आवेदनों के सार का लेखबद्ध किया जाना और न्यायपीठों की नियुक्ति।
55. वादों और मामलों में पक्षकारों की अनुपस्थिति।
56. ग्राम पंचायत अपने विनिश्चय को पुनरीक्षित या परिवर्तित नहीं करेगी।
57. किसी भी विधि व्यवसायी का हाजिर न होना।
58. व्यक्तिगत रूप में या प्रतिनिधि के द्वारा हाजरी।
59. समझौता।
60. सच्चाई अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्ति।
61. बहुमत का अभिभावी होना।
62. वादों आदि का खारिज किया जाना।
63. प्रतिवादी या अभियुक्त को समन।
64. अभियुक्त का हाजिर होने में असफल रहना।
65. साक्षियों को समन जारी करना।

66. ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में असफल रहने के लिए शास्तियां।

67. अपील।

68. ग्राम पंचायत की डिक्री या आदेश की अन्तिमता।

69. तुच्छ अपीलें।

70. डिक्री के संदाय या समायोजन का लेखबद्ध किया जाना।

71. डिक्रियों का निष्पादन।

72. जुर्माने की वसूली।

73. ग्राम पंचायत को संरक्षण।

74. ग्राम पंचायतों के प्रति पुलिस के कर्त्तव्य।

75. फीस और जुर्माने आदि के आगम।

76. ग्राम पंचायत द्वारा दोषसिद्धि का पूर्वदोषसिद्धि न होना।

अध्याय–5

पंचायत समिति

77. पंचायत समिति की स्थापना।

78. पंचायत समिति का गठन।

79. पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

80. बैठकें।

81. पंचायत समिति के कृत्य।

82. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का पंचायत समिति को सौंपना।

83. पंचायत समिति के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियां।

84. स्थायी समितियां।

85. स्थायी समितियों के कृत्य।

86. स्थायी समितियों की प्रक्रिया।

87. सलाहकार समितियां।

अध्याय–6

जिला परिषद्

88 जिला परिषद् का स्थापन।

89. जिला परिषद् का गठन।

90. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

91. जिला परिषद् की बैठकें।

92. जिला परिषद् के कृत्य।

93. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जिला परिषद् को सौंपना।

94. जिला परिषद् के कत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियां ।

95. स्थायी समितियां।

96. स्थायी समितियों के कृत्य।

97. समितियों की प्रक्रिया।

अध्याय 6—क

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से सम्वन्धित विशेष उपबन्ध

97—क. इस अध्याय का लागु होना।

97—ख. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम घोषणा।

97—ग. ग्राम सभा के कृत्य।

97—घ. पंचायतों में पदाधिकारियों के लिए स्थानों का आरक्षण।

97—ड. व्यक्तियों का नामनिर्देशन ।

97—च. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अर्जन ।

97—छ. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबन्धन ।

97—ज. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज ।

97—झ. ग्राम पंचायतों और पचायत समितियों की शक्तियां और कृत्य।

अध्याय—7

वित्त, कराधान और दावों की वसूली

98. पंचायतों के लिए वित्त आयोग ।

99. पंचायत निधि ।

100. ग्राम पंचायतों द्वारा करों, शुल्क, उपकर और फीस का उदग्रहण ।

101. सामुदायिक सेवा के लिए विशेष कर ।

102. कर का श्रम में रूपान्तरण।

103. स्थानीय रेट।

104. पंचायतों द्वारा करों का उद्ग्रहण।

105. करों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

106. करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति ।

107. पंचायतों को निधियों का अभ्यर्पण ।

108. पंचायतों को सहायता अनुदान।

109. स्थानीय रेट तथा स्टाम्प शुल्क का पंचायतों में संवितरण।

110. पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति।

111. राज्य सरकार कतिपय सम्पत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी।

112. स्थावर सम्पत्ति का अंतरण ।

113. संविदा निष्पादित करने का ढंग ।

114. अपवंचन के लिए शास्ति ।

115. बकाया की वसूली ।

116. कराधान के विरुद्ध अपील ।

117. बजट तथा वार्षिक लेखा ।

118. पंचायतों की संपरीक्षा ।

अध्याय–8

पंचायत के निगमन, कालावधि, प्रादेशिक, निर्वाचन क्षेत्रों और पदाधिकारियों की अर्हताओं आदि से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध

119. पंचायत का निगमन ।

120. पंचायत की कालावधि ।

121. मतदान करने और उम्मीदवार बनने के लिए अर्हताएं ।

121–क. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा ।

121–ख. लेखा दाखिल किया जाना ।

122 निरर्हताएं ।

123. एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन।

124. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र।

125. अध्यक्षों के लिए आरक्षण।

126. पंचायत के पदाधिकारियों के नाम का प्रकाशन।

127. निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान।

128. प्रथम बैठक और पदावधि।

129. अविश्वास प्रस्ताव।

130. पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र।

131. आकस्मिक रिक्तियां।

132. त्रुटि या अनियमितता से कार्यवाहियों का निष्फल न होना।

अध्याय–9

पंचायत के अधिकारी और कर्मचारीवृन्द

133. ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति।

134. पंचायत समिति और जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव की नियुक्ति।

135. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक।

136. सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति।

137. पंचायत के अभिलेखों तक पहुंच और निरीक्षण।

138. आदेशों आदि का निष्पादन निलम्बित करने की शक्ति।

139. कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों को निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति।

140. व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

141. पंचायत के कार्य–कलापों की जांच।

142. हानि, दुरूपयोजन आदि के लिए पदाधिकारियों का दायित्व।

143. पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद।

144. अभिलेख, वस्तुएं तथा धन वसूल करने की शक्ति।

145. पंचायत के पदाधिकारियों का निलम्बन।

146. पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना।

147. अभिलेख मंगवाने की शक्ति।

148. अपील और पुनरीक्षण।

अध्याय–10

शास्ति

149. निरर्हित किए जाने पर पंच, सदस्य, प्रधान, उप–प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसयित में कार्य करने के लिए शास्ति।

150. हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियां ।

151. किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति ।

152. अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध।

153. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध।

154. नोटिस को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध।

155. जानकारी न देने या मिथ्य जानकारी देने के लिए शास्ति।

156. बोली लगाने का प्रतिषेध।

157. किसी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रक्रिया।

158. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति में गड़बड़ करने के लिए शास्ति।

अध्याय–10–क

निर्वाचन अपराध

158–क. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना।

158–ख. निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध ।

158–ग. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव।

158–घ. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निबन्धन।

158–ङ. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।

158–च. निर्वाचन में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे ।

158–छ. मतदान केन्द्रों में या उन के निकट मत संयचना का प्रतिषेध।

158–ज. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति।

158–झ. मतदान केन्द्र के अवसर के अवचार के लिए शास्ति ।

158–ञ. मतदान करने के लिए प्रकिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

158–ट. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति।

158–ठ. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग।

158–ड. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति।

158–ढ. मतदान केन्द्र को या उसके समीप सशस्त्र होकर जाने का प्रतिषेध।

158–ण. मतदान केन्द्र, से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा।

158–त. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध।

158–थ. मतदान के दिन कर्मचारियों को संदाय सहित अवकाश दिन प्रदान किया जाएगा।

158–द. मतदान के दिन शराब बेचना, देना या वितरित न करना ।

158–ध. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां ।

अध्याय–11

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

159. परिभाषाएं।

160. राज्य निर्वाचन आयोग।

160–क. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण।

160–ख. प्रतिकर का संदाय।

160–ग. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति।

160–घ. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन।

160–ड. कर्मचारिवृन्द की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्त्तव्य के भंग पर दण्ड।

161. निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी।

162. निर्वाचन अर्जियां ।

163. अर्जी उपस्थापित करना।

163–क. याचिका के पक्षकार।

164. अर्जी की अंतर्वस्तु।

165. निर्वाचन अर्जी की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

166. अर्जियों का वापस लेना और अन्तरण।

167. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया।

168. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपसंजाति।

169. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां।

170. दस्तावेजी साक्ष्य।

171. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न करना।

172. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाण पत्र।

173. साक्षियों के व्यय।

174. प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय।

175. निर्वाचन को शुन्य घोषित करने के आधार।

175–क. निर्वाचित व्यक्ति से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार।

175–ख. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया ।

176. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन ।

177. खर्चे और प्रतिभूति निक्षेपों में से संदाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी।

178. खर्चे सम्बंधी आदेशों का निष्पादन।

[1]{179. ××××××××××××××××××××××}

180. भ्रष्ट आचरण।

181. अपीलें।

182. निर्वाचन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन।

183. निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय–12

विकास योजनाएं और जिला योजना समितियां

184. विकास योजनाएं तैयार करना ।

185. जिला योजना समिति ।

अध्याय–13

नियम और उप–विधियां

186. नियम बनाने की शक्ति।

---

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा धारा 179 का लोप किया गया।

187. उप विधियां।

188. आदर्श उप–विधियां।

189. शक्तियों का प्रत्यायोजन।

अध्याय–14

प्रकीर्ण

190. पंचायत के सदस्यों और सेवकों का लोक सेवक होना।

191. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का परित्राण।

192. सदस्यों, पदाधिकारियों, अधिकारियों आदि के विरूद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाएगा।

193. नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन।

194. तामील करने की पद्धति।

195. पंचायत के अभिलेख का निरीक्षण और कार्यवाहियों का अभिलिखित किया जाना।

196. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध।

197. स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, पंचायत संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी।

198. भूमि का अर्जन ।

199. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

200. निरसन और व्यावृति ।

अनुसूची–1।

अनुसूची–2।

अनुसूची–3 ।

अनुसूची–4 ।

अनुसूची–5 ।

———

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 4)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 22 अप्रैल, 1994 को अनुमोदित किया गया और असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 23 अप्रेल, 1994 को पृष्ठ 813–902 पर प्रकाशित किया गया)

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यकलापों में प्रभावी तौर पर शामिल करने की दृष्टि से, पंचायतों से सम्बन्धित विद्यमान विधियों को समेकित, संशोधित और प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम।

संशोधित, निरसन या अन्यथा प्रभावितः–

1. 1997[2] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 10 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 3 मई, 1997 को पृष्ठ 1579–1582 पर प्रकाशित किया गया । 16 जनवरी 1997 से लागू ।
2. 1998[3] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 1 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 9 जनवरी, 1998 को पृष्ठ 59–64 पर प्रकाशित किया गया । 24 मई 2004 से लागू ।
3. 2000[4] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 18 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 8 जून, 2000 को पृष्ठ 1613–1646 पर प्रकाशित किया गया ।
4. 2001[5] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 4 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 20 फरवरी, 2001 को पृष्ठ 5677–5683 पर प्रकाशित किया गया । 15 नवम्बर, 2000 से लागू ।
5. 2001[6] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 22 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 19 अकतूबर, 2001 को पृष्ठ 2937–2946 पर प्रकाशित किया गया ।

---

[1]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 5–4–1994 का पृष्ट 666 देखें ।

[2]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 31–3–1997 का पृष्ठ 1109 देखें ।

[3]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 12–12–1997 का पृष्ठ 4722 देखें ।

[4]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 17–4–2000 का पृष्ठ 933 देखें ।

[5]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 26–12–2000 का पृष्ठ 4732 देखें ।

[6]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 21–8–2001 का पृष्ठ 1966 देखें ।

6. 2002[1] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 10 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 8 मई, 2002 को पृष्ठ 313—316 पर प्रकाशित किया गया ।

7. 2005[2] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 17 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 17 जून, 2005 को पृष्ठ 743—756 पर प्रकाशित किया गया । 30 मई, 2005 से लागू ।

8. 2006[3] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 20 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 12 अक्तूबर, 2006 को पृष्ठ 5261—5256 पर प्रकाशित किया गया ।

9. 2007[4] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 15 जिसे असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 20 सितम्बर, 2007 को पृष्ठ 5695—5696 पर प्रकाशित किया गया ।

10. 2008[5] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 10 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 27 मई, 2008 को पृष्ठ 1197—1203 पर प्रकाशित किया गया । 13 जून 2008 से लागू।

11. 2008[6] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 17 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 13 अक्तूबर, 2008 को पृष्ठ 4247—4248 पर प्रकाशित किया गया ।

12. 2010[7] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 15 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 18 जून, 2010 को पृष्ठ 1481—1486 पर प्रकाशित किया गया ।

13. 2011[8] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 9 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 22 जनवरी, 2011 को पृष्ठ 8384—8389 पर प्रकाशित किया गया ।

---

[1]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 26—3—2002 का पृष्ठ 4635 देखें ।

[2]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 4—4—2005 का पृष्ठ 231 देखें ।

[3]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 22—8—2006 का पृष्ठ 3710 देखें ।

[4]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए असाधारण राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 30—8—2007 का पृष्ठ 4660 देखें ।

[5]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 24—4—2008 का पृष्ठ 392 देखें ।

[6]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 10—9—2008 का पृष्ठ 3733 देखें ।

[7]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 20—4—2010 का पृष्ठ 321 देखें ।

[8]. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददेश्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 21—12—2010 का पृष्ठ 7576 देखें ।

14. 2015[1] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 1 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 22 जनवरी, 2015 को पृष्ठ 5721—5723 पर प्रकाशित किया गया । 20—9—2014 से लागू।

15. 2015[2] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 15 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 18 मई, 2015 को पृष्ठ 808—810 पर प्रकाशित किया गया।

16. 2016[3] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 9 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 25 मई, 2016 को पृष्ठ 1046 पर प्रकाशित किया गया।

17. 2025[4] का हि0प्र0 अधिनियम संख्या 14 जिसे राजपत्र, हि0प्र0 में तारीख 06 फरवरी, 2025 को पृष्ठ 12958-12959 पर प्रकाशित किया गया।

18. हिमाचल[5] प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2026, जिसे 31 दिसम्बर, 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा दिनांक 9 जनवरी, 2026 को राज्य पत्र, हिमाचल प्रदेश (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में पृष्ठ संख्या 9999 से 10020 पर प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो .—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार [6]{लागु होना} और प्रारम्भ .— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 है।

(2) इसका विस्तार, सिवाए नगरपालिका द्वारा शासित क्षेत्रों के, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

[7]{(2—क)भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम के अध्याय 6—क के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के शेष उपबन्ध लागु होंगे।}

---

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददे्श्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 11—12—2014 का पृष्ठ 4934 देखें ।
2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित । उददे्श्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 9—4—2014 का पृष्ठ 209 देखें ।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित। उददे्श्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 9—4—2014 का पृष्ठ 209 देखें ।
4. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित। उददे्श्यों और कारणों के कथन के लिए राजपत्र, हि0प्र0 तारीख 20—12—2024 का पृष्ठ 9902.9905 देखें ।
5. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पारित। उद्देश्यों एवं कारणों के कथन के लिए राज्य पत्र, हिमाचल प्रदेश, 18—41 दिनांक 04—09—2025 देखें।
6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1997 (1998 का अधिनियम संख्याक 1) द्वारा जोड़ा गया।

(3) यह ऐसी तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(1) "वार्षिक मूल्य" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:–

(i) तत्समय किसी भूमि पर निर्धारित भू–राजस्व का दुगना, चाहे निर्धारण उद्ग्राह्य हो या नहीं ; या

(ii) जहां भू–राजस्व स्थायी रूप से निर्धारित किया गया है या उसका पूर्णतः या भागतः प्रशमन या मोचन किया गया है, वहां उस रकम का दुगना जो उद्ग्राह्य होती, यदि ऐसा स्थायी निर्धारण, प्रशमन या मोचन न किया गया होता ; या

(iii) जहां भू–राजस्व निर्धारित नहीं किया गया है वहां उस रकम का दुगना जो निर्धारित की गई होती, यदि औसत ग्राम रेट लागू किया गया होता :

परन्तु तत्समय प्रवृत्त बन्दोबस्त के अधीन किसी ऐसे भू–भाग में, जहां नहरों की सिचांई से हुए भूमि सुधार को भू–राजस्व के निर्धारण में गणना से अपवर्जित किया गया है और ऐसे सुधार की बाबत रेट अधिरोपित किया गया है, वहां वार्षिक मूल्य की संगणना के प्रयोजन के लिए वह रेट भू–राजस्व में जोड़ा जाएगा;

(2) "पिछड़े वर्ग" से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भिन्न ऐसे वर्ग अभिप्रेत हैं जिनकी नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के प्रयोजन से पहचान की जाए और अधिसूचित किए जाएं;

(3) "खण्ड" से जिले का ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा, खण्ड के रूप में अधिसूचना द्वारा, घोषित किया जाए;

(4) "इमारत" से कोई दुकान, गृह, उप–गृह, झोंपड़ी, छप्पर या पशुशाला अभिप्रेत है चाहे वह मानव निवास के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जाती हो और चाहे वह पत्थर, कंकरीट, ईंट, मेसनरी, लकड़ी, गारा, घास–फूंस, धातु की हो या किसी अन्य सामग्री की चाहे जो भी हो और उसके अन्तर्गत दीवार भी है ;

---

[7]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1997 (1998 का अधिनियम संख्याक 1) द्वारा उपधारा (2–क) जोड़ी गयी।

[1]. अधिसूचना संख्या आर0डी0पी0आर0 ।।। (लेज–।) 5/93 दिनांक 23–4–94, असाधारण राजपत्र, दिनांक 23–4–94 के पृ0 985–986 पर प्रकाशित द्वारा तारीख 23–4–1994 से प्रवृत किया गया ।

(5) "उप–विधियां" से इस अधिनियम के अधीन पंचायत द्वारा बनाई गई उप–विधियां अभिप्रेत हैं और राज्य सरकार द्वारा धारा 188 के अधीन विरचित आदर्श उप–विधियां इसके अन्तर्गत हैं ;

(6) "मामला" से ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय किसी अपराध की बाबत दाण्डिक कार्यवाहियां अभिप्रेत है ;

[1]{(6–क) "पशु" से पालतु पशु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाथी, ऊंट, भैंसें, गायें, बैल, घोड़े, घोड़ियां, खस्सी, टट्टू, बछड़े, बछेड़ियां, खच्चर, गधे, सुअर, मेढे, भेड़ें, मेष, मेमने, बकरियां, और बकरियों के बच्चे भी हैं ;}

(7) "ग्राम सभा" या "ग्राम पंचायत" के संदर्भ में "कलक्टर" "मजिस्ट्रेट" अथवा "उप–न्यायाधीश" से उस जिले या उप–मण्डल का, जिसमें ऐसी सभा या ग्राम पंचायत गठित की गई है, यथास्थिति, कलक्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप–न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(8) "परिवाद" से इस अधिनियम के अध्याय–4 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया वह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है;

[2](8–क) {×××××××××××××××××××}

(9) "शामलात भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के अनन्य उपयोग में नहीं है, और प्रथा, रूढ़ि, चिरभोग या विधि द्वारा ग्राम समाज के सामान्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित की गई है या ऐसे प्रयोजनों के लिए अर्जित की गई है ;

(10) "डिक्री", "डिक्रीदार", "निर्णीत ऋणी" और "विधिक प्रतिनिधि" के वही अर्थ होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का 5) की धारा 2 में उनके हैं ;

(11) "उपायुक्त" से किसी जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है और सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति भी उसके अन्तर्गत है :

---

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 20) द्वारा खण्ड (6–क) अन्तःस्थापित किया गया ।

2. "आयुक्त" की परिभाषा को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा इसका लोप किया गया।

परन्तु ऐसा अधिकारी किसी भी ऐसे कृत्य का पालन नहीं करेगा जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त का विनिश्चय अन्तिम है ;

[1]{(11–क) "मण्डल आयुक्त" से मण्डल का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मण्डल आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी है ;}

(12) "निदेशक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया निदेशक, पंचायती राज, अभिप्रेत है और सरकार द्वारा निदेशक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, इसके अन्तर्गत है;

(13) "जिला" से राजस्व जिला अभिप्रेत है;

[2]{(13–क)''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 134 के अधीन नियुक्त पंचायत समिति या जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है;}

[3]{(13–ख) "कुटुम्ब" से, एक ही पूर्वज से अवजनित, दत्तक ग्रहण सहित, सभी सदस्यों का अविभक्त कुटुम्ब, अभिप्रेत है जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में यथा दर्शित, स्थायी रूप में एक साथ निवास, पूजा तथा भोजन करता है;}

[4]{(13–ग) "वित्तायुक्त" से हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्तायुक्त [5]{(अपील)} अभिप्रेत है ;}

(14) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(15) "ग्राम पंचायत" से इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति अभिप्रेत है;

---

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (11–क) अन्तःस्थापित किया गया।

2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–क) अन्तःस्थापित किया गया ।

3. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा खण्ड (13–क) अन्तःस्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया

4 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (13–ख) अन्तःस्थापित किया गया और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा खण्ड (13–ग) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

5 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्द "(राजस्व)" के लिए अन्तस्थापित किया गया।

(16) "ग्राम सभा" या "सभा" से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित ग्राम सभा अभिप्रेत है और "सभा क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन "सभा क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्र, अभिप्रेत हैं ;

(17) "भूमि" से भू–राजस्व के लिए निर्धारित भूमि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि भी है जिसके भू–राजस्व का पूर्णतः या भागतः निर्मोचन, प्रशमन, मोचन या समनुदेशन किया गया है ;

(18) "भू–धारक" से भूमि पर निर्धारित भू–राजस्व का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि का स्वत्वधारी भी है जिसके भू–राजस्व का पूर्णतः या भागतः निर्मोचन, प्रशमन, मोचन या समनुदेशन किया गया है ;

(19) "भू–राजस्व" के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर चारण के लिए उद्गृहीत तिरनी या देय चरवाहागीरी है ;

[1]{(19–क) ''महिला ग्राम सभा'' से इस अधिनियम की धारा 5–ख के अधीन गठित महिला ग्राम सभा अभिप्रेत है;}

(20) "सदस्य" से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है ;

(21) "नगरपालिका" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित स्वायत शासन संस्था, अभिप्रेत है और छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) के अधीन स्थापित छावनी बोर्ड इसके अन्तर्गत है ;

[2]{(21–क)''निकट सम्बन्धी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो पंचायत के पदाधिकारी से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत पिता, माता, दादा, दादी, पत्नी, पति, ससुर, सास, मामा या चाचा, पुत्र, प्रपौत्र, पुत्री, प्रपौत्री, दामाद, पुत्र वधू, भाई, साला, भतीजा, भतीजी, बहन या बहन का पति भी है;}

(22) "अपराध", "जमानतीय अपराध", "अजमानतीय अपराध", "संज्ञेय अपराध", "पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी" और "पुलिस थाना", के वे ही अर्थ होंगे जो [3][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 2] में उनके हैं ;

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा खण्ड (19–क) अन्तःस्थापित किया गया।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा खण्ड (21–क) अन्तःस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(23) "पदाधिकारी" से यथास्थिति, ग्राम पंचायत का सदस्य, प्रधान या उप–प्रधान और पंचायत समिति या जिला परिषद् का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(24) "शासकीय राजपत्र" या "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश का राजपत्र अभिप्रेत है ;

(25) "पंच" से इस अधिनियम के अधीन पंचायत के न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते समय, ग्राम पंचायत का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रधान या उप–प्रधान भी है ;

(26) "पंचायत" से, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, अभिप्रेत है ;

(27) "पंचायत वन" से ऐसा वन अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा इस रूप में घाोषित किया गया है ;

[1](27–क) "पंचायत सहायक" से इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत के सचिव के कृत्यों का अनुपालन करने हेतु, यथास्थिति, [2]{पंचायत द्वारा} धारा 135 के अधीन पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा धारा 136 के अधीन प्रतिनियुक्त कोई पदधारी अभिप्रेत है ;

(28) "पंचायत समिति" से इस अधिनियम की धारा 78 के अधीन गठित और खण्ड क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति अभिप्रेत है ;

(29) "जनसंख्या" से अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं, अभिप्रेत है ;

(30) "विहित" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(31) "विहित प्राधिकारी" से सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(32) "कार्यवाहियां" से ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय राजस्व मामला अभिप्रेत है ;

(33) "सार्वजनिक स्थान" से ऐसा स्थल अभिप्रेत है, जो किसी की निजी सम्पत्ति नहीं है और जो जनता के उपयोग या उपभोग

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा खण्ड (27–क) अन्तःस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा "ग्राम पंचायत द्वारा" शब्दों के स्थान पर रखे गये।

के लिए खुला है, चाहे ऐसा स्थल पंचायत में निहित है या नहीं;

(34) "लोक मार्ग" से कोई ऐसी सड़क, मार्ग, पुल, गली, चौक, प्रांगण, पगडण्डी या पथ अभिप्रेत है जिस पर जनता को आने–जाने का अधिकार है और इसके अर्न्तगत दोनों ओर की नालियां या परनाले और उसके साथ लगती हुई किसी सम्पत्ति की परिनिश्चित सीमा तक की भूमि भी है, चाहे ऐसी भूमि पर कोई बरामदा या अन्य अधिसंरचना ही क्यों न बढ़ा दी हो ;

(35) "लोक सेवक" से, [1][भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 2 (28)] में यथा परिभाषित लोक सेवक, अभिप्रेत है ;

(36) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची, अभिप्रेत है;

(37) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट और घोषित क्षेत्र, अभिप्रेत है;

(38) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में इसका है ;

(39) "अनुसूचित जनजाति" का अर्थ वही होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में इसका है ;

(40) "धारा" से इस अधिनियम की धारा, अभिप्रेत है ;

(41) "सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे धारा 133 और धारा 134 की उप–धारा (1) के अधीन सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सचिव के कृत्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया है ;

(42) "उप–मण्डल अधिकारी" से राजस्व और सामान्य प्रयोजन के लिए गठित, किसी जिले के उप–मण्डल का प्रभारी अधिकारी और जहां ऐसा उप–मण्डल विद्यमान नहीं है, वहां राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उप–मण्डल अधिकारी के रूप में घोषित कोई अन्य अधिकारी, अभिप्रेत है;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(43) "वाद" से ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय सिविल वाद अभिप्रेत है;

(44) "कर" के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उद्ग्राह्य उपकर, शुल्क, फीस, रेट या पथ कर, अभिप्रेत है ;

(45) "अभिधारी" "भाटक", "रेट और उपकर" के वही अर्थ होंगे जो हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) की धारा 4 में इनके हैं ;

(46) "ग्राम" से, उस जिला के राजस्व अभिलेख में जिसमें वह स्थित है, राजस्व सम्पदा के रूप में दर्ज किया गया कोई स्थानीय क्षेत्र या कोई अन्य स्थानीय क्षेत्र जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे, अभिप्रेत है ;

[1]{(46–क) "वार्ड" से, अधिनियम की धारा 124 के अधीन यथा अवधारित, पंचायत क्षेत्र में एक–सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र, अभिप्रेत है ;}

(47) "जल सारणी" से ऐसी कूहल या जल नालिका अभिप्रेत है जो सिंचाई करने या पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रयोग की जाती है और जिसका प्रबन्ध भागतः या पूर्णतः ग्राम पंचायत को सौंपा गया है ; और

(48) "जिला परिषद्" से, इस अधिनियम की धारा 89 के अधीन गठित, जिला परिषद्, अभिप्रेत है।

अध्याय–2

ग्राम सभा

3. सभा क्षेत्र की घोषणा.– (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे गांव या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या एक हजार से कम न हो और पांच हजार से अधिक न हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी और इसका मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट कर सकेगीः

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में सरकार, आदेश द्वारा किसी गांव को या समीपस्थ गांव के समूह को, जिसकी जनसंख्या एक हजार से कम है,सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगीः

परन्तु यह और कि सरकार, भौगोलिक अवस्थिति, परिवहन और संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सुविधा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने के पश्चात्, किसी गांव या समीपस्थ गांव के समूह में समाविष्ट क्षेत्र

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा खण्ड (46–क) अन्तःस्थापित किया गया।

को, चाहे उसकी जनसंख्या एक हजार से कम हो या पांच हजार से अधिक हो, सभा क्षेत्र गठित करने की घोषणा कर सकेगी।

(2) सरकार, सम्बन्धित ग्राम सभा के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा किसी भी समय ,–

(क) किसी सभा क्षेत्र की ऐसे सभा क्षेत्र में किसी गांव या गांव के समूहों को शामिल करके, बढ़ौतरी कर सकेगी;

(ख) किसी सभा क्षेत्र के, ऐसे सभा क्षेत्र से किसी गांव या गांव के समूह को अपवर्जित करके, कम कर सकेगी;

(ग) किसी सभा क्षेत्र के मुख्यालय को बदल सकेगी ;

(घ) किसी सभा क्षेत्र के नाम को बदल सकेगी ;

(ङ.) घोषणा कर सकेगी कि कोई क्षेत्र, सभा क्षेत्र नहीं रहेगा ।

[1]{ ××××××××××××××}

[2]{(2–क) ग्राम पंचायत की अवधि के दौरान सभा क्षेत्र की, उप–धारा (2) के अधीन, जब बढ़ौतरी या कमी या समाप्ति हो जाती है, तो सभा क्षेत्र की बढ़ौतरी या कमी या समाप्ति, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम का धारा 120 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की कालावधि के अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी।}

(3) यदि सम्पूर्ण सभा क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल किया जाता है तो, सभा क्षेत्र विद्यमान नहीं रहेगा और इसकी आस्तियों और दायित्वों का व्ययन विहित रीति में किया जाएगा।

[3]{**3–क. कतिपय पदाधिकारियों की अवधि का सभा क्षेत्र में कमी के कारण प्रभावित न होना.–** इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किन्तु धारा 3 की उप–धारा (2–क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारी की पदावधि के दौरान, जब इस कारण से कि सभा क्षेत्र या उसका भाग किसी नगरपालिका में सम्मिलित किया जाता है या नगरपालिका का भाग उससे अपवर्जित करके किसी सभा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो सभा क्षेत्र में ऐसी बढ़ौतरी या कमी, पंचायत समिति या जिला परिषद् के पदाधिकारियों की पदावधि को, इस अधिनियम की धारा 120 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा प्रन्तुक का लोप किया गया।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) उप–धारा (2–क) जोड़ी गई तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा प्रतिस्थापित की गई ।

[3]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा धारा 3–क जोड़ी गई।

अवसान या इस अधिनियम की धारा 140 के अधीन इसके विघटन तक, प्रभावित नहीं करेगी।}

4. ग्राम सभा की स्थापना.– (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक सभा क्षेत्र में, नाम से ग्राम सभा स्थापित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की एक सूची होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो सभा क्षेत्र से सम्बंधित, विधान सभा नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित है या जिसका नाम उसमें दर्ज है और ग्राम सभा क्षेत्र का साधारणतया निवासी है, सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक सभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा।

[1]{परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी नगरपालिका में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है तो वह किसी सभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूचि में रजीस्ट्रीकृत होने का हकदार नहीं होगा।}

स्पष्टीकरण:–पद "साधारणतया निवासी" का, इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए कि उसमें "निर्वाचन क्षेत्र" के लिए निर्देशन का अर्थ "सभा क्षेत्र" के लिए निर्देशन के रूप में लगाया जाएगा, वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 में इसका है।

स्पष्टीकरण:–कोई व्यक्ति सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित होगा यदि वह विधान सभा नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित है।

[2][(4) यदि कोई व्यक्ति,–

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि; या

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के सम्बन्ध में, लिखित रूप में कोई कथन या ऐसी घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह धारा 155 के अनुसार दण्डित किया जाएगा।]

5. **सभा की बैठकें और गणपूर्ति.–** (1) प्रत्येक सभा प्रतिवर्ष [3]{चार साधारण बैठकें करेगी, और प्रत्येक बैठक [4]{जनवरी, अप्रैल, जुलाई और

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

अक्तूबर मास में} होगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व प्रधान का होगा :

[1]{परन्तु ग्राम सभा की साधारण बैठकें ऐसी रीति में आयोजित की जाएंगी कि जिला में समस्त ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक मास में शामिल हो जाएं। सम्बद्ध जिला पंचायत अधिकारी जिला में ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम पंचायत–वार तारीखें अधिसूचित करेगा:}

परन्तु यह कि प्रधान किसी भी समय या सदस्यों के कम से कम पांचवें भाग की लिखित अध्यपेक्षा पर, अथवा यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या उपायुक्त [2][या निदेशक] द्वारा अपेक्षित हो तो, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति से [3][तीन] दिन के भीतर [4][विशेष बैठक] बुलाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रधान के इस उप–धारा के अधीन बैठकें बुलाने में असफल रहने पर, विहित प्राधिकारी आगामी [5][सात] दिन की कालावधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा।

(2) ग्राम सभा की सभी बैठकों का समय और स्थान विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) ग्राम सभा की किसी साधारण [6][या विशेष] बैठक के लिए गणपूर्ति, [7]{ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम [8]{एक चौथाई}} भाग होगी और विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे :

---

[3]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा "प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें करेगी, एक ग्रीष्म ऋतु में और दुसरी शीत ऋतु में" शब्दों के स्थान पर रखे गए।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा वर्ष के जनवरी, अप्रैल, जुलाई के प्रथम रविवार तथा द्वितीय अक्तूबर को" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर रखे गए।

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[6] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[7]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा "इसके कुल सदस्यों की संख्या का पांचवा भाग होगा" शब्दों के स्थान पर रखे गए।

[8] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा "एक तिहाई" शब्दों के स्थान पर रखे गए।

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए, [1]{ग्राम सभा के एक या अधिक सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले कुटुम्बों की कुल संख्या का कम से कम पांचवा भाग} स्थगित बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित होगा [2][:

परन्तु यह और कि जनसाधारण की जागरूकता के प्रयोजन से और किसी भी दिवस के समारोह इत्यादि से आयोजित विशेष बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित नहीं की जाएगी।]

(4) ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान और प्रधान की अनुपस्थिति में उप–प्रधान द्वारा की जाएगी। प्रधान और उप–प्रधान, दोनों की अनुपस्थिति की दशा में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी।

[3]{**5–क. कार्यसूची**.– (1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, अपने वार्ड की बाबत, ऐसे वार्ड के सभा सदस्यों के साथ परामर्श से कार्यसूची मदें तैयार करेगा और ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व उसे प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई विभाग, अन्य अभिकरण या संगठन इसकी मदें, यदि कोई हों, ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व प्रधान और सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(3) सचिव, उप–धारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त हुई कार्यसूची मदों का संकलन करेगा और बैठक की सूचना सहित, उसे ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, परिचालित करेगा।}

[4]{**5–ख. महिला ग्राम सभा का गठन**.–(1) प्रत्येक ग्राम सभा में एक महिला ग्राम सभा होगी। महिला ग्राम सभा प्रत्येक वर्ष में दो बैठकें, पहली [5][फरवरी के पहले रविवार को]और दूसरी सितम्बर के पहले रविवार को, आयोजित करेगी, जिन्हें महिला प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान और दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा आयोजित किया जाएगा।

(2) महिला ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता महिला प्रधान द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में महिला उप–प्रधान द्वारा और दोनों की अनुपस्थिति में

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा "इसके सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम दसवां भाग" शब्दों के स्थान पर रखे गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[3]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा धारा 5–क अन्तःस्थापित की गई ।

[4]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2005 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा धारा 5–ख अन्तःस्थापित की गई ।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

ग्राम पंचायत की वरिष्ठ महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। बैठक में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित मामलों और ग्राम पंचायत के समग्र विकास से सम्बन्धित मामलों पर विचार–विमर्श किया जाएगा और बैठक में लिए गए विनिश्चय को आगामी समुचित कार्रवाई के लिए ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा।}

6. सदस्यों के नामांकन में त्रुटि या लोप से ग्राम सभा के कार्य या कार्यवाही का निष्फल न होना.– किसी सदस्य के नामांकन में त्रुटि या लोप, ग्राम सभा के किसी कार्य या कार्यवाही को निष्फल नहीं करेगा, यदि कार्य या कार्यवाही करने के समय इसके दो–तिहाई से अन्यून सदस्य, सम्यक् रूप से अर्हित थे।

7. ग्राम सभा के कृत्य.– (1) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :–

(क) समुदाय के कल्याण के लिए स्वयं सेवी मजदूर और वस्तु तथा नकद रूप में अंशदान के लिए तैयार करना;

(ख) गांवों से सम्बन्धित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए लाभभोगियों की पहचान करना ;

(ग) गांव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता देना;

[1]{(ग–क) ग्राम पंचायत द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए तैयार की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट का अनुमोदन;

(ग–ख) ग्राम पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर, समाधान हो जाने के पश्चात् खर्च की गई निधियों का उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करना; }

(घ) सभा क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना;

(ङ.) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप–प्रधान और सदस्य से किसी विशेष क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना ; और

(च) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जांए।

(2) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्रम पंचायत को सिफारिशें और सुझाव देगी, अर्थात् :–

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (ग–क) तथा (ग–ख) अन्तःस्थापित किए गए ।

(क) ग्राम पंचायत के लेखाओं की वार्षिक विवरणी, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट और अन्तिम संपरीक्षा टिप्पण तथा उसका उत्तर, यदि कोई, तैयार किया गया हो ;

(ख) ग्राम पंचायत के पूर्ववर्ती वर्ष के विकास कार्यक्रमों और चालू वर्ष में प्रारम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के बारे में रिपोर्ट ;

(ग) गावं में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और मिलाप को बढ़ावा देना ;

(घ) गांव में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम;

(ड.) ऐसा कोई अन्य मामला जो पंचायत समिति, जिला परिषद्, उपायुक्त, या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ग्राम सभा के समक्ष रखने के लिए अपेक्षित करे; और

(च) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जांए।

(3) ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार करेगी।

(4) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के संकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने और उनके बारे में इसकी बैठक में रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए कम से कम पांच व्यक्तियों से गठित, जो पंचायत के सदस्य नहीं हैं, एक या एक से अधिक सतर्कता समितियां भी बना सकेगी और उपर्युक्त रिपोर्ट की प्रति ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए:

[1]{परन्तु कोई भी ऐसा व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित नहीं किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी का निकट सम्बन्धी है :}

[2]{परन्तु कोई व्यक्ति सतर्कता समिति के सदस्य के रूप में चयनित होने, और सदस्य होने के लिए निरहित हो जाएगा यदि उसने, खण्ड (छ) के अधीन वर्णित निरहर्ता के सिवाए, धारा 122 की उप–धारा (1) में वर्णित कोई भी निरहर्ता उपगत की हो।}

[3]{(5) कृषि, पशुपालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर के कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेंगे, जिसकी अधिकारिता में वह तैनात हैं, और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा उपधारा (5) अन्तःस्थापित की गई ।

उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करेगी, जो रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा और ऐसी रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।}

[1]{**7—क. उप—ग्राम सभा का गठन.—** (1) ग्राम सभा के प्रत्येक वार्ड के लिए उप—ग्राम सभा होगी।

(2) वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम सभा के सभी सदस्य, उप—ग्राम सभा के सदस्य होंगे।

(3) प्रत्येक उप—ग्राम सभा, प्रतिवर्ष दो साधारण बैठकें बुलाएगी और ऐसी बैठकों को बुलाने का उत्तरदायित्व, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य का होगा। उप—ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा की जाएगी, जो कार्यवाहियों को भी अभिलिखित करेगा [2][:

परन्तु ग्राम पंचायत का प्रधान उप—ग्राम सभा की बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा प्रधान उक्त बैठक में भाग ले सकेगा।]

(4) उप—ग्राम सभा की बैठकों का समय और स्थान, वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा नियत और अधिसूचित किया जाएगा।

(5) उप—ग्राम सभा, ग्राम सभा की साधारण बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने सदस्यों को नाम निर्देशित करेगी और वह सदस्य ऐसी रीति से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिसमें वार्ड के क्षेत्र में निवास करने वाले कुल कुटुम्बों का [3]{50 प्रतिशत} नाम निर्दिष्ट किया जाएगा बशर्ते कि नाम निर्देशनों का [4]{आधा} महिलाओं से होगा :

परन्तु यह नाम निर्देशन ग्राम सभा के किसी सदस्य को, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने से विवर्जित नहीं करेगा।

(6) उप—ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विवाधकों पर विचार कर सकेगी और ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को सिफारिशों कर सकेगी।}

अध्याय—3

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा धारा 7—क अन्तःस्थापित की गई ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "15 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए ।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "एक तिहाई" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए ।

ग्राम पंचायतें

8. ग्राम पंचायत का गठन.– (1) ग्राम सभा के लिए एक पंचायत होगी और प्रत्येक ग्राम सभा, विहित रीति में अपने सदस्यों में से, सभा के [1]{प्रधान और उप–प्रधान} का निर्वाचन करेगी जो ग्राम पंचायत के [2]{प्रधान और उप–प्रधान} भी कहलाएंगे और अपने सदस्यों में से ही एक कार्यकारिणी समिति भी निर्वाचित करेगी जो, ग्राम पंचायत कहलाएगी, जिस का गठन [3]{प्रधान और उप–प्रधान} सहित व्यक्तियों की ऐसी संख्या से होगा, जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी, जैसी कि सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित करे :

[4]{परन्तु प्रत्येक ग्राम सभा के लिए [5]{प्रधान और उप–प्रधान} को अपवर्जित करके, सदस्यों की संख्या का अवधारण निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार किया जाएगाः–

(क) 1750 से अनधिक जनसंख्या के लिए ..पांच

(ख) 1750 से अधिक किन्तु 2750 से अनधिक जनसंख्या के लिए ..सात

(ग) 2750 से अधिक किन्तु 3750 से अनधिक जनसंख्या के लिए ..नौ

(घ) 3750 से अधिक किन्तु 4750 से अनधिक जनसंख्या के लिए ..ग्यारह

(ड.) 4750 से अधिक जनसंख्या के लिए ..तेरहः}

परन्तु यह और कि [6]{प्रधान और उप–प्रधान} को अपवर्जित करके पंचायत के सदस्यों की संख्या का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा कि ग्राम सभा की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात जहां तक व्यवहार्य हो, सारे सभा क्षेत्र में एक जैसा ही हो :

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्दों "और उप–प्रधान" का लोप किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए पुनःप्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्दों "और उप–प्रधान" का लोप किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए पुनःप्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्दों "और उप–प्रधान" का लोप किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए पुनःप्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा परन्तुक प्रतिस्थापित किया गया ।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[6] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्दों "और उप–प्रधान" का लोप किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए पुनःप्रतिस्थापित किया गया।

[1]{परन्तु यह और भी कि ग्राम सभा क्षेत्र के भाग या पूर्ण का प्रतिनिर्धारण करने वाला पंचायत समिति का सदस्य, सम्बद्ध ग्राम पंचायत (तों) का भी सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा :}

[2]{××××××××××××××××××××××××}

(2) ग्राम पंचायत में निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगेः–

(क) अनुसूचित जाति ; और

(ख) अनुसूचित जनजाति ;

और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का, ग्राम पंचायत के कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा जो सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है :

[3]{परन्तु जहां ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं है, तो वहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी स्थान (सीट) आरक्षित नहीं किया जाएगा।}

[4]{(3) उप–धारा (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के [5]{आधे}, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जांएगे।

(3–क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के [6]{आधे} (जिसके अर्न्तगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है) महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।}

(4) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग से संबन्धित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका ग्राम पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस ग्राम सभा में पिछड़े वर्ग से संबधित

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया।

[2] चतुर्थ परन्तुक को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा जोड़ा गया तथा इसका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा लोप किया गया ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा विद्यमान प्रथम, द्वितीय और तृतीय परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[6] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

व्यक्तियों की जनसंख्या के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो, और इस उप–धारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के [1]{आधे} स्थान पिछड़े वर्ग से संबधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

(5) उप–धारा (2), [2]{(3), (3–क)} और (4) के अधीन आरक्षित स्थानों का सभा क्षेत्र के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन, चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

(6) यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन में उप–धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट संख्या में अपेक्षित व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं होता है तो, उपायुक्त, उस तारीख से जिसको निर्वाचित सदस्यों के नाम उस द्वारा धारा 126 के अधीन प्रकाशित किए जाते हैं, एक मास के भीतर कमी को पूरा करने के लिए दूसरे निर्वाचन की व्यवस्था करेगा।

9. ग्राम पंचायत की बैठकें.– (1) ग्राम पंचायत की बैठक [3][xxxxx] और महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में और ऐसे समय पर की जाएगी जो प्रधान द्वारा नियत किया जाए :

परन्तु प्रधान, सदस्यों के बहुमत द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने की अपेक्षा करने पर, तीन दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त सदस्य, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, प्रधान और अन्य सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात्, बैठक बुलाने के हकदार होंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धो और तद्धीन विरचित नियमों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के [4]{पदाधिकारियों} के आधे से गणपूर्ति होगी।

(3)ग्राम पंचायत के विनिश्चय बहुमत से होंगे और समान मत होने पर, प्रधान का या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान का, एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।

10. पंचायत के रिकार्ड आदि, का रखा जाना.– ग्राम पंचायत का सचिव, प्रधान और उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के सभी विहित अभिलेखों और रजिस्टरों तथा उसकी या उसमें निहित अन्य सम्पत्ति की अभिरक्षा और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

11. ग्राम पंचायत के कृत्य.– [5]{(1) ग्राम पंचायत, अनुसूचि–1 में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।}

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा कोष्ट और अंक "(3)" के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा लोप किया गया।

[4]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।

[1]{(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत को, अनुसूचि–2 में विनिर्दिष्ट उन मामलों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और निष्पादन का कार्य सौंप सकेगी, तथा ग्राम पंचायत उन कृत्यों का पालन भी करेगी।}

(3) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत के कृत्यों में परिवर्तन कर सकेगी या उसे सौंपे गए कृत्यों और कर्तव्यों को वापस ले सकेगी और जब सरकार, पंचायत को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के निष्पादन का जिम्मा ले लें, तब ग्राम पंचायत ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जब तक कि ऐसे कृत्य पुनः ग्राम पंचायत को नहीं सौंप दिए जाते हैं।

(4) सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित कर सकेगी:–

(क) ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वन के प्रबन्ध और अनुरक्षण का किसी ग्प्रम पंचायत को अन्तरण ;

(ख) ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित सरकारी बंजर भूमि, चरागाहें या खाली भूमि के प्रबन्ध को ग्राम पंचायत के हवाले करना ;

(ग) किसी सिंचाई संकर्म का सरंक्षण और इसका निष्पादन तथा किसी ऐसे संकर्म के जल के विनियमन/वितरण का ग्राम पंचायत को अन्तरण ;

(घ) ग्राम सभा की अधिकारिता में स्थित किसी लोक सम्पत्ति का ग्राम पंचायत को अन्तरण;

(ड.) सरकार की ओर से भू–राजस्व के संग्रहण और उससे सम्बन्धित अभिलेखों के रख–रखाव को, ग्राम पंचायत को सौंपना ; और

(च) ऐसे अन्य कृत्य सौंपना जो विहित किए जाएं :

परन्तु यह कि जब खण्ड (क) के अधीन वन के प्रबन्ध और अनुरक्षण का कोई अन्तरण या खण्ड (ग) के अधीन किसी सिंचाई संकर्म का अन्तरण किया जाता है तो, सरकार निर्देश देगी कि ऐसे प्रबन्ध और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित राशि या ऐसे वन या सिंचाई संकर्म से आय का पर्याप्त भाग ग्राम पंचायत के व्ययन पर रखा जाएगा।

(5) ग्राम पंचायत को, उसे सौंपे गए, सुपुर्द किए गए या प्रत्यायोजित किए गए सभी कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्यों को करने की, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल

---

[5]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित की गई।

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा उपधारा (2) प्रतिस्थापित की गई।

प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों को प्रयोग करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

[1]{**11—क. पशुओं का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिए अभिलेख का अनुरक्षरण.—** (1) प्रत्येक परिवार का मुखिया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ से एक मास की अवधि के भीतर और तत्पश्चात् समय समय पर, किसी भी कारण से पशुओं की संख्या में कभी कोई परिर्वतन होता है, उसके परिवार के स्वामित्वाधीन पशु का विवरण या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत सचिव को देने के लिए या दिलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन पशुओं के ब्यौरों की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत पशुओं को रजिस्ट्रीकृत करेगी और उसके अभिलेख ऐसे प्ररूप में रखेगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु ग्राम पंचायत ऐसी दर पर रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित कर सकेगी जैसी ग्राम पंचायत द्वारा नियत की जाए।

(3) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक पशु पर समुचित पहचान चिन्ह लगाने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा रखे गए कर्मचारियों या व्यक्तियों की सहायता करे और पहचान के अभिलेख को बनाए रखे।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी अधिकारिता के भीतर भटकते (आवारा) पशुओं की पहचान कराने में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों या प्रतिनिधियों की सहायता करे।

(5) पहचान चिन्ह वाला कोई पशु यदि भटकता (आवारा) पाया जाता है, तो पशु के स्वामी की पहचान ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा बनाए रखे अभिलेख से करेगी और ऐसा स्वामी प्रथम अपराध के लिए [2]{पांच सौ} रूपये और द्वितीया या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में [3]{सात सौ} रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत ऐसे भटकते (आवारा) पशु की, पहचान चिन्ह के साथ छेड़—छाड़ या उस को विकृत करने के कारण पहचान करने में असफल रहती है तो वह ऐसे मामले की रिपोर्ट नजदीकी पशुपालन औषधालय के प्रभारी को करेगी जो भटकते (आवारा) पशु को नजदीकी गौसदन या गौशाला को सौंपेगा।}

12. अधिक्रमण और न्यूसैन्स को दूर करने की शक्ति.— (1) ग्राम पंचायत, रिपोर्ट या अन्य सूचना प्राप्त करने पर और ऐसा साक्ष्य लेने पर, यदि

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 20) द्वारा धारा 11—क अंतःस्थापित की गई।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा 'तीन सौ'' शब्दों के स्थान रखे गये।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा 'पांच सौ'' शब्दों के स्थान रखे गये।

कोई हो, जैसा वह उचित समझे, सशर्त आदेश द्वारा आदेश में नियत किए जाने वाले समय के भीतर, यह अपेक्षा कर सकेगी कि, —

(क) किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी :—

(i) किसी सार्वजनिक मार्ग, स्थान या नाली पर किए गए अधिक्रमण को दूर करेगा;

(ii) किसी शौचालय, मूत्रालय, फलश शौचगृह, नाली , मलकुण्ड या गन्दगी, मलजल, कूड़ा—करकट या रद्दी माल के आधान को बन्द करेगा, हटाएगा, परिवर्तित, मुरम्मत, साफ, रोगाणु रहित या अच्छी अवस्था में रखेगा या किसी द्वार कोया पाश को हटाएगा या परिवर्तित करेगा या किसी सार्वजनिक मार्ग, नाली की ओर खुलने वाले किसी ऐसे शौचालय, मूत्रालय, फलश शौचगृह के लिए नाली बनाएगा और या ऐसे शौचालय, मूत्रालय, फलश शौचगृह के पास से ले जाने वाले व्यक्तियों या पड़ोस में वास करने वालों की दृष्टि से बचाने के लिए पर्याप्त छत और दीवार या बाड़ लगाएगा;

(iii) किसी ऐसे निजी कुएं, तालाब, जलाशय, कुण्ड, गड्ढे, खाई, गर्त या उनमें उत्खनन की जो ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या, पड़ोसियों के लिए घृणोंत्पादक प्रतीत हो, सफाई करेगा, मुरम्मत करेगा, ढकेगा, पूर्ण करेगा, नाली बनाएगा, गहरा करेगा या उस में से जल का निकास करेगा;

(iv) कूड़े, गोबर, मल, खाद या किसी हानिकारक या घृणोंत्पादक वस्तु को हटाएगा और भूमि या भवन को स्वच्छ रखेगा ;

(ख) दीवार या भवन का स्वामी जो ग्राम पंचायत द्वारा किसी रूप से खतरनाक समझी जाती है, ऐसी दीवार या भवन को हटाएगा या मुरम्मत करेगा ;

(ग) किसी भवन या सम्पत्ति का स्वामी या अधिभोगी अपने भवन या सम्पत्ति को स्वच्छ स्थिति में रखेगा ;

(घ) अलर्करोग से ग्रस्त या युक्तियुक्त रूप से सन्देह ग्रस्त या खतरनाक कुत्ते या अन्य पशु का स्वामी ऐसे कुत्ते या पशु को नष्ट या अवरुद्ध करेगा या अवरुद्ध करवाएगा ;

(ड.) किसी कृषि भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसी भूमि से हानिकारक खरपतवार नष्ट करेगा ;

(च) अस्वास्थ्यकर स्थान का स्वामी या अधिभोगी ऐसे स्थान को ठीक करेगा ;

(छ) किसी भवन या भूमि का स्वामी या अधिभोगी उसके भवन के सामने से या भूमि पर जाने वाली सड़क या पथ की सतह और स्तर की उचित मुरम्मत करेगा ;

(ज) किसी निजी जलसरणी का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति उसकी उचित मुरम्मत करता रहेगा;

या, यदि वह ऐसा करने में आक्षेप करता है, तो आदेश द्वारा नियत किए जाने वाले समय और स्थान पर इसके समक्ष उपस्थित होने और आदेश को अपास्त या परिवर्तित करवाने के लिए इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में कार्रवाई करेगा। यदि वह ऐसा कार्य नहीं करता है या उपस्थित नहीं होता है या ओदश के विरुद्ध कारण दर्शित नहीं करता है तो, आदेश आत्यंतिक बना दिया जाएगा। यदि वह उपस्थित होता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है, तो ग्राम पंचायत साक्ष्य लेगी और यदि इसका समाधान हो जाता है कि आदेश युक्तियुक्त और उचित नहीं है, तो मामले में कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाएगी। यदि इसका ऐसा समाधान नहीं होता है, तो आदेश को पुष्ट या परिवर्तित कर दिया जाएगा, जैसा कि उचित समझा जाए।

(2) यदि नियत समय के भीतर ऐसा कार्य नहीं किया जाता है, तो ग्राम पंचायत इस कार्य को करवा सकेगी और ऐसे व्यक्ति से विहित रीति में इसके करवाने की लागत बसूल कर सकेगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर उप–मण्डल अधिकारी को अपील कर सकेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, उस आदेश को अपास्त, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

13. साधारण आदेश करने की शक्ति.– ग्राम पंचायत साधारण आदेश द्वारा जो विहित रीति में प्रकाशित किया जाएगा :–

(क) ऐसे कुएं, पोखर या अन्य उत्खनन के जल का प्रयोग निषिद्ध कर सकेगी, जिसके बारे में जन–स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने का संदेह हो ;

(ख) पेयजल के लिए आरक्षित कुएं, पोखर या अन्य उत्खनन पर या उसके निकट पशुओं को जल पिलाने या नहाने अथवा धुलाई को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(ग) ग्राम के निवासीय क्षेत्र से दो सौ बीस मीटर के भीतर पोखर या किसी अन्य उत्खनन में या उसके निकट भांग या अन्य पौधों के ढेर लगाने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(घ) ग्राम के निवासीय क्षेत्र से चार सौ चालीस मीटर के भीतर चमड़े की रंगाई या शोधन को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(ड.) ग्राम के निवासीय क्षेत्र से दो सौ बीस मीटर के भीतर भूमि या पत्थर अथवा अन्य सामग्री के उत्खनन को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी :

परन्तु इस खण्ड के अधीन भवन या अन्य संरचनाओं की नींव भरे जाने के लिए आशयित उत्खनन को, रोकने वाली कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी ;

(च) ग्राम के निवासीय क्षेत्र से आठ सौ अस्सी मीटर के भीतर ईंटों के भट्ठों और कच्चे कोयले की भट्ठियों और दो सौ बीस मीटर के भीतर आंवां (कुम्हार भट्ठियों) की स्थापना को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी ;

(छ) यह निर्देश दे सकेगी कि ग्राम में मरने वाले सभी पशुओं के शवों को, सिवाय उपभोग के लिए वध किए गए पशुओं के, ग्राम के निवासीय क्षेत्र की चार सौ चालीस मीटर की परिधि के भीतर नहीं डाला जाएगा ;

(ज) नए भवनों के निर्माण या किसी विद्यमान भवन अथवा आबादी के विस्तार या परिवर्तन को विनियमित कर सकेगी ;

(झ) सरकार की पूर्व अनुमति से, लोक वाहनों को खड़े करने को विनियमित कर सकेगी;

(ञ) ऐसे मामलों को विनियमित कर सकेगी जो, खड़े वृक्षों और शामलात भूमि पर के वृक्षों और ऐसे वृक्षों के रोपण के साधारण सरंक्षण के लिए आवश्यक हो ;

(ट) स्वच्छता के अनुपालन और महामारी के प्रसार को दूर करने और रोकने के लिए रोगनाशक और निवारक उपायों का विनियमित कर सकेगी ;

(ठ) सिंचाई के प्रयोजन के लिए आशयित जल सरणियों के अनुरक्षण को विनियमित कर सकेगी;

(ड.) आवारा कुत्तों के वध को विनियमित करना ;

(ढ) पशुओं के वध को विनिमित करना ;

(ण) भिक्षावृति को निषिद्ध करना ;

(त) जल रोध के निवारण के लिए उपाय करने का निर्देश दे सकेगी ;

(थ) मृत्त पशुओं के निस्त्वचन और निपटान को विनियमित कर सकेगी ;

(द) सभा क्षेत्र के भीतर हानिकारक खाद्य पदार्थों के विक्रय को निषिद्ध करना ;

(ध) घृणोत्पादक और खतरनाक व्यापार या व्यवसायों को विनियमित करना; और

[1](न) लोक सम्पत्ति जैसे कि साईन बोर्ड, सार्वजनिक सड़क पर मील पत्थरों, पथों, सिंचाई एवं पूर्ति स्कीमों, सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक कुओं, बम्बों, सामुदायिक केन्द्रों, महिला–मण्डल भवनों, स्कूल भवनों, स्वास्थय / पशुपालन / आयुर्वैदिक संस्थान भवनों का सरंक्षण।

14. भवन परिनिर्माण पर नियन्त्रण.–(1) ग्राम पंचायत, ग्राम के लिए एक आर्दश योजना बनाने के पश्चात्, जिसे ग्राम सभा और विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, लिखित आदेश द्वारा–

(क) निदेश दे सकेगी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भवन, दीवार या किसी चबूतरे के निर्माण, पुर्ननिर्माण या उनमें परिवर्तन किए जाने से पूर्व ग्राम पंचायत को आवेदन करेगा और किसी भी भवन, दीवार या चबूतरे का, आदर्श योजना के विरोध में या ग्राम पंचायत द्वारा सीमांकित भूमि पर विनिर्दिष्ट सरंक्षण से पूर्वनिर्माण, पुनर्निमाण या परिवर्धन नहीं किया जाएगा ; और

(ख) उस स्थान को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो किसी नए या बढ़ाए गए भवन और ठीक साथ लगने वाले किसी भवन या सड़क के बीच होगा।

(2) ग्राम पंचायत को, किसी भवन, दीवार या चबूतरे के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के प्रस्तावति रेखांकन को परिवर्तित, परिवर्तन के लिए वापस करने या रद्‌द करने की शक्ति होगी।

(3) जहां उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश के उल्लंघन में किसी भवन, दीवार या चबूतरे का निर्माण,पुर्ननिर्माण या परिवर्धन किया गया है, वहां प्रधान, उप–मण्डल अधिकारी को रिपोर्ट कर सकेगा और उक्त अधिकारी यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि :–

(i) उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या उतना जितना कि निष्पादित किया जा चुका है, भवन, दीवार या चबूतरे के स्वामी द्वारा तोड़ दिया जाए या उस द्वारा ग्राम पंचायत के समाधानप्रद रूप में, उस द्वारा नियत अवधि के भीतर परिवर्तित किया जाएगा ; या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा खण्ड (न) जोड़ा गया ।

(ii) उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश के उल्लंघन में किया गया कार्य या उतना जितना कि निष्पादित किया जा चुका है, उस द्वारा नियत अवधि के भीतर स्वामी के खर्चे पर ग्राम पंचायत द्वारा तोड़ा या परिवर्तित किया जाएगाः

परन्तु उप–मण्डल अधिकारी, स्वामी को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई भी आदेश नहीं करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप–धारा (3) के खण्ड (i) के अधीन किसी भवन, दीवार या चबूतरे को तोड़ने या परिवर्तित करने का निदेश दिया जाता है, उसके पालन करने में असफल रहता है, तो वह, जुर्माने के लिए, जो पच्चीस रूपये तक का हो सकेगा और जब असफलता जारी रहने वाली हो, तो मैस्नरी भवन, दीवार या चबूतरे की दशा में अतिरिक्त जुर्माने के लिए जो असफलता जारी रहने वाले प्रतिदिन के लिए पांच रूपये तक का हो सकेगा दायी होगी, परन्तु आवर्ती शास्ति पांच सौ रूपये की राशि से अधिक नहीं होगी।

[1]{**15. पंचायत के विशेष या साधारण आदेश की अवज्ञा के लिए शास्ति.**– कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत द्वारा, धाराएं 12 या 13 के अधीन किए गए आदेश की अवज्ञा करता है, वह शास्ति के लिए, जो ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित की जाएगी और [2]{एक हजार रूपए} तक की हो सकेगी; और यदि भंग जारी रहने वाला भंग है तो अतिरिक्त शास्ति से, जो पहले भंग के पश्चात्, उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग ऐसे जारी रहता है, दस रूपये तक की हो सकेगी, दायी होगा :

परन्तु आवर्ती शास्ति [3]{पांच हजार रूपए} से अधिक नहीं होगी। शास्ति, यदि संदत्त नहीं की जाती है, तो भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।}

16. कतिपय पदधारियों के अवचार की जांच और रिर्पोट करने की शक्ति.– (1) किसी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत को यह शिकायत किए जाने पर किसी चपड़ासी बैलिफ, पुलिस सिपाही, हवलदार, चौकीदार, सिंचाई विभाग के गश्ती, वन रक्षक, पटवारी, टीका लगाने वाले, नहर निगरान, ग्राम सेवक, आखेट रक्षक या लोक सेवकों के किसी अन्य वर्ग ने, जिसको राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के उपबन्धों का विस्तार करे, अपनी पदीय हैसियत में अवचार किया है, तो ग्राम पंचायत मामले की जांच कर सकेगी और प्रथम दृष्टया साक्ष्य सहित, यथास्थिति, सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी या उपायुक्त या उप–मण्डल अधिकारी को रिपोर्ट भेज सकेगी, और उक्त

---

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000(2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "दो सौ पच्चास रूपए " शब्दों के स्थान पर रखे गए।

3. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005(2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्दों "एक हजार रूपए " के स्थान पर रखे गए ।

अधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच के पश्चात् जो अपेक्षित हो, उपयुक्त कार्रवाई करेगा और ग्राम पंचायत और निदेशक को सूचित करेगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने पर कि कोई पटवारी, चौकीदार, ग्राम सेवक, वन रक्षक या लोक सेवकों का कोई अन्य वर्ग, जिसको राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस उप–धारा के उपबन्धों का विस्तार करे, किसी विधि या नियम द्वारा उस पर अधिरोपित कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा है, ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा युक्तियुक्त समय निर्धारित करके उससे कर्त्तव्य का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगी और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर, यथास्थिति, वरिष्ठ अधिकारी को जिससे इसका सम्बन्ध हो या उपायुक्त अथवा उप–मण्डल अधिकारी को रिपोर्ट करेगी और उक्त अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जो अपेक्षित हो, उपयुक्त कार्रवाई करेगा और ग्राम पंचायत तथा निदेशक को सूचित करेगा।

17. कर और अन्य देय के संग्रहण के लिए संविदा की शक्ति.— कोई ग्राम पंचायत किसी विधि के प्रतिकूल होते हुए भी, अपनी अधिकारिता में किसी क्षेत्र के बारे में सरकार या स्थानीय निकाय से, सरकार या स्थानीय निकाय को संदेय भू–राजस्व या किसी कर या देय के संग्रहण के लिए, ऐसे संग्रहण प्रभारों के अनुमत किए जाने पर, जो विहित किए जाएं, संविदा कर सकेगी। ग्राम पंचायत, अपनी अधिकारिता में, सभी या किन्हीं भू–स्वामियों से भी, उसकी या उनकी ओर से, भू–स्वामियों द्वारा ऐसे संग्रहण प्रभारों के अनुमत किए जाने पर, जो विहित किए जाएं, किराया संगृहीत करने के लिए संविदा कर सकेगी।

18. नशाबन्दी लागू करने की शक्ति.—(1) ग्राम पंचायत, सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई के बहुमत से, मत द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी अनुज्ञप्त दुकान पर मादक द्रव्य का विक्रय न किया जाए।

(2) जब उप–धारा (1) के अधीन संकल्प पारित कर दिया जाता है तो यह ऐसे प्रस्ताव के ठीक पश्चात्वर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रभावी होगा।

(3) किसी आबकारी अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सरकार की अनुमति के अधीन रहते हुए ऐसा प्रस्ताव, आबकारी और कराधान आयुक्त पर आवद्धकर होगा।

19. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.— ग्राम पंचायत का प्रधान, और यदि ग्राम पंचायत द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाए तो, उप–प्रधान या कोई अन्य सदस्य, सहायकों या कर्मगारों सहित या रहित निरीक्षण या सर्वेक्षण करने या किसी ऐसे कार्य को निष्पादित करने के लिए किसी इमारत या भूमि में या पर प्रवेश कर सकेगा, जिसे करने या जिसका निष्पादन करने के लिए ग्राम पंचायत इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों द्वारा प्राधिकृत हैः–

परन्तु ––

(क) ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक दशा में भले ही किन्हीं परिसरों में नोटिस के बिना अन्यथा प्रवेश किया जा सकता हो, पर्याप्त नोटिस दिया जाएगा ताकि उस कमरे के निवासी जो महिलाओं के अधिभोग में हो, वहां से अपने आप को परिसर के किसी भाग में हटा सकें जहां उनकी एकान्तता में विघ्न नहीं डाला जाएगा ; और

(ग) जिन परिसरों में प्रवेश किया जाए उनके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक् रूप से ध्यान रखा जाएगा।

20. मेलों और मण्डियों का प्रबन्ध करने की शक्ति.– ग्राम पंचायत, सभा क्षेत्र के भीतर विहित रीति में, मेलों और मण्डियों का आरम्भ, प्रबन्ध और विनियमन कर सकेगी।

21. जलमार्ग आदि के बारे में शक्ति.– किसी ग्राम पंचायत को, इसकी अधिकारिता में स्थित सभी सार्वजनिक मार्गों, तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमित में यथा परिभाषित नहर से भिन्न, नहर या लघु नहर से सम्बद्ध जल मार्गों पर, जो निजी मार्ग या जल मार्ग नहीं है और सरकार या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण के नियन्त्रण में नहीं है, नियन्त्रण होगा और यह उनके अनुरक्षण और मुरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य कर सकेगी; और :–

(क) नए पुलों या पुलियों का निर्माण कर सकेगी ;

(ख) किसी सार्वजनिक मार्ग, पुलियां या पुल को मोड़, रोक या बन्द कर सकेगी ;

(ग) किसी सार्वजनिक मार्ग, पुलिया या पुल को इस प्रकार चौड़ा, खुला, विस्तृत या अन्यथा सुधार सकेगी जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों को कम से कम नुकसान हो ;

(घ) जल मार्गों को गहरा या उनका अन्यथा सुधार कर सकेगी ;

(ड.) विहित प्राधिकारी की मन्जूरी से लघु सिंचाई परियोजनाओं का जिम्मा ले सकेगी;

(च) सार्वजनिक मार्ग पर बढ़ी हुई किसी बाड़ या किसी वृक्ष की शाखा को काट सकेगी ;

(छ) पीने या पकाने के प्रयोजनों के लिए किसी सार्वजनिक जलसरणी का पृथक रखना अधिसूचित कर सकेगी ; और इस प्रकार पृथक रखी गई जलसरणी पर नहाने, कपड़े धोने और पशुओं को नहलाने या ऐसा अन्य कार्य करना प्रतिषिद्ध कर सकेगी जिससे जलसरणी के प्रदूषित होने की सम्भावना हो :

परन्तु खण्ड (छ) के अधीन, सरकार द्वारा इस निमित्त विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे नहर या लघु नहर से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा शासित नहर पर प्रभाव पड़े।

22. मार्गों के नाम रखने और इमारतों पर नम्बर लगाने के बारे में शक्तियां.— (1) कोई ग्राम पंचायतः—

(क) किसी मार्ग का नाम, ऐसे स्थान पर या रीति में जो यह ठीक समझे, इसे चिपका कर या किसी इमारत पर चित्रांकित करके या अन्यथा रख सकेगी ; और

(ख) किसी इमारत पर नम्बर ऐसे स्थान या रीति में, जो वह ठीक समझे चिपका कर या चित्रांकित करके लगवा सकेगी।

(2) ग्राम पंचायत किसी इमारत के स्वामी या अधिभोगी से उस पर नम्बर चित्रांकित करने की अपेक्षा कर सकेगी या स्वयं किसी इमारत पर ऐसा नम्बर चित्रांकित करवाएगी।

(3) कोई व्यक्ति जो उप—धारा (1) और उप—धारा (2) के अधीन किसी इमारत पर लगाई या चित्रांकित की गई किसी मार्ग की नाम प्लेट या नम्बर को नष्ट करता है, उतारता है, विरूपित करता है या परिवर्तित करता है, अथवा ग्राम पंचायत द्वारा या उसके आदेश के अधीन किसी इमारत पर चिपकाए गए या चित्रांकित किए गए नाम या नम्बर से भिन्न नाम या नम्बर चिपकाता या चित्रांकित करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने का दायी होगा, जो [1]{एक सौ रूपए} तक का हो सकेगा। जुर्माना विहित रीति में वसूलीय होगा।

[2]{**23. स्थायी समितियों का गठन और कृत्य.**—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, इसके सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित स्थायी समितियां गठित करेगीः—

(i) कार्य समिति; और

(ii) बजट समिति।

(2) ग्राम पंचायत द्वारा इसकी बैठक में बहुमत द्वारा यथा विनिश्चित, एक समिति की अध्यक्षता, प्रधान द्वारा और दूसरी की उप—प्रधान द्वारा की जाएगी।

(3) प्रत्येक समिति, यथास्थिति, प्रधान या उप—प्रधान सहित, तीन सदस्यों से गठित होगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा शब्दों "दस रूपए" के स्थान पर रखें गए ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा धारा 23 को प्रतिस्थापित किया गया तथा इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा पुनः प्रतिस्थापित किया गया ।

(4) ग्राम पंचायत के समस्त विकास कार्यों का निष्पादन, कार्य समिति द्वारा, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, किया जाएगा और यदि आवश्यक हो ग्राम पंचायत, ऐसे कार्यों के संपादन का पर्यवेक्षण और मानीटर करने और उसके लेखे प्राप्त करने के लिए उप–समितियों का गठन करेगी।

(5) बजट समिति, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करेगी और उसे ग्राम पंचायत के समक्ष विचार करने और अनुमोदन हेतु रखने के लिए सचिव को प्रस्तुत करेगी।

(6) ग्राम पंचायत, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसे उन पर, ग्राम पंचायत द्वारा न्यस्त किए जाएं और अधिक स्थाई समितियों का गठन कर सकेगी।}

24. संयुक्त समिति.– ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, दो या उससे अधिक ग्राम सभाएं, किसी ऐसे कारबार को संव्यवहृत्त करने के प्रयोजन से जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध हों उनके प्रतिनिधियों से गठित एक संयुक्त समिति नियुक्त करने के लिए लिखित–लिखत द्वारा सम्मिलित हो सकेगी।

25. पंचायत समिति की संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाले कार्य.– (1) यदि दो या उससे अधिक ग्राम सभाएं किसी कारबार को संव्यवहृत्त करने के लिए संयुक्त रूप से हितबद्ध हों तो वे धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई संयुक्त समिति या पंचायत समिति को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वे अधिरोपित करना उचित समझें किसी संयुक्त संकर्म के बारे में प्रत्येक ग्राम सभा पर आवद्धकर किसी स्कीम को विरचित करने, उसके निर्माण और अनुरक्षण और शक्ति के बारे में जो ऐसी स्कीम के सम्बन्ध में ऐसी किसी ग्राम सभा द्वारा प्रयोग की जा सकेगी, शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी :

परन्तु ग्राम सभाएं किसी संयुक्त संकर्म के निर्माण और अनुरक्षण के बारे में कारबार के संव्यवहार या स्कीम के निष्पादन की लागत, ऐसे अनुपात में संदत्त करेगी जो लिखित–लिखत में करार पाया जाए।

(2) यदि इस धारा के अधीन कार्य करने वाली ग्राम सभाओं के बीच कोई मतभेद पैदा होता है तो यह विहित प्राधिकारी को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

26. विद्यालयों, अस्पतालों या औषधालयों का अनुरक्षण और सुधार.– (1) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के भीतर या उसके निकटवर्ती विद्यालयों, अस्पतालों और औषधालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए , ऐसी सहायता देगी जैसी विहित की जाए।

(2) ग्राम पंचायत किसी पूर्त या राष्ट्रीय हेतुक के लिए अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की तकलीफों को दूर करने और उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी कार्य या स्कीम के लिए निधि का अभिदाय कर सकेगी।

27. पंचायत के किसी समूह के लिए विद्यालयों अस्पतालों या औषधालयों की स्थापना.– जहां पड़ोसी ग्राम पंचायत क्षेत्रों के समूह में कोई विद्यालय, अस्पताल या औषधालय नहीं है, वहां उनकी ग्राम पंचायतें, यदि सरकार द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए तो ऐसा कोई विद्यालय, अस्पताल या आयुर्वेदिक अथवा यूनानी औषधालय स्थापित करने में सहायता देने के लिए सम्मिलित होगी और उसका प्रबन्ध विहित रीति में किया जाएगाः

परन्तु सरकार ऐसी निधि, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के व्ययन पर रखेगी।

28. सरकारी सेवकों की सहायता .– ग्राम पंचायत, यदि इस प्रकार विहित किया जाए , और जहां तक व्यवहार्य हो, अपने क्षेत्र में किसी सरकारी सेवक को उसके कर्त्तव्यों के अनुपालन में सहायता करेगी।

29. संस्थाओं आदि का प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति .– इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और लिखित रूप में करार पाई गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में, किसी व्यक्ति से उसमें निहित कोई सम्पत्ति प्राप्त कर सकेगी, या किसी कार्य का निष्पादन या अनुरक्षण अथवा किसी कर्त्तव्य का अनुपालन कर सकेगी :

परन्तु उपायुक्त के पूर्वानुमोदन के सिवाय, पांच हजार रूपये से अधिक का कोई भी संकर्म पंचायत को नहीं सौंपा जाएगा, या उस द्वारा इसका जिम्मा नहीं लिया जाएगा।

अध्याय–4

ग्राम पंचायत के न्यायिक कृत्य और शक्तियां

30. कुछ मामलों में पंचों द्वारा भाग लेना वर्जित.–(1) कोई भी पंच ऐसे मामले, वाद या कार्यवाही में भाग नहीं लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका निकट सम्बन्धी नियोजित या कर्मचारी, या कारबार में भागीदार पक्षकार है या जिसमें इन में से कोई भी व्यक्तिगत तौर से हितबद्ध हों।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन निरर्हित पंचों की संख्या के कारण गणपूर्ति नहीं रहती है तो पंचायत मामले या वाद को, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर को, विधि के अनुसार निपटाने के लिए भेजेगी।

स्पष्टीकरणः– "निकट सम्बन्धि" से पिता, दादा, ससुर, मामा या चाचा, पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा, साला, पत्नि, बहन, बहनोई, माता, पुत्री, सास, बहू और पति अभिप्रेत हैं।

31. क्षेत्रीय अधिकारिता.–(1) [1][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)] में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक मामला उस सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

उसकी अनुपस्थिति में, उप–प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा, जिसमें ऐसा अपराध किया गया था।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या हिमाचल प्रदेश भू–अभिघृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) में किसी बात के होते भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थित प्रत्येक वाद, उस ग्राम सभा के क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान के समक्ष संस्थित किया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किए जाने के समय प्रतिवादी या प्रतिवादियों में से कोई, जहां वे एक से अधिक हों, साधारणतया रहता हो या कारबार करता हो, चाहे वाद हेतुक कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।

(3) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 48 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कार्यवाही सम्बन्धित राजस्व न्यायालय द्वारा, उस स्थानीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत को अन्तरित की जाएगी जिसमें सम्बन्धित भूमि स्थित है और ग्राम पंचायत विहित रीति से ऐसी कार्यवाहियों का विनिश्चय करेगी :

परन्तु जहां भूमि एक से अधिक ग्राम पंचायतों के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो, वहां सम्बन्धित राजस्व न्यायालय ऐसी कार्यवाहियां उस ग्राम पंचायत को अन्तरित करेगा, जिसमें भूमि का अधिकतर भाग स्थित हो।

32. ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध.– (1) अनुसूची–III में उल्लिखित या ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय राज्य सरकार द्वारा घोषित अपराध, यदि ग्राम पंचायत की अधिकारिता में किए जाते हैं तो, ऐसे अपराधों को करने का दुष्प्रेरण और प्रयत्न, ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय होंगे।

(2) [1][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 144] के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसे आवेदन पर तत्समय इस सम्बन्ध में प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [2][एक हजार रुपये] प्रतिमास से अनधिक भरण–पोषण भत्ता मंजूर कर सकेगी।

33. शास्तियां.– ग्राम पंचायत [3][एक हजार रुपये तक] का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी किन्तु मुख्य दण्डादेश के रूप में या जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में, कारावास का दण्डादेश नहीं देगी।

34. न्यायालयों द्वारा संज्ञान नहीं.– कोई भी न्यायालय, ऐसे किसी मामले या वाद अथवा कार्यवाहियों का जो इस अधिनियम के अधीन उस क्षेत्र के लिए स्थापित ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञय है, जिससे मामला, वाद या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

कार्यवाही संबंधित है, तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब कि धारा 67 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिया जाता है।

35. कुछ मामलों में दाण्डिक कार्यवाहियों का ग्राम पंचायत को अन्तरण.– यदि, मजिस्ट्रेट के समक्ष दाण्डिक मामले में लम्बित कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि मामला ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है, तो वह मामले को तुरन्त उस ग्राम पंचायत को अन्तरित करेगा जो मामले पर नए सिरे से सुनवाई करेगी।

36. परिवाद का संक्षिप्त निपटारा.– ग्राम पंचायत किसी परिवाद को खारिज कर सकेगी, यदि परिवादी का परीक्षण करने और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात्, जो वह पेश करे, इसका समाधान हो जाता है कि परिवाद तुच्छ, तंग करने वाला या असत्य है।

37. परिवाद को वापिस करना.– यदि, किसी समय ग्राम पंचायत को यह प्रतीत होता है कि:–

(क) उसे उसके समक्ष किसी मामले पर विचारण करने की अधिकारिता नहीं है ; या

(ख) अपराध ऐसा है जिसके लिए वह पर्याप्त दण्ड अधिनिर्णीत नहीं कर सकती है ; या

(ग) कि मामला ऐसे स्वरूप का या इतना जटिल है कि उस पर विचारण किसी नियमित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो वह उस परिवादी को, इसे ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने का निर्देश देते हुए जिसे ऐसे मामले पर विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त हो, परिवाद वापिस करेगी।

38. ग्राम पंचायत द्वारा कुछ व्यक्तियों का परीक्षण न किया जाना.– कोई भी ग्राम पंचायत किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगी जहां अभियुक्त को:–

(क) तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया हो ; या

(ख) [1][भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 303 (2)]के अधीन किसी ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही जुर्माना किया गया है या उक्त धारा के अधीन पहले ही न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादेष किया गया है ; या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) [1][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 128 या 129] के अधीन सदाचार के लिए बन्धित किया गया है ; या

(घ) जुए के लिए पहले ही सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ङ.) सरकारी सेवक है और वह कृत्य जिसके बारे में परिवाद किया गया है, उसकी पदीय हैसियत में किया गया है।

39. अभियुक्त को प्रतिकर.– यदि जांच के पश्चात् ग्राम पंचायत का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लाया गया मामला झूठा, तुच्छ या तंग करने वाला था तो, वह परिवादी को, ऐसा प्रतिकर जो [2][एक हजार रुपये] से अधिक नहीं होगा, जितना वह उचित समझे, अभियुक्त को देने के लिए आदेश दे सकेगी।

40. मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए मामलों की जांच.– मजिस्ट्रेट, [3][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 225] के अधीन, ग्राम पंचायत को, किसी भी मामले में जिसमें अपराध ऐसी ग्राम पंचायत की क्षेत्रीय अधिकारिता में किया गया हो, जांच करने का आदेश दे सकेगा और ग्राम पंचायत मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट उक्त मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी।

41. अधिकारिता का विस्तार.– (1) गाम पंचायत की अधिकारिता का विस्तारण निम्नलिखित प्रकार के किसी भी वाद पर होगा, यदि इसका मूल्य [4][पच्चीस हजार रुपये]से अधिक नहीं हैः–

(क) स्थावर सम्पत्ति की बाबत संविदा से भिन्न, संविदा पर देय धन के लिए वाद ;

(ख) जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए वाद ;

(ग) किसी जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्वक अधिपत्य में लेने या हानि पहुंचाने पर प्रतिकर के लिए वाद;

(घ) पशुओं के अतिचार द्वारा की गई क्षति के लिए वाद ; और

(ङ.) हिमाचल प्रदेश अभिघृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 58 की उप–धारा (3) के खण्ड (घ) और (झ) के अधीन वाद।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उप–धारा (1) में उल्लिखित किसी या सभी प्रकार के वादों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की धन सम्बन्धी अधिकारिता का, [1][पचास हजार रुपये]तक विस्तार कर सकेगी।

42. पक्षकारों के करार द्वारा अधिकारिता का विस्तारण.– वाद के पक्षकार, लिखित करार द्वारा,धारा 59 में उल्लिखित स्वरूप के किसी वाद को विनिश्चय के लिए ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट कर सकेंगे और ग्राम पंचायत विहित नियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन ऐसे वाद का अवधारण और निपटारा करेगी।

43. एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को मामले के अन्तरण के लिए आवेदन.– (1) इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि ग्राम पंचायत के समक्ष किसी दाण्डिक मामले या सिविल अथवा राजस्व वाद में कोई पक्षकार, अन्तिम आदेश या डिक्री सुनाने से पूर्व किसी स्तर पर, यह सूचित करता है कि वह इस धारा के अधीन, यथास्थिति न्यायिक मजिस्ट्रेट या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर को मामले या वाद के अन्तरण के लिए आवेदन पेश करने का आशय रखता है, तो ग्राम पंचायत आवेदक को, युक्तियुक्त समय के भीतर, जो पंचायत द्वारा नियत किया जाएगा, किन्तु जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा, ऐसा आवेदन करने का निर्देश देगी और मामले, वाद या कार्यवाहियों को ऐसी अवधि के लिए स्थगित करेगी जिससे आवेदन को पेश करने और उस पर आदेश अभिप्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ग्राम पंचायत से उसी पक्षकार की दूसरी या पश्चात्वर्ती सूचना पर मामले, वाद या कार्यवाही को स्थगित करने की अपेक्षा नहीं करेगी।

(2) यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर, ऐसे आवेदन पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए मामले, वाद या कार्यवाही को अपनी अधिकारिता के भीतर अन्य ग्राम पंचायत को अन्तरित कर सकेगी जो, यथास्थिति, मामले, वाद या कार्यवाही पर, विचारण या सुनवाई करेगी।

44. ग्राम पंचायत की अधिकारिता का अपवर्जन.– ग्राम पंचायत को निम्नलिखित में से किसी भी वाद का संज्ञान करने की अधिकारिता नहीं होगीः–

(क) भागीदारी लेखे की बाकी के लिए वाद ;

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग अथवा विल के अधीन वसीयत सम्पदा या वसीयत सम्पदा के भाग के लिए वाद ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) सरकार या लोक सेवक द्वारा या उसके विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में किए गए कृत्यों के लिए वाद ; और

(घ) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति द्वारा या उसके विरूद्ध वाद ।

45. वाद में सम्पूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना.–(1) ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित प्रत्येक वाद में, विवादग्रस्त विषय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दावा, जिसका वादी हकदार है, शामिल किया जाएगा, किन्तु वाद को ग्राम पंचायत की अधिकारिता में लाने के लिए वह अपने दावे का कोई भाग त्याग सकेगा।

(2) यदि वादी किसी दावे के भाग के बारे में दावा नहीं करता है या उसका कोई भाग छोड़ देता है, तो वह इस प्रकार लोप किए गए या छोड़े गए भाग के बारे में तत्पश्चात् दावा नहीं करेगा।

46. परिसीमा.– ग्राम पंचायत के समक्ष अनुसूची–4 में उसके लिए विहित परिसीमा की अवधि के पश्चात् संस्थित प्रत्येक वाद, खारिज कर दिया जाएगा, चाहे बचाव के लिए परिसीमा का सहारा न भी लिया गया हो :

परन्तु किसी वाद के लिए विहित परिसीमा कालावधि की संगणना करते समय, वह अवधि जिसके दौरान वादी ने किसी न्यायलय में सम्यक् तत्परता के साथ प्रतिवादी के विरुद्ध वाद का अभियोजन किया है, अपवर्जित की जाएगी, जहां ऐसी वाद उसी वाद हेतुक पर आधारित है और सद्भावपूर्वक ऐसे न्यायलय में अभियोजित किया था जो अधिकारिता के व्यतिक्रम में या इसी स्वरूप के अन्य कारण से इसे ग्रहण करने में असमर्थ था।

47. ग्राम पंचायत के विनिश्चय का प्रभाव.– ग्राम पंचायत का हक, विधिक स्वरूप, संविदा, या बाध्यता के प्रश्न पर विनिश्चय, पक्षकारों पर आबद्धकर नहीं होगा, सिवाय उस वाद के बारे में जिसमें ऐसे विषय का विनिश्चय किया जाए।

48. हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 46 के अधीन कार्यवाही.– (1) संबद्ध राजस्व न्यायालय, अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत को, यदि कोई हो, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 46 के अधीन समस्त आवेदन हस्तांतरित करेगी, यदि अपेक्षित राहत उस विधिपूर्ण अधिभोगी को कब्जा वापस दिलाया जाना है जिसे संबद्ध भू–राजस्व, न्यायालय के कार्यालय में आवदेन दाखिल करने की तारीख से पूर्वतन तीन मास की कालावधि के भीतर, भू–सम्पत्ति से दोषपूर्वक बे कबजा किया गया है :

परन्तु संबद्ध राजस्व न्यायालय, पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, ऐसे किसी आवदेन को उप–मण्डल अधिकारी को भेज सकेगा जो यह विनिश्चय करेगा कि आवेदन पंचायत को हस्तांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।

(2) राजस्व अधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन किसी कार्यवाही में तथ्य के प्रश्न पर ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मंगवा सकेगा।

49. राजस्व कार्यवाहियों में प्रक्रिया.– हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत, विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

50. पूर्व न्याय .– कोई भी ग्राम पंचायत किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में किसी वाद, कार्यवाही या विवाधक का विचारण नहीं करेगी जो विनिश्चय के लिए किसी पूर्ववर्ती वाद में उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष लम्बित है या जिसकी सुनवाई की जा चुकी है अथवा विनिश्चय कर लिया गया है।

51. दोहरा जोखिम .– जहां किसी अपराध के बारे में किसी न्यायालय में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला लम्बित है या जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए विचारण किया जा चुका है वहां कोई भी ग्राम पंचायत, किसी भी ऐसे अपराध या उन्ही तथ्यों पर आधारित किसी ऐसे अन्य अपराध का जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया है या उसे सिद्धदोष ठहराया गया है, संज्ञान नहीं करेगी।

52. संमवर्ती अधिकारिता.– जहां कोई मामला, वाद कार्यवाही एक से अधिक ग्राम पंचायतों में चलाने योग्य हो, वहां यथास्थिति, वादी या परिवादी अथवा आवेदक मामले, वाद या कार्यवाही को ऐसी ग्राम पंचायतों में से किसी एक में प्रस्तुत कर सकेगा। अधिकारिता के बारे में कोई विवाद, अधिकारिता रखने वाले, यथास्थिति, न्यायिक मजिस्ट्रेट, या उप–न्यायाधीश अथवा कलक्टर द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

53. वादों और मामलों का संस्थित किया जाना .– (1) कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप–प्रधान को मौखिक या लिखित आवेदन द्वारा कोई मामला या वाद ग्राम पंचायत के समक्ष संस्थित कर सकेगा और उसी समय विहित फीस भी संदत्त करेगा। हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का 8) ग्राम पंचायत को लागू नहीं होगा, सिवाय उसके जो विहित किया जाए।

(2) प्रत्येक वाद में वादी, उसके मूल्य का विवरण देगा।

54. परिवादों और आवेदनों के सार का लेखबद्ध किया जाना और न्यायपीठों की नियुक्ति .– (1) जहां कोई मामला, वाद या कार्यवाही मौखिक तौर पर संस्थित की जाती है, वहां परिवाद या आवेदन प्राप्त करने वाला प्रधान या उप–प्रधान अविलम्ब विहित विशिष्टियों को लेखबद्ध करेगा और उस पर परिवादी या आवेदक के हस्ताक्षर करवाएगा या अंगूठे का चिन्ह लगवाएगा।

(2) यथास्थिति, प्रधान या उसकी अनुपस्थित में उप–प्रधान उप–धारा (1) के अधीन परिवाद या आवेदन का रजिस्टर में सार लेखबद्ध करने पर, या

सम्बद्ध राजस्व न्यायालय के निर्देश पर, तीन पंचों से गठित ग्राम पंचायत का न्यायपीठ नियुक्त करेगा और उक्त परिवाद या आवेदन को, निपटाने के लिए उस न्यायपीठ को निर्दिष्ट करेगा और उक्त न्यायपीठ के समक्ष परिवाद या आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख भी नियत करेगा और तथाकथित तारीख की सूचना परिवादी, आवेदक और न्यायपीठ के पंचों को देगा :

परन्तु कोई भी पंच जो ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए उस वार्ड में ग्राम सभा का सदस्य है जिस वार्ड में, यथास्थिति, मामले के घटित होने का स्थान स्थित है या जिस वार्ड में वाद के लिए वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, न्यायपीठ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) वाद, मामले या कार्यवाही की पहली सुनवाई के लिए नियत तारीख को, उप–धारा (2) के अधीन, गठित न्यायपीठ, यदि प्रधान या उप–प्रधान इसका सदस्य नहीं है, एक पंच को कार्यवाही के संचालन के लिए उस न्यायपीठ का अध्यक्ष चुनेगा और यथास्थिति, वाद, मामले या कार्यवाहियों को विहित रीति में आरम्भ करेगा और उसकी सुनवाई करेगा।

(4) न्यायिक कृत्यों के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उसका एक न्यायपीठ भी होगा।

55. वादों और मामलों में पक्षकारों की अनुपस्थिति.– (1) यदि वादी, परिवादी या आवेदक, सुनवाई के लिए नियत समय और स्थान के सूचित किए जाने के पश्चात, हाजिर होने में असफल रहता है तो, ग्राम पंचायत वाद, मामले या कार्यवाही को खारिज कर सकेगी या ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

(2) ग्राम पंचायत, प्रतिवादी या विरोधी पक्षकार की अनुपस्थिति में वाद या कार्यवाही की सुनवाई कर सकेगी और उस पर विनिश्चिय कर सकेगी, यदि उस पर समन की तामील कर दी गई हो या यदि उसे सुनवाई के लिए नियत किए गए स्थान और समय की सूचना दे दी गई हो।

56. ग्राम पंचायत अपने विनिश्चय को पुनरीक्षित या परिवर्तित नहीं करेगी.– (1) उप–धारा (2) में यथा उपबंधित या लेखन भूल को सही करने के सिवाय, ग्राम पंचायत को, उस द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश को रदद्, पुनरीक्षित या उसमें कोई परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी।

(2) डिक्री या आदेश पारित किए जाने या उसकी जानकारी की तारीख से एक मास के भीतर आवेदन करने पर, यदि समन की व्यक्तिगत तामील न हुई हो, तो ग्राम पंचायत पर्याप्त कारणों पर जो लेखबद्ध किए जाऐंगे, किसी वाद या कार्यवाही को जो व्यतिक्रम में खारिज कर दी गई हो, प्रत्यावर्तित कर सकेगी या एकतरफा डिक्री या पारित आदेश को उपास्त कर सकेगी।

57. किसी भी विधि व्यवसायी का हाजिर न होना.– कोई विधि व्यवसायी किसी वाद, मामले या कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर, पैरवी या कार्य नहीं करेगा।

58. व्यक्तिगत रूप में या प्रतिनिधि के द्वारा हाजरी.– धारा 57 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वाद, मामले या कार्यवाही का कोई पक्षकार, ग्राम पंचायत के समक्ष या तो व्यक्तिगत तौर पर या उस द्वारा प्राधिकृत और ग्राम पंचायत द्वारा उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात सेवक (जो दलाल या याचिका लेखक न हो), भागीदार या रिश्तेदार द्वारा हाजिर हो सकेगा।

59. समझौता.– (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत, उसकी स्थानीय क्षेत्र में, उत्पन्न होने वाले किसी सिविल या राजस्व विवाद का जो किसी न्यायालय में लम्बित न हो, पक्षकारों द्वारा स्वीकृत किसी निपटारे या समझौते या शपथ के अनुसार विनिश्चय कर सकेगी और इसी प्रकार किसी ऐसे मामले का जो शमनीय हो, विनिश्चय कर सकेगी।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, उप–धारा (1) के अधीन इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग, ऐसे वादों, मामलों या कार्यवाहियों के बारे में करेगी जिनके संदर्भ में, इसे विनिश्चय करने की शक्ति है।

60. सच्चाई अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया और शक्ति.– (1) ग्राम पंचायत, किसी वाद, मामले या कार्यवाही में ऐसे साक्ष्य लेगी जैसे पक्षकार पेश करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य मांग सकेगी जो उसकी राय में, विवाद या विवाद प्रश्नों के अवधारण के लिए आवश्यक हों।

(2) ग्राम पंचायत उस गांव में, जिससे विवाद संबंधित है, स्थानीय अन्वेषण कर सकेगी।

(3) ग्रम पंचायत के समक्ष लाए गए प्रत्येक वाद, मामले या कार्यवाही के तथ्यों को अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक विधिपूर्ण साधन द्वारा अभिनिश्चित करना और उसके पश्चात् लागत सहित या रहित ऐसी डिक्री या आदेश करना जो यह न्यायसंगत और विधिपूर्ण समझे, इसका कर्तव्य होगा।

(4) ग्राम पंचायत इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), [1][भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, (2023 का 47) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)] और भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36), ग्राम पंचायत के समक्ष किसी वाद, मामले या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे, सिवाय उसके जैसा कि इस अधिनियम में उपबन्धित है या जो विहित किया जाए।

61. बहुमत का अभिभावी होना.– किसी अपराधिक मामले, वाद या कार्यवाही का विनिश्चय करते समय पंचो के बीच मतभेद की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

62. वादों आदि का खारिज किया जाना.– ग्राम पंचायत किसी वाद या कार्यवाही को खारिज कर सकेगी, यदि वादी या आवेदक का परीक्षण करने के पश्चात् इसका समाधान हो जाता है कि वाद या मामला तुच्छ, तंग करने वाला या असत्य है।

63. प्रतिवादी या अभियुक्त को समन.– ग्राम पंचायत, धारा 53 के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात्, यदि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खारिज या अन्यथा निपटाया न गया हो, विहित रीति से, विहित प्ररूप में प्रतिवादी या अभियुक्त अथवा विरोधी पक्षकार पर समन तामील करवाएगी जिसमें उससे ऐसे समय और स्थान पर जैसा कि समन में वर्णित हो, हाजिर होने और अपना साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जाएगी और उसी समय वादी या परिवादी अथवा आवेदक को उक्त समय या स्थान पर हाजिर होने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देगी।

64. अभियुक्त का हाजिर होने में असफल रहना.–(1) यदि अभियुक्त हाजिर होने में असफल रहता है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत निकटतम मैजिस्ट्रेट को इस तथ्य की रिपोर्ट देगी।

(2) मैजिस्ट्रेट उप–धारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभियुक्त की गिरफतारी के वारंट जारी करेगा और वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा निर्देश देगा कि यदि ऐसा व्यक्ति उसके समक्ष अपनी हाजरी के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियों सहित [1][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 7] द्वारा उपबन्धित रीति से बन्ध पत्र निष्पादित कर देता है तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा।

(3) जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तो वह उसे, ग्राम पंचायत, प्रधान या उप–प्रधान अथवा किसी पंच के समक्ष ऐसी तारीख को हाजिर होने के लिए, जिसे वह निर्दिष्ट करें, प्रतिभू सहित या रहित बन्धपत्र निष्पादित करने और तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होते रहने का निर्देश देगा जैसाकि ऐसे व्यक्ति या ग्राम पंचायत द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(4) ऐसा बन्धपत्र निष्पादित करने में असफल रहने पर मजिस्ट्रेट यह आदेश करेगा कि अभियुक्त को उप–धारा (3) में उल्लिखित व्यक्ति या ग्राम पंचायत के समक्ष पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसी तारीख को, जैसी वह निर्दिष्ट करें, अभिरक्षा में पेश किया जाएगा।

(5) यदि अभियुक्त उप–धारा (3) के अधीन बन्धपत्र निष्पादित करने के पश्चात्, ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में सफल रहता है तो, ग्राम पंचायत इस तथ्य की रिपोर्ट उस मैजिस्ट्रेट को देगी जिसके समक्ष बन्धपत्र निष्पादित किया गया था, और ऐसा मैजिस्ट्रेट [2][**भारतीय नागरिक सुरक्षा**

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 34] के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

65. साक्षियों को समन जारी करना.– ग्राम पंचायत के विचार में यदि किसी वाद, मामले या कार्यवाही में किसी व्यक्ति की गवाही या उस द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो तो वह ऐसे व्यक्ति को हाजिर होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने या करवाने के लिए विवश करने के लिए, विहित रीति से समन जारी कर सकेगी और उसकी तामील करवा सकेगी और ऐसा व्यक्ति समन में दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

66. ग्राम पंचायत के समक्ष हाजिर होने में असफल रहने के लिए शास्तियां.– यदि कोई व्यक्ति जिसे ग्राम पंचायत द्वारा लिखित आदेश द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया गया हो, ऐसे समन या नोटिस अथवा आदेश की जानबूझ कर अवज्ञा करता है तो ग्राम पंचायत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास परिवाद कर सकेगी और तथाकथित व्यक्ति जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पच्चीस रूपये तक का हो सकेगा :

परन्तु किसी भी महिला को ग्राम पंचायत के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उसका परीक्षण कमीशन द्वारा विहित रीति से किया जा सकेगाः

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन जारी किए गए समन के आज्ञानुवर्तन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो ग्राम पंचायत उसकी प्रति करवाएगी और मौलिक दस्तावेज से मिलान करने के पश्चात् प्रति पर यह लिख देगी कि वह मौलिक दस्तावेज की शुद्ध प्रति है और मौलिक दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को वापस कर देगी।

67. अपील.– ग्राम पंचायत के न्यायपीठ के आदेश या डिक्री से व्यथित, कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या डिक्री की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, किसी भी वाद या मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट/उप–न्यायधीश को और हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी कार्यवाही के बारे में संबंधित कलक्टर को, अपील कर सकेगा।

68. ग्राम पंचायत की डिक्री या आदेश की अन्तिमता.– इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाद, मामले या कार्यवाही से पारित डिक्री या आदेश, धारा 67 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

69. तुच्छ अपीलें.– यदि धारा 67 के अधीन कोई आवेदन तुच्छ हो, तो अपीलार्थी को, यथास्थिति, सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप–न्यायाधीश या कलक्टर द्वारा पचास रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

70. डिक्री के संदाय या समायोजन का लेखबद्ध किया जाना.– यदि डिक्रीदार या निर्णीत ऋणी के आवेदन पर जांच करने के पश्चात् डिक्री

पारित करने वाली ग्राम पंचायत यह निष्कर्ष निकालती है कि डिक्री पूर्णतया या अंशतः तुष्ट की जा चुकी है, तो ग्राम पंचायत इस तथ्य को विहित रजिस्टर में लेखबद्ध करेगी।

71. डिक्रियों का निष्पादन.— (1) ग्राम पंचायत द्वारा पारित डिक्री या आदेश का ऐसी रीति में निष्पादन किया जाएगा, जो विहित की जाए। यदि प्रतिवादी [1]{या प्रत्यर्थी, यथास्थिति,} की सम्पत्ति, आदेश या डिक्री पारित करने वाली ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर हो, तो वह डिक्री या आदेश को विहित रीति में, निष्पादन के लिए उस ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित हो, और यदि ऐसी ग्राम पंचायत न हो, तो उस उप–न्यायाधीश [2]{या न्यायिक मजिस्ट्रेट} को, जिसकी अधिकारिता में सम्पत्ति स्थित हो, अन्तरित कर सकेगी और, यथास्थिति, उक्त ग्राम पंचायत या उप–न्यायाधीश [3]{या न्यायिक मजिस्ट्रेट} डिक्री या आदेश का निष्पादन करेगा मानो यह इस या उस द्वारा पारित डिक्री या आदेश हो।

[4]{(2) यदि ग्राम पंचायत को किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कोई कठिनाई आती है तो वह उसे सम्बन्धित उप–न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकेगी और, यथास्थिति, उप–न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट डिक्री या आदेश को ऐसे निष्पादित करेगा मानों कि वह उस द्वारा पारित डिक्री या आदेश था।}

(3) हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन आदेश, यथा संभव, निष्पादित किया जाएगा, जैसा कि उप–धारा (1) और (2) में उपबंधित है। उप–धारा (2) को ऐसे पढ़ा जाएगा और इसका ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो कि "उप–न्यायाधीश" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध कलक्टर" शब्द रखे गए हो।

72. जुर्माने की वसूली .— किसी मामले में ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित जुर्माना, विहित रीति से बसूल किया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत को वसूली करने में कोई कठिनाई आती है तो यह उस न्यायिक मजिस्ट्रेट से वसूली के लिए अनुरोध कर सकेगी जिस की अधिकारिता में ग्राम पंचायत स्थित है और वह इसे ऐसे बसूल करेगा मानो कि जुर्माने का दण्डादेश उस द्वारा पारित किया गया हो।

73. ग्राम पंचायत को संरक्षण .— ग्राम पंचायत के सदस्यों पर, इस द्वारा या उन द्वारा न्यायिक हैसियत में किए गए कृत्यों के बारे में न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (1850 का 18) के उपबन्ध लागू होंगे।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा जोड़े गए।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 10) द्वारा उप–धारा (2) प्रतिस्थापित की गई।

74. ग्राम पंचायतों के प्रति पुलिस के कर्त्तव्य.— प्रत्येक पुलिस अधिकारी, उसकी जानकारी में आने वाले अपराध की विहित रीति से उस ग्राम पंचायत को, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया हो और जो ग्राम पंचायत द्वारा विचारणीय है तत्काल सूचना देगा और ग्राम पंचायत के सभी पंचों और सेवकों को उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करेगा।

75. फीस और जुर्माने आदि के आगम.— ग्राम पंचायत द्वारा विचार किए गए निपटाए गए किसी मामले, वाद या कार्यवाही में न्यायालय फीस के तौर पर या जुर्माने के तौर पर उद्गृहीत सारी राशि राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से ग्राम पंचायत को सौपी जाएगी।

76. ग्राम पंचायत द्वारा दोषसिद्धि का पूर्वदोषसिद्धि न होना.— ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी दोषसिद्धि, [1][भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 13 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 394 या 401] के प्रयोजन के लिए पूर्व दोषसिद्धि नहीं मानी जाएगी।

अध्याय–5

पंचायत समिति

77. पंचायत समिति की स्थापना.— प्रत्येक खण्ड के लिए एक पंचायत समिति होगी जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, खण्ड के ऐसे भाग को अपवर्जित करके जो तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका में शामिल किया गया है, पूर्ण खण्ड पर होगीः

[2]{×××××××××××××××××××××××××}

78. पंचायत समिति का गठन.— (1) प्रत्येक पंचायत समिति का गठन निम्नलिखित से होगाः—

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;

(ख) उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य जिसमें पंचायत समिति पूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है ;

(ग) राज्य सभा के सदस्य, जहां वे पंचायत समिति क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2]. हिमाचल पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम,1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा उप–धारा (2) का लोप किया गया ।

(घ) पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के प्रधानों का पंचम भाग लाट द्वारा चक्रानुक्रम से ऐसी अवधि के लिए जो विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएः

परन्तु वह प्रधान जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य था, प्रधान के रूप में अपनी शेष पदावधि के दौरान दूसरी अवधि के लिए सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा;

[1]{(ङ) वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला परिषद् का सदस्य, जिसमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है। }

(2) ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत समिति के अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायत समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा सिवाए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और हटाए जाने के, जिसमें केवल निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।

(3) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, पंचायत समिति क्षेत्र में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से पंचायत समिति के प्रत्येक [2]{तीन हजार पांच सौ} की जनसंख्या और उसके भाग के लिए एक सदस्य के अनुपात से निर्वाचित व्यक्तियों, से मिल कर बनेगी, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर अधिूसचित की जाए :

परन्तु पंचायत समिति के [3]{बावन हजार पांच सौ} से अनधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कम से कम 15 निर्वाचित सदस्य होंगेः

परन्तु यह और कि जहां पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या [4]{एक लाख चालीस हजार} से अधिक है, वहां इसे ऐसी रीति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा ताकि कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या चालीस से अधिक न हो और जहां तक व्यवहार्य हो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या समान रहे :

परन्तु यह और कि सरकार, पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या पर विचार किए बिना, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत समिति को ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जैसे इस द्वारा ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा खण्ड (ङ) अंतःस्थापित किया गया ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्द "तीन हजार" के लिए रखे गए।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्द "पंतालिस हजार" के लिए रखे गए।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्द "एक लाख बीस हजार" के लिए रखे गए।

स्पष्टीकरणः– इस धारा की उप–धारा (3) के प्रयोजन के लिए, स्थान नियत करने के लिए, जनसंख्या का अवधारण करने के लिए, "उसके भाग" शब्दों से, आधे से कम को छोड़कर एक के निकटतम गुणज तक, और आधे या उससे अधिक को एक गिन कर, गणना अभिप्रेत है।

(4) पंचायत समिति में निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगेः–

(क) अनुसूचित जाति ; और

(ख) अनुसूचित जनजाति ;

और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का, उस पंचायत समिति में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा जो उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का या उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थानों का पंचायत समिति के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

[1]{(5) उप–धारा (4) के अधीन, आरक्षित स्थानों की, कुल संख्या [2]{की आधी}, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

(5–क) प्रत्येक पंचायत समिति में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या [3]{की आधी}(जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है) महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। }

(6) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका पंचायत समिति में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग से संबधित व्यक्तियों की जनसंख्या के, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो और इस उप–धारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के [4]{आधे} स्थान पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 20000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर उपधाराऐं (5) तथा (5–क) रखी गई ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

(7) उप–धारा (4), [1]{(5), (5–क)} और उप–धारा (6) के अधीन आरक्षित स्थानों का पंचायत समिति के क्षेत्र के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

79. पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन .— (1)पंचायत समिति के निर्वाचन के विहित रीति में परिणामों की उद्‌घोषणा के पश्चात्, सम्बन्धित उपायुक्त, या उस द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया कोई राजपत्रित अधिकारी, यथाशक्यशीघ्र, किन्तु ऐसी घोषणा से एक सप्ताह के अपश्चात्, अपनी अध्यक्षता के अधीन धारा 127 के अधीन शपथ या निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

(2) धारा 127 के अधीन शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञान देने या लेने के ठीक पश्चात् पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, विहित रीति से, इसके सदस्यों में से किसी एक सदस्य को पंचायत समिति का अध्यक्ष और अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगे :

[2]{परन्तु यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद उसकी पदावधि के दौरान रिक्त किया जाता है या मृत्यु हो जाने, त्याग–पत्र दिए जाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर, विहित रीति में, उसी प्रवर्ग से नया निर्वाचन करवाया जाएगा।}

80. बैठकें .—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पंचायत समिति की बैठक या तो, साधारण या विशेष होगी। पंचायत समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) पंचायत समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए साधारणतया प्रति वर्ष कम से कम चार बार बैठकें करेगी और किन्हीं दो आनुक्रमिक बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का समय बीतने नहीं दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक बैठक का नोटिस उसमें उसका समय, स्थान और उसमें किए जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट करते हुए , पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को साधारण बैठक से कम से कम पूर्ण दस दिन पूर्व और विशेष बैठक से पूर्ण सात दिन पूर्व भेजा जाएगा और पंचायत समिति के कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु जब लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन हो तो, इस उप–धारा में विनिर्दिष्ट समय–सीमा की अपेक्षा में प्राधिकारी के अनुमोदन से छूट दी जा सकेगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा कोष्ट और अंक "(5)" के स्थान पर रखे गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया।

(4) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब भी वह उचित समझे और पंचायत समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अध्यापेक्षा किए जाने पर, या जिला परिषद् या उपायुक्त द्वारा अपेक्षा करने पर, लिखित अध्यापेक्षा की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा।

(5) पंचायत समिति की कोई बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सम्मति से किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित की जा सकेगी, किन्तु आगामी बैठक में स्थगित बैठक के शेष कार्य से अन्यथा कार्य नहीं किया जाएगाः

[1]{परन्तु स्थगित बैठक के लिए अतिरिक्त कार्यसूची सम्मिलित की जा सकेगी यदि वह स्थगित बैठक की तारीख को या स्थगित बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अधिसूचित की जाती है :

परन्तु यह और भी कि जब गणपूर्ति की कमी के कारण विशेष बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित विशेष बैठक की तारीख से एक मास के भीतर, सदस्यों को पन्द्रह दिन का नोटिस देकर नई स्थगित विशेष बैठक बुलाई जाएगी। }

(6) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, यदि उपस्थित हो तो अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष और यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो, उसके सदस्य द्वारा, की जाएगी जो सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएं।

(7) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय पंचायत समिति की किसी बैठक के समक्ष आने वाले प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(8) पंचायत समिति द्वारा अन्तिम रूप से निपटाए गए किसी विषय पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए, इसके कुल सदस्यों के कम से कम दो–तिहाई सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो या जब तक जिला परिषद् या निदेशक द्वारा इस पर पुनः विचार करने का निर्देश न दिया गया हो।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बिरचित नियमों के अधीन रहते हुए पंचायत समिति की बैठक में काम काज के संव्यवहार के लिए निम्नलिखित गणपूर्ति होगीः–

(क) यदि यह साधारण बैठक है, तो मत देने का अधिकार रखने वाले इसके आधे सदस्य; और

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़े गए ।

(ख) यदि यह विशेष बैठक है, तो मत देने का अधिकार रखने वाले इसके दो तिहाई सदस्य।

81. पंचायत समिति के कृत्य .— इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए और समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जहां तक पंचायत समिति निधि के अनुसार हो सके, निम्नलिखित मामले के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था करना पंचायत समिति का कर्त्तव्य होगाः—

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मच्छली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक निर्माण, सहकारिता, कुटीर–उद्योग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन और खेलकूद और ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम ;

(ख) अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकम्प, दुर्भिक्ष, टिड्डी–दल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा कारित कष्टों की दशाओं में आपात् राहत की व्यवस्था ;

(ग) स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्योहारों से सम्बन्धित इन्तजाम ;

(घ) सार्वजनिक नौघाटों का प्रबन्ध ;

(ड.) सार्वजनिक मण्डियों, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबन्ध ; और

(च) राज्य सरकार या जिला परिषद् के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य।

82. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का पंचायत समिति को सौंपना.— (1) राज्य सरकार किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में जिनमें सरकार का कार्यकारी प्राधिकार हैं, कृत्यों को या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौपें गए कृत्यों को, पंचायत समिति को सौंप सकेगी और पंचायत समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। उसे ऐसे कृत्यों को करने की आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन कृत्य पंचायत समिति को सौंपे गए हों, वहां पंचायत समिति ऐसे कृत्यों के निर्वहन में सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा, पंचायत समिति को इस धारा के अधीन सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो आवश्यक समझी जाए।

(4) पंचायत समिति, इस धारा के अधीन उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या इस द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी के साधारण नियन्त्रण में होगी और समय–समय पर इसे दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।

83. पंचायत समिति के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियां.– (1) अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन को पंचायत समितियों को सौंप सकेगी और जिसके अन्तर्गत अनसूची–।। में सूचीबद्ध स्कीमें भी है।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पंचायत समिति को अतिरिक्त कृत्य सौप सकेगी या इसे सौंपे गए कृत्यों और कर्त्तव्यों को वापस ले सकेगी। जब राज्य सरकार पंचायत समिति को सौंपे गए किन्ही कृत्यों के कार्यान्वयन का जिम्मा ले ले तो, पंचायत समिति तब तक ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जब तक राज्य सरकार ऐसे कृत्यों को पुनः पंचायत समिति को नहीं सौंप देती है।

84. स्थायी समितियां.– (1) पंचायत समिति की निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगी:–

(क) साधारण स्थायी समिति।

(ख) वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति।

(ग) सामाजिक न्याय समिति।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों में से, अध्यक्ष सहित सात से अनाधिक सदस्यों की ऐसी संख्या से गठित होगी जो पंचायत समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

[1]{परन्तु प्रत्येक स्थायी समिति की अवधि ढाई वर्ष होगी।}

(3) अध्यक्ष, साधारण स्थायी समिति और वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा :

परन्तु यदि उपाध्यक्ष पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करे तो सामाजिक न्याय समिति के सदस्य अपने में से, इसके अध्यक्ष का निर्वाचन करेगें।

(4) पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य दो से अधिक स्थायी समितियों में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक स्थायी समिति का पदेन सचिव होगा।

85. स्थायी समितियों के कृत्य.– (1) साधारण स्थायी समिति स्थापन विषयों, संचार, भवन ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार, प्राकृतिक विपति के लिए

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया ।

राहत, जल आपूर्ति और सभी अवशिष्टीय विषयों से सम्बन्धित, कृत्यों का पालन करेगी।

(2) वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति, पंचायत समिति के वित्त से संबंधित बजट बनाने, राजस्व की बृद्धि के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करने, प्राप्ति और व्यय की विवरणी के परीक्षण, पंचायत समिति के वित्त को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करने और पंचायत समिति के राजस्व तथा व्यय का साधारण अधीक्षण करने और सहकारिता लघु बचत स्कीम से सम्बन्धित कृत्यों तथा खण्ड के विकास से सम्बन्धी किसी अन्य कृत्य का पालन करेगी।

(3) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित कृत्य करेगीः—

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और समाज में अन्य कमजोर वर्गो की शिक्षा, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की अभिवृद्धि ;

(ख) सामाजिक अन्याय और अन्य प्रकार के सभी शोषणों से उनका संरक्षण ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गो की बेहतरी ;

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गो को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

(4) स्थायी समिति उक्त निर्दिष्ट कृत्यों का पालन पंचायत समिति द्वारा इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के विस्तार तक करेगी।

86. स्थायी समितियों की प्रक्रिया.— (1) पंचायत समिति धारा 187 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समितियों के सदस्यों के निर्वाचन, उनमें कामकाज के संचालन और उनसे सम्बन्धित अन्य सभी विषयों से सम्बन्धित उप—विधियां बना सकेगी।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, समिति के कार्य के बारे में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई जानकारी, विवरणी, कथन लेखा या रिपोर्ट मंगवाने और पंचायत समिति की किसी जंगम सम्पत्ति या समिति के कार्य से सम्बन्द्ध चल रहे संकर्म में प्रवेश करने और इसका निरीक्षण करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक समिति, समिति के कार्य से सम्बद्व पंचायत समिति के किसी अधिकारी से, अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करने की हकदार होगी। समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव नोटिस जारी करेगा और अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

87. सलाहकार समितियां.—(1) धारा 84 के अधीन स्थायी समितियों के अतिरिक्त पंचायत समिति, समय समय पर अपने सदस्यों में से एक या एक से अधिक, ऐसी संख्या के व्यक्तियों से गठित, समितियां नियुक्त कर

सकेगी, और ऐसी समितियों को इस अधिनियम के प्रयोजन से सम्बन्धित ऐसे विशेष विषयों की जांच और रिपोर्ट या राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी, जो वह उचित समझें।

(2) पंचायत समिति के किसी क्षेत्र के किसी भाग के लिए वह उन व्यक्तियों से गठित समितियां, जो ऐसे क्षेत्र में निवास करते हों, ऐसे क्षेत्र में इसके प्रभार से किसी संस्थान के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए या ऐसे क्षेत्र में इसके द्वारा किए जाने वाले किन्ही स्थानीय कार्यों या उपायों को कार्यन्वित करने के लिए, समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(3) ऐसी समितियों का गठन, पदावधि, कर्त्तव्य और प्रक्रिया और ऐसी समितियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसी होगी जो पंचायत समिति द्वारा बनाई गई उप–विधियों द्वारा अधिकथित की जाए।

(4) उप–धारा (3) के अधीन बनाई गई किसी उप–विधि में किसी बात के होते हुए भी, पंचायत समिति, किसी भी समय उप–धारा (2) के अधीन गठित समिति को विघटित कर सकेगी और इसके स्थान पर कोई अन्य समिति, पुर्नगठित कर सकेगी।

अध्याय–6

जिला परिषद्

88.(1) जिला परिषद् की स्थापना.– प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जिसकी अधिकारिता जिले के ऐसे भाग को अपवर्जित करके जो तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका में शामिल किया गया हो, सम्पूर्ण जिले पर होगीः

[1]{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}

89. जिला परिषद् का गठन.– (1) प्रत्येक जिला परिषद का गठन निम्नलिखित से होगाः–

(क) इस अधिनियम के अधीन जिले में अवधारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;

(ख) सम्पूर्ण जिले या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा सदस्य और विधान सभा सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले में आते हैं ;

(ग) राज्य सभा के सदस्य, जहां से वे जिले में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(घ) जिले में पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष :

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997, (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

परन्तु जब तक खण्ड (ख), (ग) और (घ) के अधीन सदस्यों की कुल संख्या खण्ड (क) के अधीन के कुल सदस्यों की संख्या से अधिक हो जाए तो, खण्ड (घ) के अधीन केवल सदस्यों के पांचवें भाग को चक्रानुक्रम में, लाट द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए ऐसी अवधि के लिए चयनित किया जाएगा जैसी विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए कि अध्यक्ष जो इस खण्ड के अधीन एक अवधि के लिए सदस्य था, पंचायत समिति के अध्यक्ष के रूप में उसकी शेष पदावधि के दौरान, दूसरी अवधि के लिए सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिले में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर, [1]{पच्चीस हजार} या उसके भाग की जनसंख्या के लिए एक सदस्य के हिसाब से, अधिसूचित की जाए :

परन्तु [2]{दो लाख पचास हजार} से अनधिक जनसंख्या वाले जिले में, जिला परिषद में कम से कम दस निर्वाचित सदस्य होंगे :

परन्तु यह और कि सरकार जिले की जनसंख्या पर विचार किए बिना, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि इस धारा के उपबन्ध ऐसे अपवादों और उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुसूचित क्षेत्र में जिला परिषद् को लागू होंगे।

[3][परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, भौगोलिक अवस्थान, परिवहन और संचार के साधनों की कमी तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पच्चीस हजार से कम जनसंख्या वाली पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी।]

(3) जिला परिषद के सभी सदस्यों को, चाहे वे जिला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित किए गए हों या नहीं, जिला परिषद् की बैठक में मत देने का अधिकार होगा सिवाय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन या हटानें के जिसमें केवल निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार होगा।

(4) जिला परिषद् में, निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगेः–

(क) अनुसूचित जाति ; और

(ख) अनुसूचित जनजाति ;

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "बीस हजार" शब्दों के स्थान रखे गए ।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "दो लाख" शब्दों के स्थान रखे गए ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 14) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया (विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.1.25 को प्रकाषित)।

और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का जिला परिषद् में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुछ स्थानों की संख्या से अनुपात, यथाशक्य निकटतम, वही होगा जो जिले में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, जिले की कुल जनसंख्या से है।

[1]{(5) उप–धारा (4) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या[2]{की आधी}, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।

(5–क) प्रत्येक जिला परिषद् में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या [3]{की आधी} (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है), महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।}

(6) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला परिषद् में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए स्थानों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिसका जिला परिषद् में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या से अनुपात, उस जिला परिषद् में पिछड़े वर्ग से सम्बधित व्यक्तियों की जनसंख्या के उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो और इस उप–धारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के [4]{आधे} स्थान पिछड़े वर्ग से सम्बधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

(7) उप–धारा (4), [5]{(5), (5–क)} और (6) के अधीन आरक्षित स्थानों का जिले के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन चक्रानुक्रम से, ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

90. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन.–(1) परिणाम की घोषणा के पश्चात् उपायुक्त यथाशक्यशीघ्र किन्तु ऐसी घोषणा से एक सप्ताह के अपश्चात् अपनी अध्यक्षता में धारा 127 के अधीन शपथ लेने या निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजन के लिए, जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाएगा।

(2) धारा 127 के अधीन शपथ या निष्ठा का प्रतिज्ञान देने या लेने के ठीक पश्चात् जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, विहित रीति में अपने में से, किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेंगेः

---

1. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा उपधाराएं (5) और (5–क) प्रतिस्थापित की गई ।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

3. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

4 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

5 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा कोष्ठ और अंक "(5)" के स्थान पर रखे गए ।

[1]{परन्तु यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद उसकी पदावधि के दौरान रिक्त किया जाता है या मृत्यु हो जाने, त्याग–पत्र दिए जाने या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो रिक्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर विहित रीति में उसी प्रवर्ग से नया निर्वाचन करवाया जाएगा।}

91. जिला परिषद् की बैठकें.–(1) जिला परिषद् की बैठक या तो साधारण या विशेष होगी। इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय जिला परिषद् की बैठकें अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) जिला परिषद् अपने कारबार के संव्यवहार के लिए साधारणतया प्रति वर्ष अपने मुख्यालय में कम से कम चार बार बैठकें करेगी और किन्हीं दो अनुक्रमिक बैठकों के बीच तीन मास से अधिक का समय बीतनें नहीं दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक बैठक का नोटिस उसमें उसका समय, स्थान और उसमें संव्यवहारित किए जाने वाले कार्य को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को साधारण बैठक से कम से कम पूर्ण दस दिन पूर्व और विशेष बैठक से पूर्ण सात दिन पूर्व भेजा जाएगा और जिला परिषद् के कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा :

परन्तु जब लोक हित में ऐसा करना समीचीन हो, तब इस उप–धारा में विनिर्दिष्ट समय सीमा से विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से छूट दी जा सकेगी।

(4) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जब भी वह उचित समझें और जिला परिषद् के कुल सदस्यों के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर या यदि सरकार या निदेशक द्वारा अपेक्षा की जाए, तो लिखित अध्यपेक्षा की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा।

(5) जिला परिषद् की कोई बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित की जा सकेगी, किन्तु आगामी बैठक में स्थगित बैठक के शेष कार्य से अन्यथा कार्य संव्यवहारित नहीं किया जाएगा :

[2]{परन्तु स्थगित बैठक के लिए अतिरिक्त कार्यसूची सम्मिलित की जा सकेगी यदि वह स्थगित बैठक की तारीख को या स्थगित बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम सप्ताह पूर्व अधिसूचित की जाती है :

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़े गए ।

परन्तु यह और भी कि जब गणपूर्ति की कमी के कारण विशेष बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित विशेष बैठक की तारीख से एक मास के भीतर, सदस्यों को पन्द्रह दिन का नोटिस देकर नई स्थगित विशेष बैठक बुलाई जाएगी। }

(6) जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, यदि उपस्थित हों तो अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा और यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो इसके ऐसे सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी जो सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाए।

(7) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला परिषद् की किसी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(8) जिला परिषद् द्वारा अन्तिम रूप से निपटाए गए किसी विषय पर तब तक पुनःविचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके लिए, इसके कुल सदस्यों के तीन–चौथाई से अन्यून सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त न कर ली गई हो या जब तक सरकार या निदेशक द्वारा इस पर पुनः विचार करने का निर्देश न दिया गया हो।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् की बैठक में काम–काज के संव्यवहार के लिए निम्नलिखित से गणपूर्ति होगीः–

(क) यदि यह साधारण बैठक है, तो मत देने का अधिकार रखने वाले इसके आधे सदस्य ; और

(ख) यदि यह विशेष बैठक है, तो मत देने का अधिकार रखने वाले इसके दो तिहाई सदस्य।

92. जिला परिषद् के कृत्य .– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगाः–

(i) जिले में पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का नियन्त्रण, समन्वय, और मार्गदर्शन करना;

(ii) पंचायत समितियों योजनाओं का समन्वय और समेकन करना ;

(iii) विशेष प्रयोजनों के लिए पंचायत समितियों से प्राप्त अनुदान मांगों का समन्वय करना और उन्हें राज्य सरकार को प्रेषित करना ;

(iv) जिले में दो या उसके अधिक पंचायत समितियों की सांझी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीमों या अन्य संकर्मों के निष्पादन को सुनिश्चित करना ;

(v) राज्य सरकार को विकास क्रियाकलापों, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, असमर्थ निराश्रितों, महिला और युवा तथा शिशु कल्याण और खेलकूद के बारे में, परामर्श देना ;

(vi) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और पालन करना जो राज्य सरकार इसे प्रदत्त करें या सौंपे।

[1]{(vii)विकास कार्यों हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों का वितरण करना और ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।}

(2) दो या अधिक समीपस्थ, जिलों की जिला परिषदें संयुक्त रूप से ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन जो आपस में करार पाई जाए , विकास स्कीमों का जिम्मा ले सकेगी और कार्यान्वयन कर सकेगी।

93. राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जिला परिषद् को सौंपना.– (1) राज्य सरकार किसी मामले के सम्बन्ध में जिसमें सरकार का कार्यपालन प्राधिकार है, कृत्यों को या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार को सौपें गए कृत्यों को, जिला परिषद् को सौंप सकेगी और जिला परिषद् ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। उसे ऐसे कृत्यों को करने की आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन कृत्य जिला परिषद् को सौंपे गए हों, वहां जिला परिषद्, ऐसे कृत्यों के निर्वहन में सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा, जिला परिषद् को इस धारा के अधीन सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी राशि संदत्त की जाएगी, जो आवश्यक समझी जाए।

(4) जिला परिषद् इस धारा के अधीन उसे सौपें गए कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार [2]{×××××××××} के साधारण नियन्त्रण में होगी और समय–समय पर इसे दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।

94. जिला परिषद् के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शक्तियां.– (1) अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन को जिला परिषदों को सौंप सकेगी, जिसके अन्तर्गत अनुसूची–2 में सूचीबद्ध स्कीमें भी हैं।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला परिषद् को अतिरिक्त कृत्य सौंप सकेगी या इसे सौंपे गए कृत्यों और कर्त्तव्यों को वापस

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा खण्ड (vii) जोड़ा गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा "या इस द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रधिकारी" शब्दों का लोप किया गया।

ले सकेगी और जब राज्य सरकार जिला परिषद् को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के कार्यान्वयन का जिम्मा ले ले तब जिला परिषद् ऐसे कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जब तक कि राज्य सरकार ऐसे कृत्यों को पुनः जिला परिषद् को नहीं सौंप देती है।

95. स्थायी समितियां.– (1) जिला परिषद् की निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगीः–

(क) साधारण स्थायी समिति;

(ख) वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति;

(ग) सामाजिक न्याय समिति;

(घ) शिक्षा और स्वास्थ्य समिति;

(ड.) कृषि और उद्योग समिति।

(2) प्रत्येक स्थायी समिति, जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित पांच से अनधिक सदस्यों की ऐसी संख्या से गठित होगी जो, जिला परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

[1]{परन्तु हर स्थायी समिति की अवधि ढ़ाई वर्ष होगी। }

(3) अध्यक्ष साधारण स्थायी समिति और वित्त, संपरीक्षा और योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष भी होगा। उपाध्यक्ष, सामाजिक न्याय समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। अन्य स्थायी समितियां अपने में से अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी :

परन्तु यदि जिला परिषद् का उपाध्यक्ष, यदि जिला परिषद् की अध्यक्षता करे तो सामाजिक न्याय समिति और जिला परिषद् की उन स्थायी समितियों के सदस्य जिनका उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य और अध्यक्ष है अपने में से इनके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(4) जिला परिषद् का कोई भी सदस्य, तीन से अधिक स्थायी समितियों में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) सचिव, साधारण समिति और वित्त संपरीक्षा और योजना समिति का पदेन सचिव होगा और वह किसी अन्य व्यक्ति को बाकी स्थायी समितियों में पदेन सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। सचिव सभी स्थायी समितियों में उपस्थित होने का हकदार होगा।

96. स्थायी समितियों के कृत्य.– (1) साधारण स्थायी समिति, स्थापन विषयों और संचार, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार, प्राकृतिक विपत्ति के लिए राहत, और सहबद्ध तथा सभी प्रकीर्ण अवशिष्ट विषयों में से सम्बन्धित, कृत्यों का पालन करेगी।

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक जोड़ा गया।

(2) वित्त संपरीक्षा और योजना समिति निम्नलिखित में सम्बन्धित कृत्यों का अनुपालन करेगीः—

(क) ज़िला परिषद् के वित्त, बजट बनानें, राजस्व की वृद्धि के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा करनें, प्राप्ति और व्यय की विवरणी के परीक्षण, जिला परिषद् के वित्त को प्रभावित करने वाले सभी प्रस्तावों पर विचार करने, और जिला परिषद् के राजस्व तथा व्यय का साधारण अधीक्षण करना ;

(ख) योजना प्राथमिकताएं, विकास के लिए लागत का विनिधान, हौरिजन्टल और वर्टिकल लिंकेज, सरकार द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशनों का निष्पादन, योजना प्रोग्राम का नियमित पुनरीक्षण, महत्वपूर्ण प्रोग्राम और लघु बचत स्कीमों का मूल्यांकन ।

(3) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित कृत्य करेगीः—

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की अभिवृद्धि ;

(ख) सामाजिक अन्याय और अन्य प्रकार के सभी शोषणों से उनका संरक्षण ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की बेहतरी ;

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

(4) शिक्षा और स्वास्थ्य समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगीः—

(क) जिला परिषद् के शिक्षा क्रियाकलापों की प्रभारी रहेगी ;

(ख) राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय तथा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत जिला में शिक्षा का आयोजन करना;

(ग) जिला परिषद् के शिक्षा क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन ;

(घ) शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इसे जिला परिषद् द्वारा सौंपे गए हों ;

(ड.) स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, जल आपूर्ति, परिवार कल्याण और अन्य सहबद्ध विषय।

(5) कृषि और उद्योग समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करेगी :—

(क) कृषि उत्पादन, पशुपालन, सहकारिता, समोच्च बांध बांधना और उद्धार ;

(ख) ग्रामीण और कुटीर उद्योग ;

(ग) जिले के उद्योग विकास की अभिवृद्धि।

(6) स्थायी समिति उक्त निर्दिष्ट कृत्य का पालन, जिला परिषद् द्वारा इसे प्रत्यायोजित शक्तियों के विस्तार तक करेगी।

(7) समिति इसे सौंपे गए विषयों के बारे में ऐसे अतिरिक्त कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो विहित किए जाएं।

97. समितियों की प्रक्रिया.— (1) धारा 187 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिला परिषद् समिति के सदस्यों के सदस्यों के निर्वाचन, उनमें कामकाज के संचालन और उनसे सम्बन्धित अन्य सभी विषय से सम्बन्धित उप–विधियां बना सकेंगी।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, समिति के कार्य के बारे में जिला परिषद् के कार्यालय से कोई जानकारी, विवरणी, कथन, लेखा या रिपोर्ट मंगवाने और जिला परिषद् की किसी जंगम सम्पत्ति या समिति के कार्य से सम्बद्ध चल रहे संकर्म में प्रवेश करने और इसके निरीक्षण करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक समिति, समिति के कार्य से सम्बद्ध जिला परिषद् के किसी अधिकारी से, अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करने की हकदार होगी। समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव नोटिस जारी करेगा और अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

[1]{अध्याय 6–क

अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों से सम्वन्धित विशेष उपबन्ध ।

97–क. इस अध्याय का लागु होना.— (1) इस अध्याय के उपबन्ध, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में गठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को लागु होंगे।

(2) इस अध्याय के उपबन्ध, इस अधिनियम में अन्यत्र उससे असंगत किसी बात पर अभिभावी होंगे ।

97–ख. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम की घोषणा.— धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, गांव साधारणतया, समुदाय या समुदायों में समाविष्ट उसके आवास या आवासों के समूह या हैमलटों के समूहों से गठित होगा और जो परम्पराओं और रुढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलाप का प्रवन्ध करते हों ।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 (1998 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अध्याय 6–क अंतः स्थापित किया गया ।

97–ग. ग्राम सभा के कृत्य .–(1) प्रत्येक ग्राम सभा, लोगों की परम्पराओं और रुढियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक सम्पदाओं और तत्समय प्रवृत किसी विधि का अहित किए बिना, विवादों के रुढिक समाधान की प्रक्रिया के अभिरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी।

(2) प्रत्येक ग्राम सभा,––

(i) ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओ को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी ;

(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों के रुप में व्यक्तियों की पहचान करने या चयन करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(3) उप धारा (2) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा से प्रमाणन अभिप्राप्त करेगी ।

97–घ. पंचायतों में पदाधिकारियों के लिए स्थानों का आरक्षण .– अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में स्थानों का आरक्षण, यथास्थिति,उस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा :

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के प्रधानों और पंचायत समितियों के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे।

97–ङ व्यक्तियों का नामनिर्देशन.– सरकार, ऐसी अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को, जिनका, यथास्थिति,पंचायत समितियों या जिला परिषद्‌ों में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम–निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु ऐसा नामनिर्देशन, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निर्वाचित कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।

97–च. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अर्जन .– अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भू–अर्जन और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा विस्थापित व्यक्तियों के पुनः स्थापन या पुर्नवास से पूर्व, ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा । अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक योजना और कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।

97–छ. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का प्रबन्धन .– अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबन्धन, यथास्थिति,

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला परिषद्‌ों को, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सौंपा जाएगा ।

97–ज. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिज.–(1) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्‌टा अनुदत्त करने से पूर्व, ग्राम सभा द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

(2) नीलामी द्वारा लघु खनिजों के विदोहन की रियायत देने के लिए ग्राम सभा की, ऐसी रीति जैसी विहित की जाए, की गई पूर्व सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

97–झ. ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की शक्तियां और कृत्य.– (1) यथास्थिति, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन ऐसी रीति में और उस विस्तार तक जो निम्नलिखित विषयों के बारे में विहित की जाए, करेगी, अथार्त :–

(क) मद्यनिषेध का प्रवर्तन या किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग का विनियमन या निर्बन्धन;

(ख) लघु वन उपज का स्वामित्व;

(ग) ग्रामीण मण्डियों, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएं, का प्रबन्धन; और

(घ) अनुसूचित जनजाति में साहूकारी पर नियन्त्रण ।

(2) पंचायत समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन ऐसी रीति में और उस विस्तार तक, जो निम्नलिखित विषयों के बारे में विहित किया जाए, करेगी, अथार्त् :–

(क) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियन्त्रण; और

(ख) जनजातीय उप–योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजना और सम्पदाओं पर नियन्त्रण।}

अध्याय–7

वित्त, कराधान और दावों की वसूली

98. पंचायतों के लिए वित्त आयोग.– (1) सरकार, संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर, और तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के अवसान पर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने और सरकार को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करने के लिए, वित्त आयोग गठित करेगी:–

(क) वे सिद्धांत जिनसे निम्नलिखित शासित होने चाहिए:–

(i) कर, शुल्क, पथकर और सरकार द्वारा उद्ग्राह्य फीस के शुद्ध आगम का राज्य और पंचायतों में वितरण, जो उनमें विभक्त किया जाए और ऐसे आगम का पंचायतों में उनके अपने–अपने भाग का आबंटन;

(ii) कर, शुल्क, पथकर और फीस का अवधारण जो पंचायतों के लिए नियत की जाए या उन द्वारा विनियोजित की जाएं;

(iii) राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान;

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय;

(ग) पंचायत का ठोस वित्तीय हित में सरकार द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य मामला।

(2) वित्त आयोग, अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।

[1]{(3) वित्त आयोग का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चयनित किया जाएगा जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो और जिनके पास,—

(i) पंचायतों से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या

(ii) नगरपालिकाओं से सम्बन्धित आर्थिक और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव हो; या

(iii) प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में व्यापक अनुभव हो; या

(iv) आर्थिकी का विशेष ज्ञान हो।

(3–क) वित्त आयोग के अन्य दो सदस्य, राज्य सरकार के उन अधिकारियों में से चयनित किए जाएंगे, जो सरकार के सचिव या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों।

(3–ख) वित्त आयोग के अध्यक्ष को ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।}

(4) वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य स्वहस्ताक्षरित और सरकार को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जाता है।

(5) उप–धारा (4) के अधीन या किसी अन्य कारण से सदस्य या अध्यक्ष के पद में हुई आकस्मिक रिक्ति को, नई नियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया सदस्य या अध्यक्ष, उस शेष अवधि के लिए पद–धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य या अध्यक्ष पद धारित करता, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा उप–धारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई ।

(6) वित्त आयेाग स्वयं अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(7) वित्त आयेाग को अपने कृत्यों के पालन में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी, अर्थातः–

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मंगवाना ;

(ख) किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समन करना, और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां जो विहित की जाएं।

(8) सरकार, इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

99. पंचायत निधि.– (1) प्रत्येक पंचायत, पंचायत निधि के नाम से ज्ञात, निधि स्थापित करेगी और पंचायत द्वारा प्राप्त सारी राशियां, पंचायत निधि का भाग बनेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, पंचायत में निहित सारी संपत्ति और पंचायत निधि का प्रयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों या साधारणतया पंचायत के विकास से संबधित अन्य क्रियाकलापों के अन्य प्रयोजनों या ऐसे अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा पंचायत के आवेदन पर या लोक हित में अन्यथा, स्वीकार किए जाएं। पंचायत निधि समीपस्थ सरकारी खजाने या उप–खजाने अथवा डाकखाने या सहकारी बैंक अथवा अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी।

(3) राज्य सरकार या अन्य व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी विनिर्दिष्ट संकर्म या प्रयोजन के लिए पंचायत को आबंटित राशि का उपयोग, अनन्य रूप से ऐसे संकर्म या प्रयोजन के लिए और ऐसे अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा या तो साधारणतया या विशेष रूप से इस निमित्त जारी किए जाएं।

[1]{(4) ग्राम पंचायत निधि से राशि, केवल ग्राम पंचायत के [2]{सचिव या पंचायत सहायक} और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षारों के अधीन, यदि प्रधान के पद की आकस्मिक रिक्ति हो, तो ग्राम पंचायत के [3]{सचिव या पंचायत सहायक} और उप–प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन और, यदि प्रधान और उप–प्रधान दोनों के पदों की समसामयिक रूप से रिक्तियां हो जाएं, तो ग्राम पंचायत के [4]{सचिव या पंचायत सहायक} और ग्राम पंचायत द्वारा इस

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित की गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "सचिव" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "सचिव" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "सचिव" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

निमित्त प्राधिकृत ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी :}

[1]{परन्तु पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न कर दिया गया हो :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत में, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत निधि में से संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कोई रकम उसी दशा में ही निकाल सकेगा यदि उस ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव तैनात नहीं है।}

(5) पंचायत समिति निधि से राशि, केवल पंचायत समिति के [2]{सचिव}, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या पंचायत समिति द्वारा पंचायत समिति के प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी [3][:

परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए पंचायत समिति निधि से रकम सम्बद्व पंचायत समिति के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।]

(6) जिला परिषद् निधि से राशि, केवल जिला परिषद् के सचिव चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए, और अध्यक्ष या जिला परिषद् द्वारा प्राधिकृत, जिला परिषद् के किसी अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन, निकाली जाएगी [4][:

परन्तु वेतन का संदाय करने के लिए जिला परिषद् निधि से रकम सम्बद्व जिला परिषद् के सचिव के हस्ताक्षराधीन निकाली जाएगी, जिसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन सभा से उसकी तुरन्त आगामी बैठक में अभिप्राप्त किया जाएगा।]

[5]{**100. ग्राम पंचायतों द्वारा करों, शुल्क, उपकर और फीस का उदग्रहण**.– (1) ग्राम पंचायत संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों पर, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी उचित समझे, सम्पत्ति कर उद्गृहीत कर सकेगी:

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा परन्तुक अन्तःस्थापित किए गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "कार्यकारी अधिकारी" शब्दों के स्थान पर रखा गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा धारा 100 प्रतिस्थापित की गई।

परन्तु इस उपधारा के अधीन उद्‌गृहीत सम्पत्ति कर ऐसे भवन के स्वामी द्वारा संदेय होगा।

(2) ऐसी अधिकतम दरों, जिन्हें सरकार नियत करे, और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इस निमित्त सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित उद्‌गृहीत करेगी–

(क) सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभा क्षेत्र में कृषि से अन्यथा कोई व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और नियोजन करने वाले व्यक्तियों पर कर ; परन्तु ऐसा कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, सभा क्षेत्र में उद्‌गृहीत न किया गया हो ;

(ख) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो सभा क्षेत्र में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान और कब्जा सहित बन्धक की लिखतों पर हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 द्वारा उद्‌गृहीत शुल्क पर, अधिभार के रूप में, सम्पत्ति के अन्तरणों पर सरकार द्वारा नियत ऐसी दर पर शुल्क, जो, यथास्थिति, प्रतिफल राशि, सम्पत्ति के मूल्य या बन्धकदार द्वारा प्रतिभूत राशि पर, जो लिखित रूप में उपवर्णित है, दो प्रतिशत से अधिक न हो; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, तो कोई अन्य कर, शुल्क या उपकर, जिसे उद्‌गृहीत करने की हिमाचल प्रदेश विधान सभा को शक्ति प्राप्त हो:

परन्तु यदि ग्राम पंचायत कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करने में असफल रहती है, तो सरकार इसे उद्‌गृहीत करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी और इस प्रकार उद्‌गृहीत कर, शुल्क या उपकर ग्राम पंचायत द्वारा उद्‌गृहीत समझा जाएगा:

परन्तु यह और कि सरकार किसी भी समय खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दिए गए प्राधिकार को वापस ले सकेगी, जिस पर कर, शुल्क या उपकर उद्‌गृहीत करना समाप्त हो जाएगा।

(3) ग्राम पंचायत, संकल्प के माध्यम से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, सभा क्षेत्र में निम्नलिखित फीस, ऐसी दर पर और ऐसी रीति में, जैसी वह उचित समझे, उद्‌गृहीत कर सकेगी, अर्थात् :–

(ii) मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी;

(ii) यथास्थिति, गलियों की सफाई, गलियों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबन्धन, यानों की पार्किंग के लिए सेवा फीस;

(iii) सभा क्षेत्र में बेचे गए पशुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस; और

(iv) पानी की दर, जहां पानी की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। }

101. सामुदायिक सेवा के लिए विशेष कर.– कोई ग्राम पंचायत, [1]{ग्राम सभा के पूर्व अनुमोदन} से पंचायत क्षेत्र के व्यस्क पुरूष सदस्यों पर, उस क्षेत्र के निवासियों की साधारण उपयोगिता के किसी सार्वजनिक कार्य के निर्माण के लिए विशेष कर अधिरोपित कर सकेगीः

परन्तु पंचायत किसी सदस्य को स्वेच्छा से श्रम करने के बदले या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसे करवाने के बदले, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "वयस्क पुरूष सदस्य" से ऐसा पुरूष सदस्य अभिप्रेत है, जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

102. कर का श्रम में रूपान्तरण.– ग्राम पंचायत उस व्यक्ति की सम्पत्ति से, जिस द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय हो, संदाय को श्रम के अंशदान में जिसकी श्रम यूनिटें एक वर्ष में चौबीस से अधिक न हो, ऐसे कालान्तर पर, समय की ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जाएं, रूपान्तरित कर सकेगी।

103. स्थानीय रेट.– इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय, सारी भूमि रेट के, जिसे "स्थानीय रेट" कहा जाएगा, इसके वार्षिक मूल्य की ऐसी दर पर संदाय के अधीन होगी जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो, जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भूमि या भूमि के वर्ग के बारे में स्थानीय रेट के उद्ग्रहण को समाप्त कर सकेगी या हटा सकेगी अथवा छूट दे सकेगी।

104. पंचायतों द्वारा करों का उद्ग्रहण.– सरकार के साधारण निर्देशों और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, पंचायत सरकार की पूर्व अनुज्ञा से और विहित रीति से, कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी, जिसे भारत के संविधान के अधीन हिमाचल प्रदेश विधान सभा को अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त हैः

परन्तु इस धारा के अधीन किसी ऐसी सम्पत्ति के बारे में कर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, जो स्थानीय रेट के अधीन है।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा शब्दों "उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा" के स्थान पर रखे गए।

105. करों को विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण और हिस्सा बांटने का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) किसी निर्धारण के सम्बन्ध में न किसी आपत्ति को और न ही किसी व्यक्ति के उस पर निर्धारण या कर लगाने के दायित्व को, इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों से अन्यथा, प्रश्नगत किया जाएगा।

106. करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति.– (1) यदि राज्य सरकार को, यह प्रतीत होता है कि किसी पंचायत द्वारा अधिरोपित किए गए कर का भार करदाताओं पर अत्यधिक है, तो वह पंचायत से इस बारे में रिपोर्ट मंगाने के पश्चात् किसी कर को समाप्त कर सकेगी या किसी कर की रकम या दर को निलम्बित या कम कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, पंचायत को उस विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या किसी सम्पत्ति या किसी कर के संदाय से पूर्णतः या अंशतः ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकेगी, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

107. पंचायतों को निधियों का अभ्यर्पण.– राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहीत ऐसे करों, पथ करों और फीस, पंचायत को अभ्यर्पित कर सकेगी और राज्य की संचित निधि में से, ऐसे प्रयोजनों और ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अधीन रहते हुए जैसी सरकार उचित समझे, सहायता अनुदान दे सकेगी।

108. पंचायतों को सहायता अनुदान.– राज्य सरकार, पंचायतों को ऐसा अनुदान दे सकेगी जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चत किया जाए।

109. स्थानीय रेट तथा स्टाम्प शुल्क का पंचायतों में संवितरण.– (1) ग्राम पंचायत द्वारा धारा 100 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अधिरोपित शुल्क और धारा 103 की उप–धारा (1) के अधीन स्थानीय रेट के आगम प्रथमतः राज्य सरकार की संचित निधि में ऐसी रीति में जमा किए जाएंगे जो विहित की जाए और यदि विधान सभा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा ऐसा उपबधं कर देती है, तो राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में बसूल किए गए शुल्क और स्थानीय रेट के आगम के बराबर राशि, राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निधि, के नाम से ज्ञात अलग निधि में, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "उक्त निधि" कहा गया है, जमा करेगी।

(2) राज्य सरकार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संग्रहीत भू–राजस्व के बीस प्रतिशत के बराबर राशि भी उक्त निधि में जमा करेगी।

(3) कोई राशि, जो उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन उक्त निधि में जमा की गई है, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि पर प्रभारित व्यय होगी।

(4) उक्त निधि में से, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, प्रतिवर्ष निम्नलिखित सहायता अनुदान दिया जाएगा:–

(क) सभी ग्राम पंचायतों को उक्त निधि में की उस राशि में से जो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित है ;

(ख) पंचायत समितियों को, धारा 103 की उप–धारा (1) के अधीन वसूल की गई, उक्त निधि में की उस राशि में से जो स्थानीय रेट से सम्बन्धित है ;

(ग) सभी पंचायतों को, उक्त निधि में की उस राशि में से जो भू–राजस्व से सम्बन्धित है।

110. पंचायत की धन उधार लेने की शक्ति.– स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उधारों के लिए जाने से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए कोई पंचायत इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से उधार ले सकेगी :

[1]{परन्तु यह कि यदि उधार, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियों के लिए लिया जाना है और परियोजना उधार देने वाले संस्थानों द्वारा आर्थिक वित्तीय रूप से व्यवहार्य निर्धारित की गई है, तो उधार लेने के लिए राज्य सरकार की पर्वू मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि परियेाजना, जिसमें परियोजना की विशिष्टियां अंतर्वलित होगी के ब्यौरों के बारे में सरकार को सूचित करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत को, उधार लेने के लिए, ग्राम सभा का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा। }

111. राज्य सरकार कतिपय सम्पत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी.– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ऐसी किसी सम्पत्ति को, जो राज्य सरकार में निहित हो, पंचायत में निहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उप–धारा (1) के अधीन पंचायत में निहित की गई किसी सम्पत्ति का पुर्नग्रहण कर सकेगी। ऐसे अन्तरण के लिए, पंचायत द्वारा संदत्त की गई राशियां पंचायत द्वारा ऐसी सम्पत्ति पर परिनिर्मित किसी भवन या निष्पादित किए गए किसी संकर्म के उस बाजार मूल्य से जो पुर्नग्रहण की तारीख को हो, से भिन्न कोई प्रतिकर देय नहीं होगा:

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा परन्तुक जोड़े गए ।

परन्तु निहित किए जाने के निर्बन्धनों तथा उसकी शर्तों के उल्लंघन में निर्मित या परिनिर्मित किए गए भवन, संरचना या संकर्मो के सम्बन्ध में कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

112. स्थावर सम्पत्ति का अंतरण.–(1) किसी पंचायत में निहित पंचायत की किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय द्वारा या पट्टे द्वारा या अन्यथा कोई अन्तरण, राज्य सरकार की या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किसी अधिकारी की मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

113. संविदा निष्पादित करने का ढंग.– पंचायतों द्वारा संविदाओं को निष्पादित करने का ढंग ऐसा होगा जो विहित किया जाए।

114. अपवंचन के लिए शास्ति.–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर, फीस, रेट या किसी देय राशि के संदाय का अपवंचन करेगा, जुर्माने से, जो [1]{एक सौ रूपये} तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन जब कोई फीस अधिरोपित की गई हो या तद्धीन इस के संग्रहण का अधिकार पट्टे पर दे दिया गया हो तो, सम्बन्धित पंचायत द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या इस द्वारा अथवा पट्टाधारी द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से ऐसी फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति फीस के संग्रहण के लिए पट्टे की शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जो फीस के संदाय के लिए दायी है, किन्तु इसका संदाय करने से इन्कार करता है, उस स्थान से निकाल सकेगा जिसके उपयोग के लिए फीस संदेय है।

[2]{ [3][115. बकाया की वसूली.––(1) पंचायत का सचिव पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति से दावा करने योग्य किसी कर, जल दर, किराया, फीस या किसी अन्य रकम के बकाया की वसूली हेतु ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके समस्त अवश्यक कदम उठाएगा।

(2) सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है कि सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा शब्दों "पच्चास रूपये" के स्थान पर रखे गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा धारा 115 प्रतिस्थापित की गई।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(3) सम्बद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् की बाबत ऐसे व्यक्तियों जिनसे ऐसी रकम देय है की सूची सहित वसूलीय रकम के ब्यौरे कलक्टर को प्रस्तुत करेगा।

(4) पंचायत द्वारा दावा की गई रकम भू–राजस्व के बकाया के रूप में कलक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगीः परन्तु राज्य सरकार आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 का 6) के अधीन किसी अन्य अधिकारी को कलक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।]

116. कराधान के विरुद्ध अपील .– इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी कर के विरुद्ध अपील विहित प्राधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर की जा सकेगी, जैसा कि विहित किया जाए, और ऐसे प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

117. बजट तथा वार्षिक लेखे .–(1) प्रत्येक पंचायत, प्रति वर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में तथा ऐसी तारीख तक, जैसा विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों तथा व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन तैयार किए गए बजट प्राक्कलन ऐसे प्राधिकारियों द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, अनुमोदित किए जाएंगे।

(3) पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखे तथा प्रशासन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को विहित रीति में प्रस्तुत की जाएगी।

[1]{**118. पंचायतों की संपरीक्षा.**– (1) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा करने के लिए पंचायती राज विभाग में एक संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) होगा।

(2) संपरीक्षा अभिकरण (एजैन्सी) में निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे, जितने राज्य सरकार समय–समय पर उचित समझे।

(3) पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा की, संपरीक्षा फीस के संदाय की तथा ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर की जाने वाली कार्यवाही की रीति, ऐसी होगी, जैसी विहित की जाए।

(4) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पंचायत के लेखे, महालेखाकार हिमाचल प्रदेश और निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे जिनकी पंचायत की सुसंगत सूचना और अभिलेख तक पहुंच होगीः

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा धारा 118 प्रतिस्थापित की गई।

परन्तु पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।

(5) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ–साथ संपरीक्षा की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।}

अध्याय–8

पंचायत के निगमन, कालावधि, प्रादेशिक, निर्वाचन क्षेत्रों और पदाधिकारियों की अर्हताओं आदि से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध

119. पंचायत का निगमन.– प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, यथास्थिति, धारा 3, धारा 77 या धारा 86 के अधीन अधिसूचना में उसके लिए विनिर्दिष्ट नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसे जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अर्जित, धारण और अन्तरित करने और संविदा करने की तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य सभी बातों को करने की शक्ति होगी।

120. पंचायत की कालावधि.– (1) प्रत्येक पंचायत, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए बनी रहेगी और उससे दीर्घतर नहीं, यदि इसे इस अधिनियम के अधीन उससे पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है।

(2) पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचनः–

(क) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कालावधि के अवसान से पूर्व;

(ख) इसके विघटन की तारीख से छः मास की अवधि के अवसान से पूर्व; पूर्ण किया जाएगा :

परन्तु जहां शेष अवधि जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती, छः मास से कम है; वहां इस खण्ड के अधीन ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठिन करने के लिए कोई निर्वाचन कराया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(3) इसकी कालावधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत उप–धारा(1) के अधीन बनी रहती, यदि इसका विघटन न किया गया होता।

[1][(4) यदि कोई पंचायत, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के पश्चात् अपरिहार्य परिस्थिति या जन– साधारण द्वारा बहिष्कार या किन्हीं अन्य कारणों से गठित नहीं की जाती है तो पश्चात्वर्ती गठित ऐसी पंचायत की अवधि राज्य की अन्य पंचायतों के साथ–साथ रहेगी।]

121. मतदान करने और उम्मीदवार बनने के लिए अर्हताएं.–(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, उस पंचायत के पदाधिकारी के निर्वाचन में मत देने के लिए अर्हित होगा; जिसके क्षेत्र में सभा क्षेत्र स्थित है।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जब तक इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित न हो, पंचायत का पदाधिकारी निर्वाचन किए जाने के लिए अर्हित होगा।

[2]{**121–क. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा.**– (1) जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत यह दोनों तारीखें आती है, बीच स्वंय द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जैसी राज्य निर्वाचन आयेाग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

121–ख. लेखा दाखिल किया जाना.– जिला परिषद् के सदस्य के निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न है, तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी, जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 121–क के अधीन रखा है, उस अधिकारी के पास जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाए, दाखिल करेगा।}

[3][**121–ग**. निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल रहने पर निरर्हता.–यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,–

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[2]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा धाराएं 121–क तथा 121–ख अन्तःस्थापित की गई।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय के भीतर निर्वाचन व्यय के लेखे सौंपने में असफल हो गया है ; या

(ख) उसके द्वारा सौंपे गए लेखे विहित प्रारूप के अनुसार नहीं हैं; और

(ग) उसके लिए कोई अच्छा हेतुक या स्पष्टीकरण नहीं है, तो वह निर्वाचन प्रत्याशियों के नामों को जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रत्याशियों को पंचायत के लिए चुने जाने और पदाधिकारी होने के लिए राजपत्र, में आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु निरर्हित घोषित करेगा और निर्वाचित पदाधिकारी के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कोई ऐसा प्रत्याशी ऐसे आदेश के प्रकाशन से तीस दिन की अवधि के भीतर मण्डल आयुक्त को अपील कर सकेगा और उस का आदेश अंतिम होगा।]

122. निरर्हताएं.– (1) कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगाः–

(क) यदि उसे तत्सयम प्रवृत किसी विधि के अधीन इस प्रकार राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निरर्हित किया है :

परन्तु किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरर्हित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है जब तक कि उसकी दोषसिद्धि से पांच वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो ; या

[1]{(खख) यदि वह इस अधिनियम की धारा 180 के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है [2][जब तक कि ऐसी तारीख जिसको ऐसे आचरण के बारे में प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष दिया गया है से छः वर्ष की कालावधि का अवसान न हो गया हो]; या}

[3]{(ग) यदि उसने या उसके परिवार के किन्ही सदस्यों ने राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की, या उस द्वारा या उसकी ओर से, पट्टे पर ली गई या अधिगृहीत

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा खण्ड (खख) जोड़ा गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (ग) प्रतिस्थापित किया गया ।

किसी भूमी का अधिक्रमण किया है, जब कि उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को, उससे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रान्ता न रहा हो।

[1]{*स्पष्टीकरण*.–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए पद ''परिवार का सदस्य'' से, दादा, दादी, पिता, माता, पति–पत्नी, पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत हैं; या}

(घ) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन [2]{इस अधिनियम के अध्याय 10–क} के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है [3][जब तक उसकी दोषसिद्धि से छः वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया है।] ; या

(ङ) यदि उसे [4][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46)] के अधीन सद्व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया है; या

(च) यदि उसे [5]{लोक सेवा से हटाया गया है} या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया गया है, सिवाय अस्वस्थता आधार के; या}

(छ) यदि वह पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी अथवा राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी पब्लिक सैक्टर उपक्रम के नियोजन या सेवा में है: या

[6]{ ×× ××××××××××××××××××××××××}

[7]{***स्पष्टीकरण***.– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए पद ''सेवा'' या ''नियोजन'' के अन्तर्गत पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक या संविदा आधार पर नियुक्त किए गए या नियोजित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, परन्तु आकस्मिक या समयानुकूल (मौसमी)

---

1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा स्पष्टीकरण के स्थान पर रखा गया।

2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा शब्द जोड़े गए।

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

4 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

5 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द अन्तः स्थापित किए गए ।

6 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा लोप किया गया।

7 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 9) द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्यों के लिए रखा गया कोई भी व्यक्ति इसके अंर्तगत नहीं होगा।}

(ज) यदि वह हिमाचल प्रदेश आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1969 (1970 का 8) के अधीन आभ्यासिक अपराधी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है; या

(झ) यदि, जैसा इसमें, इसके पश्चात् उपबन्धित है उसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पंचायत के आदेश द्वारा किए गए किसी संकर्म या पंचायत के साथ अथवा अधीन या उस द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित है; या

(×ा) यदि उसने पंचायत द्वारा अधिरोपित किसी कर की बकाया संदत्त नहीं की है या उस द्वारा देय सभा, समिति अथवा जिला परिषद् निधि की किसी प्रकार की बकाया संदत्त नहीं की है या उसने कोई ऐसी राशि रख ली है जो सभा, समिति या जिला परिषद् निधि का भाग है; या

(ट) यदि वह पंचायत की अभिधृति या पट्टाधृति के अधीन अभिधारी या पट्टाधारी है या पंचायत के अधीन धारित पट्टाधृति या अभिधृति की लगान की बकाया में है; या

(ठ) यदि उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक उसकी ऐसी दोषसिद्धि से छः वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो; या

(ड) यदि वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित है; या

[1]{(ढ़) यदि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा अपेक्षित कोई मिथ्या घोषणा की है:

[2][XXXXXXXXXX]

[3]{×××××××××××××××××}

[4][(1—क) यदि कोई पूर्व पदाधिकारी, पंचायत के किसी धन या निधि या अन्य सम्पत्ति जिसमें वह एक पक्षकार रहा है की हानि, दुर्विनियोजन, दुर्व्यय,

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा खण्ड (ढ़) जोड़ा गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा लोप किया गया।

[3] खण्ड (ण) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा जोड़ा गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा लोप किया गया ।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

दुरूपयोजन हेतु दोषी पाया जाता है या जो अवचार के या उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण उसके द्वारा हुई है जब तक कि उसके पद छोड़ने से छह वर्ष की अवधि का अवसान न हो गया हो, पंचायत का कोई पदाधिकारी चुने जाने के लिए निरर्हित होगा ।]

(2) यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति उप–धारा (1) [1][या उप धारा (1–क)]के अधीन की किसी निरर्हता के अधीन है या हो गया है, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् निम्नलिखित द्वारा विनिश्चित किया जाएगाः–

(i) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठता है तो, ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

(ii) यदि ऐसा प्रश्न निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् उठता है तो उपायुक्त द्वारा।

123. एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन.–(1) यदि कोई व्यक्ति पंचायत में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचित किया जाता है तो, वह परिणाम की घोषणा की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर एक पद धारण करने के बारे में लिखित रूप में विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा। यदि ऐसी सूचना उक्त अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होती है, तो उसे बाकी को अपवर्जित करके, निम्नलिखित क्रम में प्राथमिकता के आधार पर केवल एक पद धारण किए हुए समझा जाएगाः–

(क) जिला परिषद् का सदस्य ;

(ख) पंचायत समिति का सदस्य ;

(ग) ग्राम पंचायत का प्रधान ;

(घ) ग्राम पंचायत का उप–प्रधान;

(ड.) ग्राम पंचायत का सदस्य।

(2) यदि पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुना गया कोई व्यक्ति लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा का सदस्य बन जाता है या नगरपालिका का पदाधिकारी है या बन जाता है तो पन्द्रह दिन की अवधि के अवसान पर या, यथास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या नगरपलिका के पदाधिकारी की पदावधि प्रारम्भ होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पंचायत में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, यदि उसने तत्पूर्व, यथास्थिति, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा या नगरपालिका के अपने पद से त्यागपत्र न दे दिया हो।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[1]{**124. प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र.**– निर्वाचन की सुविधा के लिए और पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि या कमी के पश्चात् भी, उपायुक्त ऐसे नियमों के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाएं–

(क) पंचायत क्षेत्र को उतने एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित किए जाने अपेक्षित है;

(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा अवधारित करेगा; और

(ग) उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें इस अधिनियम के अधीन स्थान आरक्षित किए गए हैं। }

125. अध्यक्षों के लिए आरक्षण.–(1) सरकार द्वारा विहित रीति में राज्य में प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के पदों की ऐसी संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाएगी, जिसका राज्य में ऐसे कुल पदों की संख्या के साथ, यथाशक्य निकटतम अनुपात, वही होगा जो राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(2) पंचायत में, प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक वर्ग के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पदों और अनारक्षित पदो के, [2]{आधे} पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

(3) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पंचायत में पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए पदों की इतनी संख्या आरक्षित कर सकेगी, जिनका पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या से अनुपात, जिले में पिछड़े वर्ग से संबधित व्यक्तियों की जनसंख्या के, जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात से अधिक न हो और इस उप–धारा के अधीन आरक्षित कुल पदों के [3]{आधे} पद पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी।

(4) उप–धारा (1), (2) और (3) के अधीन आरक्षित पदों का राज्य के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

***स्पष्टीकरण*:**– शंकाओं को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस उप–धारा के अधीन पदों के आरक्षण के प्रयोजनों के लिए चक्रानुक्रम का सिद्वान्त, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कराए जाने वाले प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा धारा 124 प्रतिस्थापित की गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्दों "एक–तिहाई से अन्यून" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

126. पंचायत के पदाधिकारियों के नाम का प्रकाशन.– पंचायत के पदाधिकारियों का नाम, चाहे सीधे निर्वाचन द्वारा चुना गया हो या नहीं, विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जो विहित की जाए।

127. निष्ठा की शपथ या प्रतिज्ञान.– (1) शपथ अधिनियम, 1969 में किसी बात के होते हुए भी, पंचायत का निर्वाचित पदाधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उसने विहित रीति में, अनुसूची–5 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में शपथ ग्रहण न की हो या अपनी राज्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान न किया हो।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान लेने या करने से इन्कार करता है, सिवाय ऐसी असमर्थता के कारण से जिसके लिए विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त कर ली हो, उसका निर्वाचन अवैध माना जाएगा और नया निर्वाचन किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जिसका निर्वाचन इस धारा के अधीन अवैध माना गया है, उस तारीख से जिसको उसे ऐसी शपथ लेनी या प्रतिज्ञान करना चाहिए था, दो वर्ष की कालावधि के लिए किसी, यथास्थिति, ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान या उप–प्रधान या पंचायत समीति अथवा जिला परिषद् के सदस्य, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के लिए, पात्र नहीं होगा।

128. प्रथम बैठक और पदावधि.–(1) पंचायत की प्रथम बैठक धारा 126 के अधीन प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी तारीख को की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत की जाए।

(2) जब तक इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हो, पंचायत के पदाधिकारी प्रथम बैठक की तारीख से पांच वर्ष के लिए पद धारण करेंगे इससे अधिक नहीं।

(3) यदि उप–धारा (2) में विहित अवधि के अवसान से पूर्व, पंचायत पुनःगठित नहीं की जाती है तो यह उक्त अवधि के अवसान पर विघटित हो जाएगी और धारा 140 के उपबंध उसको छः मास से अनधिक अवधि के लिए लागू होंगे, जिसके दौरान पंचायत का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुर्नगठन किया जाएगा।

129. अविश्वास प्रस्ताव.– (1) इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा और जिसकी गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अन्यून है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को ग्राम सभा द्वारा पारित किए जाने पर, वह [1]{प्रधान या उप–प्रधान} जिसके विरुद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा शब्द "या उप–प्रधान" का लोप किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा शब्द "प्रधान" के लिए प्रतिस्थापित किया गया।

[1]{(1–क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारम्भ से पूर्व निर्वाचित ग्राम पंचायत का उप–प्रधान अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा शासित होता रहेगा मानो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 प्रवृत्त ही न हुआ हो।}

(2) जहां, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से अपना पद रिक्त करने की अपेक्षा करने के लिए संकल्प प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया जाता है और यदि इसकी साधारण या विशेष बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा जिसकी गणपूर्ति इसके निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अन्यून है, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव को पारित किया जाता है तो, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके विरुद्ध ऐसा संकल्प पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहेगा।

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई ग्राम पंचायत का प्रधान या उप–प्रधान अथवा पंचायत समिति या जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जाता है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी रीति में बुलाई जाएगी जो विहित की जाए और उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता, बैठक में मतदान करने और इसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) ऐसा अविश्वास प्रस्ताव, उप–धारा (1) या [2]{(1–क), या} उप–धारा (2) के अधीन, उसके ऐसे पद पर निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं रखा जा सकेगा और कोई भी पश्चात्वर्ती अविश्वास प्रस्ताव अन्तिम अविश्वास प्रस्ताव से दो वर्ष के अन्तराल के बीच नहीं रखा जा सकेगा।

130. पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र.– (1) पंचायत का पदाधिकारी विहित प्राधिकारी को लिखित रूप में नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेगा।

(2) नोटिस देने और त्यागपत्र देने और उसके प्रभावी होने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए :

परन्तु त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति अपना त्याग पत्र इसके प्रभावी होने से पूर्व वापस ले सकेगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा उपधारा (1–क) अन्तःस्थापित की गई तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया ।

131. आकस्मिक रिक्तियां .— (1) यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी निर्वाचित किए जाने परः—

(क) तत्पश्चात् धारा 122 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है और ऐसी निरर्हता नहीं हटाई जा सकती है या हटाई जा सकती है किन्तु हटाई नहीं जाती है ;

(ख) पंचायत या इसकी समितियों की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है या पंचायत की स्वीकृति के बिना छः मास की कालावधि के दौरान की गई बैठकों की आधी संख्या में उपस्थित नहीं होता है;

तो वह, उप—धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा और उसका पद रिक्त हो जाएगाः

परन्तु जहां पदाधिकारी ने पंचायत को खण्ड (ख) के अधीन, अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन दिया है और पंचायत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, आवेदन पर अपने विनिश्चय को आवेदक को सूचित करने में असफल रहती है, वहां पंचायत द्वारा अवकाश स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक मामले में यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या उप—धारा (1) के अधीन रिक्ति हो गई है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बारे में उपायुक्त और जिला परिषद् के बारे में निदेशक, सक्षम प्राधिकारी होगा, जो या तो किसी व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, अपना विनिश्चय, दे सकेगा। जब तक यथास्थिति, उपायुक्त या निदेशक यह विनिश्चित नहीं करता है कि रिक्ति हो गई है, तब तक व्यक्ति का पदधारी रहना समाप्त नहीं होगा :

परन्तु इस उप—धारा के अधीन किसी पदधारी के विरुद्ध आदेश, उसको सुनवाई का युक्ति—युक्त अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, उपायुक्त या निदेशक के उप—धारा (2) के अधीन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीन दिन के भीतर क्रमशः निदेशक या सरकार को अपील कर सकेगा जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) किसी पदाधिकारी की पदावधि का अवसान होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने या उसके हटा दिए जाने या उप—धारा (1) के अधीन उसके पदाधिकारी न रहने या उसके राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है [1]{जिसके लिए औपचारिक आदेश जिला पंचायत अधिकारी द्वारा तद्नुसार जारी किया जाएगा} और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा जोड़े गये ।

अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्वाचन द्वारा यथाशक्य शीघ्र, भरी जाएगी। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि के लिए ऐसा पद तत्काल धारण करेगा।

(5) किसी ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप–प्रधान, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में एक ही समय पर आकस्मिक रिक्ति हो जाने की दशा में, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार नए प्रधान या अध्यक्ष निर्वाचित होने तक किसी ऐसे पदाधिकारी को जो प्रधान या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अर्हित है, यथास्थिति, प्रधान या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी।

[1]{(6) पंचायत में, उस विस्तार तक आकस्मिक रिक्तियां घटित होने की दशा में, कि पंचायत की बैठक बुलाने के लिए शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या अपेक्षित गणपूर्ति पूर्ण नहीं करती है, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, तब तक जब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धेां के अनुसार नए सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, पंचायत में घटित आकस्मिक रिक्तियों को पूर्ण करने के लिए व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु राज्य सरकार विशिष्ट आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल, उसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किया जाने और उस विशिष्ट पंचायत का पद धारण करने के लिए पात्र है।}

132. त्रुटि या अनियमितता से कार्यवाहियों का निष्फल न होना.– (1) इस अधिनियम में किसी बात के हाते हुए भी, किन्तु सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जहां पंचायत के कुल सदस्यों के दो तिहाई सदस्य निर्वाचित कर दिए गए है, वहां पंचायत सम्यक् रूप से इस अधिनियम के अधीन गठित की गई समझी जाएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पंचायत समिति या स्थायी समिति अथवा किसी अन्य समिति द्वारा किए गए किसी कार्य या कार्यवाहियों को, सदस्यता में किसी रिक्ति या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी या सदस्य के निर्वाचन में या अर्हता में किसी त्रुटि या ऐसे कार्य या कार्यवाही के गुणागुण पर कोई प्रभाव न डालने वाली किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) जब तक प्रतिकूल प्रमाणित न हो, पंचायत समिति या स्थायी समिति अथवा अन्त किसी समिति की प्रत्येक बैठक सम्यक् रूप से बुलाई गई और की गई समझी जाएगी और बैठकों में भाग लेने वाले सभी सदस्य

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा उपधारा (6) जोड़ी गई ।

सम्यक् रूप से अर्हित समझे जाएंगे जब बैठक की कार्यवृत्त इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किए गए हों।

अध्याय–9

पंचायत के अधिकारी और कर्मचारीवृन्द

133. ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति.– (1) ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव होगा, जो निदेशक [1][या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी] द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन में, ग्राम पंचायत के, यथास्थिति, प्रधान या उप–प्रधान की सहायता करना, सचिव का कर्तव्य होगा।

[2]{**134. पंचायत समिति और जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव की नियुक्ति.**– (1) प्रत्येक पंचायत समिति में, खण्ड विकास अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रत्येक जिला परिषद् में, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। पंचायत निरीक्षक, पंचायत समिति का सचिव होगा और जिला पंचायत अधिकारी, जिला परिषद् का सचिव होगा।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;

(ग) सभी संकर्मों के निष्पादन का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करेगा;

(घ) सभी संकर्मों और विकासात्मक स्कीमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(ङ) पंचायत समिति और सम्बद्ध विभागों के खण्ड स्तर के कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा और, यथास्थिति,

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[2] धारा 134 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित की गई ।

पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्रस्तावों का समय के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करेगा;

(च) यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में और उसकी किसी अन्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेगा तथा विचार–विमर्श में भाग लेगा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव पेश करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसे उसे पंचायत समिति या जिला परिषद् [1][या निदेशक] या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किए जाएं।

(3) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सचिव–

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विनिर्दिष्ट रूप से अधिरोपित या प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ख) सभी संकर्मों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगा;

(ग) पंचायत समिति या जिला परिषद् तथा इसकी स्थायी समितियों और अन्य समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य मुद्रा और समस्त कागज–पत्रों तथा दस्तावेजों की अभिरक्षा करेगा;

(घ) पंचायत की निधि में से धन का आहरण और संवितरण करेगा;

(ङ) पंचायत समिति या जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में और इसकी किसी अन्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेगा तथा विचार–विमर्श में भाग लेगा, किन्तु उसे कोई प्रस्ताव पेश करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा। यदि उसकी राय में पंचायत समिति या जिला परिषद् के समक्ष कोई प्रस्ताव इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबन्धों, तदधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला है या असंगत है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह उसे, यथास्थिति, पंचायत समिति या जिला परिषद् के ध्यान में लाए;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(च) पंचायत समिति या जिला परिषद् और इसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियाँ अभिलिखित करेगा; और

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे समय–समय पर पंचायत समिति या जिला परिषद् [1][या निदेशक या राज्य सरकार] द्वारा न्यस्त किए जाएं।

(4) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से सम्बन्धित धन, लेखे, अभिलेख या अन्य सम्पत्ति है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की, इस प्रयोजन के लिए लिखित अध्यपेक्षा पर, उक्त अधिकारी या अध्यपेक्षा में उसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तत्काल ऐसा धन सौंपेगा या ऐसे लेखों, अभिलेखों या अन्य सम्पत्ति को परिदत्त करेगा।}

135. पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक.– (1) धारा 134 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पंचायत, विहित प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और सेवकों को नियोजित कर सकेगी जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक समझें।

(2) ऐसे अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, भर्ती का ढंग, वेतन, छुट्टियां, भत्ते और अनुशासनात्मक विषयों सहित सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

136. सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति.– राज्य सरकार, अपने ऐसे सेवकों को पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्त कर सकेगी जो यह आवश्यक समझे। ऐसे प्रतिनियुक्त सेवकों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाए।

137. पंचायत के अभिलेखों तक पहुंच और निरीक्षण.–(1) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है, ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, किसी पंचायत की सभी पुस्तकों, बहियों, कार्यवाहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे और चल रहे किसी संकर्म में प्रवेश कर सकेंगे और उसका निरीक्षण कर सकेंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, पंचायतों का निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विहित की जाएं।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(3) पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी तथा सेवक ऐसी समस्त जानकारी देने तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जो निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएं।

(4) इस धारा की कोई भी बात, पंचायत के समक्ष लम्बित किन्ही मामलों, वादों या कार्यवाहियों के पक्षकारों को विहित रीति में उन मामलों, वादों या कार्यवाहियों के अभिलेखों के निरीक्षण के अधिकार को, प्रभावित नहीं करेगी।

138. आदेशों आदि का निष्पादन निलम्बित करने की शक्ति .—(1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, और उसमें कथित किए जाने वाले कारणों से, पंचायत द्वारा पारित किसी संकल्प के जारी किए गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या किसी पंचायत [1]{या ग्राम सभा} द्वारा किसी कृत्य के पालन को प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय मेंः—

(क) ऐसा संकल्प आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, या कार्य वैध रूप से पारित, जारी, मंजूर या प्राधिकृत नहीं किया गया है/नहीं की गई है; या

(ख) ऐसा संकल्प, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या कार्य इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परे है या किसी विधि के प्रतिकूल है; या

(ग) ऐसे संकल्प या आदेश के निष्पादन से या ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लगातार प्रवृत्त बने रहने से या ऐसा कार्य किए जाने से—

(i) पंचायत में निहित किसी धन की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग होना या उसमें निहित किसी संपत्ति को नुकसान होना संभाव्य है ;

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ;

(iii) जनता या व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय को क्षति या क्षोभ होना संभाव्य है ; या

(iv) शांति भंग होना संभाव्य है।

(2) जब कभी विहित प्राधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, तो वह, तत्काल और किसी भी दशा में आदेश की तारीख से अधिक से अधिक दस दिन के भीतर, उस आदेश की एक प्रति ऐसा आदेश किए जाने के कारणों के कथन सहित, राज्य सरकार को अग्रेषित

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा जोड़े गए।

करेगा, और राज्य सरकार ऐसे आदेश [1]{को} अपास्त कर सकेगी या उसे उपान्तरित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

139. कतिपय मामलों में पंचायतों को संकर्मों को निष्पादन करने के लिए आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.– (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी पंचायत को यह निर्देश दे सकेगा कि वह किसी ऐसे संकर्म को निष्पादित करे जिसका निष्पादन उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, और जिसका निष्पादन ऐसी पंचायत द्वारा किया जाना राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की राय में लोक हित में आवश्यक है।

(2) पंचायत, उप–धारा (1) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्व होगी और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को वह संकर्म उस पंचायत के व्यय से निष्पादित करने के लिए समस्त आवश्यक शक्तियां होंगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में वह, उस पंचायत या उसके अधिकारी या सेवक जिसकी शक्तियां प्रयोग में लाई जाती है, के समान ही, इस अधिनियम के अधीन उसी संरक्षण का तथा उसी सीमा तक हकदार होगा।

140. व्यतिक्रम, शक्तियों के दुरूपयोग आदि के लिए पंचायतों को विघटित करने की राज्य सरकार की शक्ति.–(1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कोई पंचायत, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कत्तव्यों का पालन करने में बार–बार व्यतिक्रम कर रही है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करती है या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती है या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश का पालन नही करती है, तो राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा ऐसी पंचायत को विघटित कर सकेगा और उसके नए सिरे से गठन के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पंचायत को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो, स्पष्टीकरण मांगने की सूचना, यथास्थिति, ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष को सम्बोधित की जाएगी और उसकी तामील धारा 194 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। सूचना के संबन्ध में पंचायत का उत्तर पंचायत के संकल्प द्वारा समर्थित होगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन पंचायत के विघटित हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थातः–

(क) सभी पदधारी ऐसे आदेश की तारीख से अपने–अपने पद रिक्त कर देगे;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन)अधिनियम, 2000(2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा शब्द "की पुष्टि कर सकेगी, उसे, " के स्थान पर रखे गए ।

(ख) पंचायत की सारी शक्तियों तथा उसके कर्तव्यों का, पंचायत का पुनर्गठन होने तक प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करें और जहां व्यक्तियों की कोई समिति इस प्रकार नियुक्त की जाती है, वहां राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी समिति का प्रधान भी नियुक्त करेगा;

(ग) जहां कोई समिति खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त की जाती है, वहां ऐसी समिति का, उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य, पंचायत की ओर से वाद चला सकेगा या विधिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा या पंचायत के विरूद्व चलाए गए किसी वाद या संस्थित किसी विधिक कार्यवाही में प्रतिवाद कर सकेगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो, पंचायत के विघटित रहने की कालावधि के दौरान पंचायत की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है अपनी सेवाओं के लिए संबंधित पंचायत निधि से ऐसा संदाय प्राप्त कर सकेगा जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(5) उप–धारा (1) के अधीन विघटित किसी पंचायत का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुर्नगठन उसके विघटन के छः मास के भीतर किया जाएगा। ऐसी पुर्नगठित पंचायत उस पंचायत की शेष अवधि के लिए कृत्य करेगी :

परन्तु यदि अनवसित कालावधि छः मास से कम है तो इस कालावधि के लिए पंचायत का पुर्नगठन नहीं किया जाएगा।

[1]{(6) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण सभा क्षेत्र, इसके उस क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और लोक हित में भी नगरपालिक क्षेत्र घोषित किए जाने पर या इसके विद्यमान नगरपालिक क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण सभा क्षेत्र नहीं रह जाता है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ग्राम पंचायत को, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, भंग करेगी।

(7) ग्राम पंचायत, जिसे उप–धारा (6) के अधीन भंग किया गया है, के पदाधिकारी, सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने–अपने पद रिक्त कर देंगे। }

141. पंचायत के कार्य–कलापों की जांच.– राज्य सरकार, समय–समय पर अपने किन्ही अधिकारियों द्वारा किसी पंचायत की जांच, उससे सम्बन्धित विषयों के बारे में या किसी ऐसे विषय के बारे में, जिसके

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा उप–धाराएं (6) और (7) जोड़ी गई ।

सम्बन्ध में राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन, सम्मति या आदेश इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है, करवा सकेगी।

142. हानि, दुरूपयोजन आदि के लिए पदाधिकारियों का दायित्व.— (1) पंचायत का प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी, [1][कार्यालय में अपनी पदावधि के दौरान पूर्व पदाधिकारी] अधिकारी या सेवक पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। वह राशि, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है, विहित प्राधिकारी द्वारा वसूल की जाएगीः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) यदि संबंधित व्यक्ति राशि का संदाय नहीं करता है तो ऐसी राशि भू–राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी और संबंधित पंचायत की निधि में जमा की जाएगी।

[2][(3) ऐसे संबंधित नियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स या अन्य योजना आधारित कर्मचारियों जैसे कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक, लेखापाल एवं अन्य समान कार्मिकों, जो पचायतों तथा पंचायती राज विभाग द्वारा नियोजित किए गये हैं, का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाएगा, यदि वे उन्हें सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में असफल रहते हैं या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन सम्यक् तत्परता से या निर्देशों के अनुसार नहीं करते हैं।]

143. पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवाद.— (1) दो या अधिक पंचायतों के बीच या पंचायत और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसमें वे संयुक्त रूप से हितबद्ध है, कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में, ऐसा विवाद राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यदि विवाद पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच है तो राज्य सरकार का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा पंचायतों के और पंचायत तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच उन विषयों में जिनमें वे संयुक्त रूप से हितबद्व हो, संबंधों का विनियमन कर सकेगी।

144. अभिलेख [1]{तथा वस्तुएं} वसूल करने की शक्ति.— (1) जहां विहित प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति पंचायत का कोई अभिलेख या वस्तुएं [2]{××××××} अपनी अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा अभिलेख या वस्तुएं [3]{××××××} ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जिसे विहित प्राधिकारी इस संबंध में नियुक्त करे, पंचायत को तुरन्त परिदत्त [4]{××××××} कर दिया जाए।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्देशित किए गए अनुसार अभिलेख या वस्तुएं परिदत्त नहीं करता है [5]{××××××} या ऐसा करने से इन्कार करता है तो विहित प्राधिकारी मजिस्ट्रेट को मामले की रिपोर्ट कर सकेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करवा सकेगा और उसे पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज सकेगा।

(3) मजिस्ट्रेटः—

[6]{××××××××××××××××××}

(ख) किसी ऐसे अभिलेख या किन्हीं ऐसी वस्तुओं को वापस कराने के लिए तलाशी वांरट जारी कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा [7][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय 7 के उपबन्धों]के अधीन विधिपूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती हो।

(4) उप–धारा (1) या (2) या (3) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को इस संबंध में कारण बताने

---

1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्दों ", वस्तुएं तथा धन" के स्थान पर रखे गए ।

2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्दों "या धन" का लोप किया गया ।

3 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्दों "या धन" का लोप किया गया ।

4 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्दों "या संदत्त" का लोप किया गया ।

5 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा शब्दों "या धन का संदाय नहीं करता" का लोप किया गया ।

6 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा खण्ड (क) का लोप किया गया ।

7 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

के लिए युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई क्यों न की जाए।

(5) कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसी कार्रवाई आरम्भ की जाने से छः वर्ष की कालावधि के लिए, किसी पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हित होगा।

145. पंचायत के पदाधिकारियों का निलम्बन.– (1) विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदाधिकारी को पद से निलम्बित कर सकेगा–

[1]{ [2][(क) जो दाण्डिक आरोप या अन्यथा के लिए चौदह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो या जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 4, 7, 9, 10, 13 और अध्याय 5 की धारा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 80, 88 से 94 तक, 99 और अध्याय 6 की धारा 103, 104, 107, 108, 109, 141, 146 अध्याय 17 और अध्याय 18 की धारा 310(2), (3), 311, 312, 316(4), (5) 318(4), 326(छ), 331(6) और (8) तक, और या हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अध्याय 6 की धारा 39 से 59 तक या लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं:

परन्तु इस खंड के अधीन किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए आरोप पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी और निलंबित किया गया कोई भी पदाधिकारी, जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक कार्यवाही में आरोप विरचित किए गए हैं, सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय तक निलंबित रहेगा:

परन्तु यह और कि किसी आपराधिक आरोप या अन्य कारण से चौदह दिन से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद निलंबित किए गए पदाधिकारी का निलंबन रद्द कर दिया जाएगा यदि अन्वेषण अभिकरण द्वारा हिरासत की

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तारीख से छह मास के भीतर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है;] }

(ख) जिस पर इस अधिनियम के अधीन उसे पद से हटाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस आरोप पत्र के साथ तामील किया गया है;

[1]{(ग) जहां उसके विरुद्ध की गई शिकायत पर प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया पंचायत निधियों के दुर्विनियोग, दुरूपयोग या गबन का प्रकटीकरण होता है या वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के लिए दोषी पाया जाता है :

[2][XXXXXXXXXX] }

(2) जहां निरीक्षण रिपोर्ट या संपरीक्षा रिपोर्ट से पंचायत के पदाधिकारी द्वारा पंचायत निधि के दुर्विनियोग, दुरूपयोग या गबन का प्रकटीकरण होता है और विहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पद पर बने रहने से धारा 146 के अधीन जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अभिलेख में गड़बड़ करने और साक्षियों को तोड़ने की आशंका है, तो ऐसे व्यक्ति को निलम्बित कर सकेगा और यदि उसके कब्जे में पंचायत का कोई अभिलेख, धन या अन्य सम्पत्ति है तो उसे ऐसे अभिलेख, धन या सम्पत्ति को पंचायत के सचिव को सौंपने का आदेश देगा।

[3]{ [4][(2–क) उप–धारा (1) के खंड (ग) या उप–धारा (2) के अधीन किसी पदाधिकारी को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, यथास्थिति, आरोप पत्र या प्रारंभिक जांच या निरीक्षण या लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे सुनवाई का असवर न दे दिया जाए।]}

[5]{(3) [6][उप–धारा (1) का खण्ड (ग) उप धारा (2)] के अधीन निलम्बन आदेश की, रिपोर्ट निलम्बन की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर, जिला परिषद् के पदाधिकारियों के मामले में, सम्बन्धित मण्डलायुक्त को और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मामले में,

---

1 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा खण्ड (ग) अन्तःस्थापित किया गया।

2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा लोप किया गया।

3. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा उपधरा (2–क) अन्तःस्थापित की गई।

4 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

5. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18 द्वारा उपधरा (3) प्रतिस्थापित की गई तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा पुनःप्रतिस्थापित की गई ।

6 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त को की जाएगी, जो तत्पश्चात् ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, धारा 146 के अधीन जांच का आदेश देगा और छः मास के भीतर जांच और कार्रवाई पूर्ण करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच और कार्रवाई के पूरा न होने की दशा में, निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जाएगा और तदानुसार औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। }

[1][(3—क) ऐसे मामलों में, यदि धारा 146 के अधीन जांच छह मास के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच करने वाला अधिकारी संबंधित प्राधिकारी को लिखित में कारण प्रस्तुत करेगा और इसके अतिरिक्त छह मास के लिए एक बार विस्तार दिया जा सकेगा।

(3—ख) यदि देरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर से विधि के अनुसार जांच में असहयोग करने के लिए होती है, तो निलंबन आदेश छह मास की समाप्ति के बाद रद्द नहीं किया जाएगा और जांच अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर एकतरफा जांच के लिए आगे बढ़ेगा।

(3—ग) उक्त धारा की उप—धारा (3) के अधीन निलंबन के प्रतिसंहरण का आदेश धारा 146 के अधीन जांच को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि इसका निष्कर्ष निकल नहीं जाता है।]

(4) ग्राम पंचायत के प्रधान तथा उप—प्रधान, पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों ही के उप—धारा (1) और उप—धारा (2) के अधीन निलम्बित कर दिए जाने की दशा में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, प्रधान या अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अर्हित किसी पदाधिकारी को, यथास्थिति, प्रधान या अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी। ऐसा व्यक्ति उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसा निलम्बन चालू रहता है, यथास्थिति, प्रधान, या अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन और उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा [2][:

परन्तु यदि पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों को इस सीमा तक निलंबित कर दिया जाए कि शेष निर्वाचित पदाधिकारियों की संख्या पंचायत की बैठक बुलाने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति पूरी नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार या ऐसा प्राधिकारी जैसा विहित किया जाए संबंधित ग्राम सभा की सिफारिशों पर, ऐसी समिति के प्रमुख सहित व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगा, जो ऐसे निलंबित पदाधिकारियों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक पंचायत की शक्तियों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कार्यों का निर्वहन करेगी।]

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन निलम्बित कर दिया गया है, किसी ऐसी अन्य पंचायत के सदस्य के या पद्धारी के पद से भी तत्काल निलंम्बित हो जाएगा जिसका कि वह सदस्य या पदाधिकारी है। ऐसा व्यक्ति, अपने निलंम्बन के दौरान, इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए भी निरर्हित होगा।

[1]{××××××××××××××××××××××××}

146. पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना.– (1) [2]{यथास्थिति, पंचायतों के पदाधिकारियों के मामले में, राज्य सरकार, जिला परिषद् के पदाधिकारियों के मामले में, अधिकारिता रखने वाला मण्डलायुक्त और पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मामले में अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त,} ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, किसी पदाधिकारी को, किसी भी समय हटा सकेगाः–

(क) यदि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई निरर्हता उपगत कर ली है; या

(ख) यदि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(ग) यदि वह कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(घ) यदि वह छः मास की अवधि में संचालित बैठकों के आधे से ज्यादा में युक्तियुक्त हेतुक के बिना अनुपस्थित रहता है; या

(ङ) यदि उसका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय हैः

परन्तु किसी भी व्यक्ति को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो कि उसे उसके पद से क्यों न हटा दिया जाए।

स्पष्टीकरणः– इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए "अवचार" के अन्तर्गत है–

(क) ऐसा कोई कार्य जिसका––

(i) भारत की प्रभुसता, एकता और अखण्डता पर ; या

(ii) राज्य के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की ऐसी भावना के निर्माण पर जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ; या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) धारा 145 (6) को अन्तःस्थापित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा लोप किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर रखे गए ।

(iii) स्त्रियों के सम्मान पर ;

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा ; और

(ग) ग्राम पंचायत के प्रधान या पंचायत समिति या जिला परिषद् के अध्यक्ष की इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर, यथास्थिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की बैठक बुलाने में असफलता।

[1]{(1–क) यथास्थिति, राज्य सरकार, मण्डलायुकत या उपायुक्त, जांच–रिपोर्ट पर विचार करने पर या यदि वे उचित समझें, कारणों को अभिलिखित करते हुए, निलम्बन आदेश प्रतिसंहृत करेगा और किसी पदाधिकारी को हटाने के बजाए, उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे सकेगा या उसे छः मास की अवधि के लिए पंचायत के किसी कार्य या कार्यवाहियों में भाग लेने से भी विवर्जित कर सकेगा। }

(2) कोई व्यक्ति, जिसे उप–धारा (1) के अधीन हटा दिया गया है, तत्काल किसी ऐसी अन्य पंचायत का सदस्य नहीं रहेगा जिसका कि वह सदस्य है। ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन छः वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निर्रहित हो जाएगा।

147. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.– राज्य सरकार, किसी भी समय, ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प या किए गए आदेश अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों के अधीन किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए , यथास्थिति, ऐसे संकल्प या आदेश से सम्बन्धित अभिलेख को मंगवा सकेगी और निरीक्षण कर सकेगी और उसके सन्दर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह उचित समझेः

परन्तु संकल्प या आदेश में, हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, फेरफार नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा, जब तक कि सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा संकल्प या आदेश विधि विरूद्ध प्रतिफल के कारण दूषित हो गया है।

148. अपील और पुनरीक्षण.– इस अधिनियम के अधीन पंचायतों के तथा अन्य प्राधिकारियों के आदेशों या कार्यवाहियों के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी रीति में होगी, जो विहित की जाए।

अध्याय–10

शास्ति

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा उपधारा(1–क) जोड़ी गई ।

149. निरर्हित किए जाने पर पंच, सदस्य, प्रधान, उप–प्रधान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हैसयित में कार्य करने के लिए शास्ति.– (1) जो कोई यह जानते हुए कि वह किसी पंचायत के पंच या सदस्य का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप में पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है, ऐसे पंच या सदस्य की हैसियत से कार्य करेगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको वह ऐसे पंच या सदस्य की हैसियत से बैठता है या मत देता है, पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए कि वह प्रधान या उप–प्रधान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण करने का हकदार नहीं है या उस रूप में ऐसा पद धारण करने का हकदार नहीं रह गया है, उस हैसियत से कार्य करेगा, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको वह उस हैसियत में कार्य या कृत्य करेगा, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो प्रधान या उप–प्रधान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर उसकी पदावधि का अवसान हो जाने या उसके द्वारा पद से त्यागपत्र दे दिया जाने या पद से हटा दिए जाने के पश्चात, यथास्थिति, अपने कब्जे या नियन्त्रण में किन्हीं ऐसे दस्तावजों को, जो पंचायत के हैं, या अपने कब्जे या नियन्त्रण में किसी ऐसे धन या ऐसी अन्य सम्पत्तियों को, जो पंचायत में निहित है या पंचायत की हैं, अपने पदोतरवर्ती को तत्काल नहीं सौंपेगा, वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

150. हितबद्ध सदस्यों द्वारा मत दिए जाने के लिए शास्तियां.– जो कोई किसी ऐसे मामले में जो पंचायत के विचाराधीन हो, धनीय हित रखते हुए उस मामले में मत देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्मान से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

[1][**151. किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक द्वारा संविदा में हित अर्जित करने के लिए शास्ति.––**यदि पचांयत का कोई सदस्य या पदाधिकारी या सेवक, पंचायत के साथ या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या किए गए किसी नियोजन में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वैयक्तिक अंश या हित, जानते हुए अर्जित करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 202 के अधीन अपराध किया है।

स्पष्टीकरण.––इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पंचायत के सेवक" के अन्तर्गत समस्त सम्मिलित हैं जो पंचायत का नियुक्ति प्राधिकारी और उनके पारिश्रमिक के स्त्रोत को विचार में लाए बिना पंचायत में सेवारत है।]

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

152. अधिकारियों आदि का सदोष अवरोध .– कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत के किसी अधिकारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे अधिकारी या सेवक ने किसी स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की अपनी शक्तियां विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की है, उस स्थान, भवन या भूमि पर या उसमें प्रवेश करने की उसकी विधिपूर्वक शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने [1][भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 126 (2)] के अधीन अपराध किया है।

153. पंचायतों के सदस्य आदि को बाधा पहुंचाने का प्रतिषेध.– कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत के किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ किसी पंचायत द्वारा या उसकी ओर से कोई संविदा की गई है, उसके कर्तव्य के निर्वहन में या कोई ऐसी बात करने में जिसे करने के लिए वह प्राधिकृत है, बाधा पहुंचाएगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो [2]{एक हजार रूपए} तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

154. नोटिस को हटाने या मिटाने का प्रतिषेध.– कोई भी व्यक्ति, जो पंचायत या उसके किसी अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन प्रदर्शित किए गए किसी नोटिस को या परिनिर्मित किए गए किसी संकेत या चिन्ह को उस निमित्त किसी प्राधिकार के बिना हटाएगा, विनष्ट करेगा या बिरूपित करेगा या अन्य प्रकार से मिटाएगा वह दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो [3]{एक हजार रूपये} तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

155. जानकारी न देने या मिथ्य जानकारी देने के लिए शास्ति.– [4][(1)] कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम द्वारा या उसके अधीन जारी की गई किसी सूचना या किसी अन्य आदेशिका द्वारा कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित किया गया है, ऐसी जानकारी देने का लोप करेगा या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा, दोषसिद्धि पर, जुर्मान से, जो [5]{एक हजार रूपये} तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

[6][(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में लिखित रूप में कोई

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "दो सौ पचास रूपये" शब्दों के स्थान पर रखे गए ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा " पचास रूपये" शब्दों के स्थान पर रखे गए ।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[5] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा "दो सौ पचास रूपये" शब्दों के स्थान पर रखे गए ।

[6] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।]

156. बोली लगाने का प्रतिषेध.– (1) पंचायत का कोई सदस्य, या सेवक या ऐसा कोई अधिकारी, जिसे इस अधिनियम के अधीन जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करना है, ऐसे विक्रय में बेची जाने वाली किसी सम्पत्ति के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बोली नहीं लगाएगा या उसमें कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और यदि वह पंचायत का अधिकारी या सेवक है तो वह सेवा से हटाए जाने का भी दायी होगा।

157. किसी पंचायत को नुकसान की प्रतिपूर्ति किए जाने की प्रकिया.– यदि किसी कार्य, अपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा जिसके कारण व्यक्ति ने इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उपगत की है और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो वह ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति करने और साथ ही ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और विवाद के मामले में नुकसान का मूल्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा जिसने ऐसी शास्ति उपगत करने वाले व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और भंग करने पर ऐसे मूल्य का संदाय न किया जाने पर, वह राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

158. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति में गड़बड़ करने के लिए शास्ति.– (1) जो कोई भी, ग्राम पंचायत या अन्य विधिपूर्ण प्राधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना पटरी, नाली या लोक गली की अन्य सामग्री या किसी बाड़, दीवार अथवा उसके स्थान या लैम्प के खम्बे अथवा ब्रैक्ट, दिशा स्तम्भ, स्थायी स्तम्भ नल या ग्राम पंचायत की ऐसी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाता है, स्थानान्तरित करता है या अन्यथा हस्तक्षेप करता है तो, जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) यदि, अपने कृत्य, अवहेलना या चूक द्वारा किसी व्यक्ति ने उप–धारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति उपगत कर ली है और पंचायत की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी नुकसानी को पूरा करने के लिए और ऐसी शास्ति के संदाय के लिए भी दायी होगा, और नुकसानी विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में निर्धारित की जाएगी और उस अपराधी से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

[1]{अध्याय 10–क

निर्वाचन अपराध

158–क. निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना.– जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर सम्प्रवर्तित करेगा या सम्प्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिस की अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

158–ख. निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.– (1) उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घण्टों की कालावधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र में कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन से सम्बन्धित कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उस में उपस्थित होगा, न उसमें शामिल होगा या उसे संबोधित नहीं करेगा ; या

(ख) चलचित्र, टेलीवीजन या उसी प्रकार के अन्य यंत्र के द्वारा कोई निर्वाचन सामग्री जनसाधारण को प्रदर्शित नहीं करेगा ; या

(ग) उसमें लोगों को आकर्षित करने की दृष्टि से कोई संगीत समारोह या कोई नाट्याभिनय अथवा कोई अन्य मनोरंजन या आमोद करके या उनको किए जाने का प्रबन्ध करने द्वारा लोगों को किसी निर्वाचन सामग्री का प्रचार नहीं करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना करेगा वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा में, पद "निर्वाचन सामग्री" से, किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर या प्रभाव डालने के लिए आशयित या प्रकल्पित कोई सामग्री अभिप्रेत है।

158–ग. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव.– (1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संव्यवहार का निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिस के लिए यह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा अध्याय 10–क जोड़ा गया ।

सकेगी या जुर्माने से जो, दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) यह धारा राजनैतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई, अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है।

(4) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है उसने उप–धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारण्ट के बिना गिरफतार कर सकेगा।

158–घ. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निबन्धन.– (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को––

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें वह उसके प्रकाशक की अन्ययता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वंय जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतिक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है ; और

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा या न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित,–

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त को; और

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है उपायुक्त को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न

है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और "मुद्रक" पद का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा; और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से, किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–ङ. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.– (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति से निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–च. निर्वाचन में आफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे.– (1) कोई भी व्यक्ति, जो कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अफिसर ने निर्वांचन से संसक्त किसी कर्त्तव्य का पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वांचन के संचालन या प्रबन्ध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य–

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए, मनाने का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का ; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति में असर डालने का प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञय होगा।

158–छ. मतदान केन्द्रों में या उन के निकट मत संयचना का प्रतिषेध.– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिस को या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र में एक सौ मीटर की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यो में से कोई कार्य न करेगा, अर्थातः–

(क) मतों के लिए संयचना ; या

(ख) किसी निर्वाचक से उस के मत की याचना करना ; या

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना ; या

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना ;या

(ड.) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना या संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढ़ाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–ज. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति.– (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिन को किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है–

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन के लिए कोई मेगाफान या ध्वनि विस्तारक जैसा साधित्र मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उस के पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता न कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या

मतदान केन्द्र में कर्त्तव्यरूढ आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझ कर सहायता देगा या उस का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफतार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा उप–धारा (1) के उपलन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहीत कर सकेगा।

158–झ. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति .– (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटो के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्त्तव्यरूढ़ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां ऐसे प्रयुक्त न की जाएगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने तक निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–ञ मतदान करने के लिए प्रकिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.– यदि कोई निर्वाचक जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

158–ट. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति.– यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संवर्ग में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा जैसा धारा 180 के खण्ड

(6) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

158–ठ. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्त्तव्य के भंग.– (1) यदि कोई व्यक्ति जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्त्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का युक्तियुक्त हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(3) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(4) वे व्यक्ति जिन्हें यह धारा लागू है, ये है, जिला निर्वाचन आफिसर रिटर्निग आफिसर, सहायक रिर्टनिग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं हाथ लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्त्तव्य के पालन के लिए विरुद्ध कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्त्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्त्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित है।

158–ड. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.– यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

158–ढ. मतदान केन्द्र को या उसके समीप सशस्त्र होकर जाने का प्रतिषेध.– (1) कोई भी व्यक्ति,रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, कोई पुलिस आफिसर और मतदान केन्द्र पर परिशान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति जो मतदान केन्द्र में डियूटी पर है से भिन्न, मतदान के दिन, मतदान केन्द्र के पड़ोस के भीतर किसी प्रकार के आयुद्ध सहित, जैसा आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में यथापरिभाषित है, सशस्त्र होकर नहीं जाएगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुद्ध अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन के अपराध के लिए सिद्वदोष ठहराया जाता है, उक्त अधिनियम में यथावर्णित आयुद्ध उसके कब्जे में पाया जाता है अधिहरण का दायी होगा और वहां ऐसे आयुद्ध के सम्बन्ध में दी गई

अनुज्ञपित उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहृत की गई समझी जाएगी।

(4) उप धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

158–ण. मतदान केन्द्र, से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा.– (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूवर्क बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारवास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफतार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए पुलिस आफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तालाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब कभी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफतार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

158–त. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध.– जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजनों के लिए बूथ का बलात् ग्रहण के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को उनके मत के अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग से निवारित करना ;

(ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रपीड़ित या अभित्रासित या धमकी देना या उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है ; और

(ङ.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रिया–कलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रिया–कलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

158–थ. मतदान के दिन कर्मचारियों को संदाय सहित अवकाश दिन प्रदान किया जाएगा.– (1) किसी कारबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित और पंचायती निकायों के निर्वाचन में मत देने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को, निर्वाचन के दिन, अवकाश प्रदान किया जाएगा।

(2) उप–धारा (1) के अनुसार दिए गए अवकाश के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में से कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे आधार पर नियोजित है कि साधारणतया ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्राप्त नहीं करेगा, तो भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी जिसको वह प्राप्त करता, यदि उस दिन के लिए उसे अवकाश न दिया होता।

(3) यदि कोई नियोजक उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन के बारे में, खतरा या सारवान हानि कारित हो, जिसमें कि वह लगा हुआ है।

158–द. मतदान के दिन [1][और गणना के दिन] शराब बेचना, देना या वितरित न करना.– (1) कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में [2][और मतगणना के दिन] किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां उसके कब्जे में पाये गए स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ अधिहरण के दायी होंगे और उनका निपटारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

158–ध. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां.– (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति–

(क) कोई नामनिर्देशन–पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(ख) रिटर्निंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा; अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक–मतपत्र द्वारा मत देने के सम्बन्ध में उपयोग में लाया गया है कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा ; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा ; अथवा

(ड.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति––

(क) यदि वह रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ; और

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्त्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्त्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्त्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्त्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

(4) उप–धारा (2) के अधीन अपराध संज्ञेय होगा। }

अध्याय–11

निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

159. परिभाषाएं.– इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) "एजेन्ट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उसकी लिखित सहमति से उम्मीदवार द्वारा अपने निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन में लिखित रूप में नियुक्त किया गया हो ;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 161 के अधीन निर्वाचन अर्जी की सुनवाई के लिए प्राधिकृत अधिकारी, अभिप्रेत है ;

(ग) "उम्मीदवार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है या किए जाने का दावा करता है और ऐसे किसी व्यक्ति को तब से भावी निर्वाचन

में उम्मीदवार समझा जाएगा जब से वह अपने आपको भावी उम्मीदवार के रूप में प्रकट करना प्रारम्भ करता है ;

(घ) "भ्रष्ट आचरण" से धारा 180 में विनिर्दिष्ट कोई आचरण, अभिप्रेत है ;

(ड.) "लागत" से निर्वाचन अर्जी के विचारण या उससे आनुषंगिक सारी लागत, प्रभार और खर्चे, अभिप्रेत है ;

(च) "निर्वाचन" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी पद को भरने के लिए किया गया निर्वाचन, अभिप्रेत है ;

(छ) "निर्वाचन अधिकार" से किसी व्यक्ति का किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न खड़े होने अथवा हट जाने या मत देने अथवा मतदान से विरत रहने का अधिकार अभिप्रेत है।

160. राज्य निर्वाचन आयोग.– (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, राज्य में पंचायत निकायों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के लिए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा [1][:

परन्तु केवल ऐसे व्यक्ति पर राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा. जिसने केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप–ए या श्रेणी–I के पद पर बीस वर्ष तक कार्य किया हो और उसे निर्वाचन (निर्वाचनों) के संचालन का अनुभव हो तथा उसके विरुद्ध कोई सतर्कता या विभागीय मामला लंबित न होः

परन्तु यह और कि नियुक्ति करने से पूर्व सतर्कता अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।]

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करेः

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च–न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगा, जितने इस

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

अधिनियम के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।

[1]{**160—क. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण .—** (1) यदि [2][जिला निर्वाचन अधिकारी] को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में, ——

(क) इस प्रयोजन के लिए उसका मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाए, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है; अथवा

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो [3][जिला निर्वाचन अधिकारी] ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगी जैसाकि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उप—धारा के अधीन तब तक अधिगृहित न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत [4][जिला निर्वाचन अधिकारी] यह समझती है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जाएगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा धराएं 160—क, 160—ख, 160—ग, 160—घ, और 160—ड. अतंःस्थापित की गई ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उप–धारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पत्ति उस उप–धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में–

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है, और झोंपड़ी, शैड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है; और

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

160–ख. प्रतिकर का संदाय.– (1) जब कभी राज्य सरकार किसी परिसर को धारा 160–क के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रख कर किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक ;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है वह अवधारण के लिए उसे राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :– इस उप–धारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि से वह व्यक्ति, जो धारा 160–क के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी राज्य सरकार कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 160–क के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त

किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण राज्य सरकार ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगी :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहित पूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उप–धारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वह सहमत हो जाए, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी।

160–ग. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति.– (1) जब कि धारा 160–क के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसे परिदान राज्य सरकार को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में है, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

(2) जहां कि वह व्यक्ति जिसे धारा 160–क के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उप–धारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चिय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहां राज्य सरकार यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवाएगी और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(3) जब कि उप–धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेगें और उनकी बाबत यह समझा जाएगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए है, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और राज्य सरकार उक्त तारीख के पश्चात्

किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगी।

160–घ. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन.– राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उस सरकार पर धारा 160–क से लेकर धारा 160–ग तक के उपबन्धों में से किसी द्वारा प्रदत्त कोई शक्तियां या अधिरोपित कोई कर्त्तव्य ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसे आफिसर या ऐसे वर्ग के आफिसरों द्वारा प्रयुक्त या निर्वहित किए जाएंगे जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

160–ङ. कर्मचारिवृन्द की प्रतिनियुक्ति और शासकीय कर्त्तव्य के भंग पर दण्ड.– (1) राज्य सरकार, सरकारी या राज्य सरकार के अर्ध–सरकारी संगठनों से पंचायत निकायों के सभी निर्वाचन का संचालन करने के लिए कर्मचारीवृन्द प्रतिनियुक्त करेगी और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार तथा सभी निर्वाचनों के संचालन में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृन्द उस अवधि के लिए जिसके दौरान वे इस प्रकार नियोजित किए जाते है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और ऐसे अधिकारी और कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे।

(2) यदि उक्त उप–धारा (1) के अधीन निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त कोई व्यक्ति निर्वाचन ड्यूटी के पालन से सम्बन्धित इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन का संचालन करने के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा करता है या जानबूझकर कर्त्तव्य से विमुख होता है अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।}

161. निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी.–इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन अर्जियों की सुनवाई निम्नलिखित द्वारा की जाएगी––

(i) ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मामले में उप–मण्डल अधिकारी द्वारा ; और

(ii) जिला परिषद् [1]{के सदस्यों} के मामले में उपायुक्त द्वारा।

(iii) [2]{जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में [3][मण्डलायुक्त] द्वारा।}

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा जोड़े गए।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा जोड़ा गया ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

162. निर्वाचन अर्जियां .– इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन को, सिवाय इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन अर्जी उपस्थापित करके, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

163. अर्जी उपस्थापित करना.– (1) पंचायत का कोई मतदाता, विहित रीति में विहित प्रतिभूति दे देने पर परिणाम के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर, धारा 175 की उप–धारा(1) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक आधारों पर, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के निर्वाचन के विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी को, लिखित निर्वाचन अर्जी उपस्थापित कर सकेगा :

[1]{परन्तु यदि पंचायत का कोई पदाधिकारी अर्हित नहीं था या उसके निर्वाचन से पूर्व इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने के लिए निरर्हित था और ऐसी निरर्हरता ऐसे पद पर उसके निर्वाचन के पश्चात् भी जारी रहती है, तो ऐसे मामलों में तीस दिन की परिसीमा अवधि लागू नहीं होगी।}

(2) प्राधिकृत अधिकारी को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित की गई समझी जाएगी–

(क) जब यह प्राधिकृत अधिकारी को ––

(i) अर्जी करने वाले व्यक्ति द्वारा परिदत्त की जाती है ; या

(ii) अर्जी करने वाले व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है ;

(ख) जब यह रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है और प्राधिकृत अधिकारी को या इसे प्राप्त करने के लिए सशक्त किसी अन्य अधिकारी को परिदत्त की जाती है।

[2]{**163–क. याचिका के पक्षकार.–** कोई याची अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल होगा–

(क) जहां याची, घोषणा का दावा करने के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचित अभ्यर्थियों का निर्वाचन शून्य है, आगे ऐसी घोषणा का दावा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, याची से भिन्न सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, और जहां आगे किसी घोषणा का दावा नहीं किया जाता है, सभी निर्वाचित अभ्यर्थी ; और

(ख) कोई अन्य अभ्यर्थी जिसके खिलाफ याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन किए जाते है।}

164. अर्जी की अंतर्वस्तु.– (1) निर्वाचन अर्जी–

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 17) द्वारा परन्तुक अन्तः स्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा धारा 163–क अन्तःस्थापित की गई।

(क) उन तात्विक तथ्यों के संक्षिप्त कथन से युक्त होगी जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है ;

(ख) उन भ्रष्ट आचरणों की पूर्ण विशिष्टियां उपवर्णित करेगा जिन्हें अर्जीदार अभिकथित करता है। जिसके अन्तर्गत, ऐसा भ्रष्ट आचरण करने के लिए अभिकथित पक्षकारों के नाम और ऐसे प्रत्येक आचरण के किए जाने की तारीख और स्थान का यथा सम्भव पूर्ण अभिकथन भी है ; और

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अभिवचनों के सत्यापन के लिए अधिकथित रीति में सत्यापित की जाएगी :

परन्तु जहां अर्जीदार कोई भ्रष्ट आचरण अधिकथित करता है, वहां अर्जी के साथ ऐसे अभिकथित भ्रष्ट आचरण और उसकी विशिष्टियों के समर्थन में, विहित प्ररूप में शपथ–पत्र लगाया जाएगा।

(2) अर्जी की कोई अनुसूची या उपबन्ध, अर्जीदार द्वारा उसी रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा, जिसमें अर्जी की जाती है।

165. निर्वाचन अर्जी की प्राप्ति पर प्रक्रिया.– यदि निर्वाचन अर्जी विहित रीति में प्रस्तुत नहीं की जाती है, या अर्जी धारा 163 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपस्थापित नहीं की जाती है तो, प्राधिकृत अधिकारी अर्जी को खारिज कर देगाः

परन्तु अर्जी, अर्जीदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना खारिज नहीं की जाएगी।

166. अर्जियों का वापस लेना और अन्तरण.– मण्डल आयुक्त, पक्षकारों को नोटिस के पश्चात् और कारणों को अभिलिखित करके किसी भी प्रक्रम पर, प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन अर्जी को वापस ले सकेगा और इसे विचारण के लिए अपने मण्डल में किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को अन्तरित कर सकेगा और ऐसे अन्तरण पर वह प्राधिकृत अधिकारी उस प्रक्रम से जिससे इसे वापस लिया गया था, विचारण आरम्भ करेगा :

परन्तु ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह उचित समझे, किसी साक्षी को जिसका परीक्षण पहले कर लिया गया हो, पुनः बुला सकेगा और परीक्षण कर सकेगा।

167. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रक्रिया.– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत अधिकारी [1]{यथाशक्य शीघ्र और साधारणतया} प्रत्येक निर्वाचन अर्जी का धारा 163 के अधीन इसके उपस्थापित किए जाने की तारीख से छः मास के भीतर

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1997(1997 का अधिनियम संख्यांक 10) द्वारा जोड़े गए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चय करेगा :

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को, कारणों को अभिलिखित करके किसी साक्षी या साक्षियों का परीक्षण करने से इन्कार करने का विवेकाधिकार प्राप्त होगा, यदि इसकी यह राय हो कि उनका साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तात्विक नहीं है या साक्षियों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों को विलम्बित करने के लिए, ऐसा कर रहा है।

(2) इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, [1][भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47)] उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन अर्जी के विचारण के लिए लागू समझे जायेंगे।

168. प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपसंजाति.– प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कोई उपसंजाति, आवेदन या कार्य पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसकी ओर से सम्यक् रूप से नियुक्त प्लीडर द्वारा की जा सकेगी या किया जा सकेगाः

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपसंजात होने का निदेश दे सकेगा, जब भी प्राधिकृत अधिकारी, इसे आवश्यक समझे।

169. प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां.– निम्नलिखित मामलों के बारे में विचारण करते समय प्राधिकृत अधिकारी को वे शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय में निहित हैः–

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) साक्षियों को हाजिर कराना और उनके खर्च को जमा कराने की अपेक्षा करना ;

(ग) दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना;

(घ) साक्षियों का शपथ पर परीक्षण;

(ड.) स्थगन मंजूर करना;

(च) शपथ पत्र पर लिए गए साक्ष्य को प्राप्त करना;

(छ) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन निकालना;

और किसी व्यक्ति को जिसका साक्ष्य तात्विक प्रतीत हो, स्वप्रेरणा से समन और उसका परीक्षण करना तथा यह [2][भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

2023 (2023 का 46) की धारा 384 और 385] के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरणः— साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमा, हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा होगी।

170. दस्तावेजी साक्ष्य.— किसी अधिनियमिति में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई, दस्तावेज किसी निर्वाचन अर्जी के विचारण पर साक्ष्य में इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि यह सम्यक् रूप से स्टाम्पित और रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

171. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न करना.— किसी भी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि उसने निर्वाचन में किसको मत दिया है।

172. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परित्राण का प्रमाण पत्र.— (1) किसी भी साक्षी को, निर्वाचन अर्जी के विचारण में विवाद विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी कि ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे अपराध में फंसा सकेगा या उसको अपराध में फंसाने वाला हो सकेगा या उसको किसी शास्ति या समपहरण के जोखिम में डाल सकेगा या जोखिम में डालने वाला बना सकेगा :

परन्तुः

(क) वह साक्षी जो उन्हें सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा की जाती है, निर्वाचन अधिकरण से परित्राण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा ; और

(ख) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष पूछे गए प्रश्न का साक्षी द्वारा दिया गया उतर, उस साक्ष्य सम्बन्धी शपथ भंग के लिए दाण्डिक कार्यवाही के बारे में साक्ष्य के सिवाय किसी, सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में उसके विरूद्ध साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगा।

(2) जब किसी साक्षी को परित्राण प्रमाण—पत्र दे दिया जाता हैं, तो उस द्वारा उसका किसी न्यायालय में अभिवचन किया जा सकेगा और वह [1][भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 9] के अधीन उस विषय से जिससे ऐसा प्रमाणपत्र सम्बन्धित है, प्रोद्भूत होने वाले किसी आरोप पर या उसके विरुद्ध विस्तृत और पूरी प्रतिरक्षा करेगा, किन्तु वह उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित निर्वाचन से सम्बन्धित किसी ऐसी निरर्हता से, अवमुक्त करने वाला नहीं समझा जाएगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

173. साक्षियों के व्यय.– साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञात किया जा सकेगा और जब तक प्राधिकृत अधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, वह लागत का भाग समझा जाएगा।

174. प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय.– (1) जहां कोई निर्वाचन अर्जी धारा 165 के अधीन खारिज नहीं की गई है वहां प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचन अर्जी के सम्बन्ध में जांच करेगा और जांच की समाप्ति परः–

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने; या

[1]{(ख) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने; या }

[2]{(ग) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित करने और याची या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित किए जाने का आदेश करेगा।}

(2) उप–धारा (1) के अधीन आदेश करते समय प्राधिकृत अधिकारी यह आदेश भी करेगाः–

(क) जहां निर्वाचन में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण का अर्जी में आरोप लगाया गया हो, यह अभिलिखित करते हुए किः–

(i) निर्वाचन में किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना सिद्ध हुआ है या नहीं और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति ; और

(ii) उन सभी व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो, जिनके बारे में विचारण में यह सिद्ध हुआ है कि वे किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं और उस आचरण की प्रकृति; और

(ख) संदेय लागत की कुल रकम नियत करते हुए और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिन द्वारा और जिनको लागत संदत्त की जाएगीः

परन्तु वह व्यक्ति जो अर्जी में पक्षकार नहीं है, खण्ड (क) के उप–खण्ड (2) के अधीन आदेश में नामित नहीं किया जाएगा, जब तक किः–

(i) उसे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष हाजिर होने और यह कारण बताने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो कि, उसे इस प्रकार क्यों नामित न किया जाए ; और

(ii) यदि वह नोटिस के अनुसरण में हाजिर होता है, उसे किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने, जिसका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001(2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा खण्ड (ख) प्रतिथापित किया गया ।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001(2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा खण्ड (ग) अन्तःथापित किया गया ।

पहले परीक्षण किया जा चुका है और जिसने उसके विरूद्ध साक्ष्य दिया है, अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने और सुनवाई का अवसर दिया गया है।

175. [1]{निर्वाचन को शुन्य घोषित करने के आधार}.– (1) यदि प्राधिकृत अधिकारी की यह राय हो कि:–

(क) निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं था या निरर्हित था ; या

(ख) निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेण्ट द्वारा या निर्वाचित व्यक्ति या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है ; या

(ग) किसी नाम निर्देशन को अनुचित रूप से अस्वीकार किया गया है; या

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहां तक यह निर्वाचित व्यक्ति से सम्बन्धित है, तात्विक रूप से निम्नलिखित द्वारा प्रभावित हुआ है:–

(i) किसी नाम–निर्देशन की अनुचित स्वीकृति द्वारा ; या

(ii) किसी ऐसे मत के अनुचित ग्रहण, इन्कार या स्वीकृत अथवा किसी ऐसे मत के ग्रहण द्वारा जो शून्य है ; या

(iii) इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के किसी अनुपालन द्वारा,

तो प्राधिकृत अधिकारी [2]{निर्वाचित व्यक्तियों के निर्वाचन को शुन्य घोषित कर देगा ।}

[3]{(2) धारा 175–क के उपबन्धों के अध्यधीन, जब उप–धारा (1) के अधीन निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन शुन्य घोषित किया जा चुका हो, तब इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन, नया निर्वाचन कराया जायेगा ।}

[4]{175–क. निर्वाचित व्यक्ति से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार.– यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने याचिका दाखिल की है निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा "निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन का आपास कर देगा" शब्दों के स्थान पर रखे गए ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा उप–धारा (2) प्रतिस्थापित की गई।

[4] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा धारा 175.–क और 175–ख अन्तःस्थापित की गई।

अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है और प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि––

(क) याची को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है, अथवा

(ख) निर्वाचित व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण द्वारा, अभिप्राप्त मतों के अभाव में याची या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती,

तो प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथास्थिति, याची या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

175–ख. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया.– यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर है और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो–

(क) रिटर्निग अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहां तक, जहां तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उस याचिका के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा ; और

(ख) जहां तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उनके बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था।}

176. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन .– निर्वाचन अर्जी का उपशमन केवल एकमात्र अर्जीदार या कई अर्जीदारों के उत्तरजीवी की मृत्यु पर ही होगा।

177. खर्चे और प्रतिभूति निक्षेपों में से संदाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी.– (1) खर्चे, जिसके अन्तर्गत प्लीडर की फीस भी हैं, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होंगे।

(2) यदि इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन खर्चों के बारे में किसी आदेश में, किसी पक्षकार द्वारा किसी व्यक्ति को खर्चों को संदाय किए जाने के लिए निदेश है तो, ऐसे खर्चे यदि वे पहले संदत्त न किए गए हो, तो उस व्यक्ति द्वारा जिसके पक्ष में खर्चे अधिनिर्णीत किए गए है, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपायुक्त को इस निमित्त लिखित आवेदन किए जाने पर, इस अध्याय के अधीन ऐसे पक्षकार द्वारा किए गए प्रतिभूति निक्षेप से पूर्णतः या जहां तक सम्भव हो संदत्त किए जाएंगे।

(3) यदि इस अध्याय के अधीन, प्रतिभूति निक्षेप में उप–धारा (1) के अधीन उस उप–धारा में विनिर्दिष्ट खर्चे के संदाय के पश्चात्, कोई अतिशेष बच जाता है, तो ऐसा अतिशेष, या जहां खर्च अधिनिर्णीत नहीं किया गया है अथवा यथापूर्वोक्त आवेदन उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया गया है, को उक्त सम्पूर्ण प्रतिभूति निक्षेप, उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिभूति निक्षिप्त की है, या यदि ऐसे व्यक्ति का ऐसा निक्षेप करने के पश्चात् देहान्त हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त उपायुक्त को लिखित आवेदन किए जाने पर, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि जो वापस किया जाएगा।

178. खर्चें सम्बंधी आदेशों का निष्पादन.– इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन खर्चों के बारे में आदेश ऐसे प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस व्यक्ति का निवास या कारवार का स्थान है, जिसे कोई धनराशि संदत्त करने के लिए ऐसे आदेश द्वारा निदेश किया गया है और ऐसा न्यायालय आदेश को उसी रीति में और उसी प्रक्रिया द्वारा निष्पादित करेगा या निष्पादित करवायेगा, मानो कि वह वाद में धन के संदाय के लिए उसके द्वारा की गई डिक्री हो :

परन्तु जहां धारा 177 की उप–धारा (2) के अधीन किए गए आवेदन द्वारा किसी ऐसे खर्चें या उसके किसी भाग की वसूली की जा सकती हो, वहां इस धारा के अधीन कोई आवेदन ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि वह किन्हीं खर्चों के उस अतिशेष की वसूली के लिए न हों, जो उस उप–धारा के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात् उस उप–धारा में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेपों की रकम की अपर्याप्तता के कारण वसूल नहीं किया जा सका है।

[1]{××××××××××××××××××××××××}

180. भ्रष्ट आचरण.– इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण समझे जाएगेः

(1) रिश्वत, अर्थात,–

(अ) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का दान, प्रस्थापना या बचन जिसका उद्देश्य प्रत्यक्षतः या परोक्षतः हैः–

(क) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने के लिए, या उम्मीदवारी वापस लेने के लिए ; या

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा धारा 179 का लोप किया गया लोप।

(ख) किसी निर्वाचन में पंचायत क्षेत्र के मतदाता को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए;

या निम्नलिखित को पुरस्कार के लिए उत्प्रेरित करना है:—

(i) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़े होने या खड़े न होने या, अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लेने के लिए; या

(ii) पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को इस बात के लिए कि उसने मत दिया है या वह मत देने से विरत रहा है;

(आ) निम्नलिखित द्वारा किसी परितोषण की प्राप्ति या प्राप्त करने का करार, चाहे पुरस्कार के रूप में या हेतुक के रूप में—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या खड़े न होने, या उम्मीदवारी वापस लेने; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा जिस किसी को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को मत देने या मतदान करने से विरत रहने के लिए, या किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना।

स्पष्टीकरणः— इस खण्ड के प्रयाजनों के लिए शब्द "परितोषण" धनीय परितोषण या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के सत्कार और पुरस्कार के लिए सभी प्रकार के नियोजन भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत किन्हीं व्ययों का संदाय नहीं है।

(2) अनुसूचि प्रभाव, अर्थात्, किसी निर्वाचन अधिकारी के अबाध प्रयोग में उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की ओर से या उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयत्नः

परन्तु——

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसा कोई व्यक्ति, जो——

(i) किसी उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे उम्मीदवार या ऐसा सदस्य हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन भी है, पहुंचाने की धमकी देता है ; या

(ii) किसी उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जाएगा या बना दिया जाएगा;

इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार या पंचायत क्षेत्र के मतदाता के निर्वाचन अधिकार के अबाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता हुआ समझा जाएगा।

(ख) लोक निति की कोई घोषणा या, लोक कार्रवाई का वचन, अथवा किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना किसी विधिक अधिकार का प्रयोग इस खण्ड के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं समझा जाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूलवंश जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या न देने से विरत रहने की उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुहाई या उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या दुहाई अथवा राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई।

(4) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाएं संप्रवर्तित करना या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करना।

(5) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार के वैयक्तिक चरित्र या आचरण के सम्बन्ध में, या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उम्मीदवारी वापस लेने के बारे उम्मीदवार की निर्वाचन सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन होते हुए किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसको या तो विश्वास है या सत्य होने का विश्वास नहीं है।

(6) उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे संदाय पर या अन्यथा, पंचायत क्षेत्र के किसी मतदाता, सभा सदस्य (स्वंय, उसके कुटुम्ब के सदस्य या एजेण्ट से भिन्न) को किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान

को या वहां से ले जाने के लिए किसी यान को भाड़े पर लेना या उपाप्त करना।

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड में शब्द "यान" से अभिप्रेत है कोई ऐसा यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से चालित है या अन्यथा और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता है या अन्यथा।

[1]{(6—क) धारा 121—क के उल्लंघन में खर्च उपगत करना या प्राधिकृत करना। }

(7) उस उम्मीदवार का निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा, अथवा उम्मीदवार या उसके एजेण्ट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति से जो सरकार, भारत सरकार, या किसी अन्य राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में है, कोई सहायता अभिप्राप्त करना या उपाप्त करना अथवा अभिप्राप्त या उपाप्त करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना।

[2]{**181. अपीलें .—** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित समय के भीतर और विहित रीति में,—

(i) उप—मण्डल अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में, उपायुक्त को ;

(ii) उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में, मण्डल आयुक्त को ; और

(iii) मण्डल आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में, वित्तायुक्त (अपील), को;

अपील कर सकेगा और वह 90 दिन की अवधी के भीतर अपील की सुनवाई करेगा तथा निपटारा करेगा और जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।}

182. निर्वाचन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन .— निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के आबंटन से संबंधी, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी विधि की [3]{इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्यता} को, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

---

[1]. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा उपधारा (6—क) जोड़ी गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा धारा 181 प्रतिस्थापित की गई ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा शब्दों "विधिमान्यता" के स्थान पर रखे गए।

183. निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति .– राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, पंचायतों के गठन, निर्वाचन के संचालन, चुनाव चिन्ह देने और पंचायतों के निर्वाचन से संबधित सभी मामलों के लिए नियम बना सकेगी।

अध्याय–12

विकास योजनाएं और जिला योजना समितियां

[1]{**184. विकास योजनाएं तैयार करना.–**(1) प्रत्येक पंचायत, अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कृत्य तथा ऐसे अन्य कृत्य की, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं जहां तक उनके अपने अपने क्षेत्र के भीतर ऐसे कृत्यों के अनुपालन करने हेतु पंचायत निधियां अनुज्ञात करती है, प्रतिवर्ष विकास योजना तैयार करेगी।

(2) प्रत्येक पंचायत, प्रति वर्ष अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए विकास योजना की स्कीमें तैयार करेगी और इस अधिनियम के अधीन गठित की गई जिला योजना समिति को प्रेषित करेगी।}

185. जिला योजना समिति.– (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में, जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और सम्पूर्ण जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करने के लिए जिला योजना समिति का गठन करेगी।

(2) जिला योजना समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगीः–

[2]{(क) राज्य सरकार द्वारा चयन किया जाने वाला मन्त्री [3]{या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष,} जो जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होगा; और

(कक) लोक सभा के सदस्य जो सम्पूर्ण जिले या उसके भाग का प्रतिनिधित्व करते है ;}

(ख) जिला परिषद् का अध्यक्ष ;

(ग) जिले के मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाली नगरपालिका का मेयर या प्रधान ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा धारा 184 प्रतिस्थापित की गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्याकित किया गया तथा खण्ड (क) को अन्तः स्थापित किया गया।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा जोड़े गए।

(घ) जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जंनसख्या के अनुपात में, जिले की जिला परिषद् और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से विहित रीति में निर्वाचित व्यक्तियों की समिति के कुल सदस्यों की संख्या के पांचवें भाग के चार गुणे से अन्यून ऐसी संख्या, जो सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले में पड़ते है और जो जिले में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है [1]{×××××××} और जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के प्रतिनिधि समिति के स्थायी आमन्त्रित होंगे।

[2]{(4) सम्बद्ध जिला का उपायुक्त, समिति का सचिव होगा।}

[3]{××××××××××××××××××××××××××××××}

(6) जिला योजना समिति, जिले में जिला परिषद, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और सम्पूर्ण जिले के लिए प्रारूप विकास योजना तैयार करेगी।

(7) प्रत्येक जिला योजना समिति, प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखेगीः—

(क) (i) जिले में जिला परिषद्, पंचायत समितियों,ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामूहिक हित, जिसके अन्तर्गत, स्थानीय योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक स्त्रोतों, की सांझदारी अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यवरणात्मक संरक्षण है ;

(ii) उपलब्ध स्त्रोतों का विस्तार और प्रकार चाहे वित्तीय या अन्यथा ;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करना, जैसा सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(8) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, उस विकास योजना को, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाए, सरकार को प्रेषित करेगा।

अध्याय—13

नियम और उप—विधियां

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा "तथा उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट" शब्दों का लोप किया गया।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 15) द्वारा उपधारा (4) प्रतिस्थापित की गई ।

[3] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2001 का अधिनियम संख्यांक 4) द्वारा उपधारा (5) का लोप किया गया।

186. नियम बनाने की शक्ति .– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन विहित या नियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने के लिए आपेक्षित सभी या किन्ही विषयों के लिए, उपबन्ध किया जा सकेगा।

(3) सभी नियम [1][अधिनियम की धारा 135 के अधीन बनाए गए नियमों के सिवाए] पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

(4) सभी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

(5) कोई नियम बनाते समय, राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा और भंग के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, पांच रूपये तक का हो सकेगा,दण्डनीय होगा।

187. उप विधियां.– (1) पंचायत इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत उप विधियां बना सकेगी।

(2) कोई नियम बनाते समय, पंचायत यह निर्देश दे सकेगी कि उसका भंग, जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा और भंग के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान भंग प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात चालू रहता है, पांच रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई उप–विधि तब तक प्रवृत नहीं होगी, जब तक इसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा नहीं कर दी जाती है।

(4) नियम बनाने और उनके अनुमोदन की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

188. आदर्श उप–विधियां.–(1) राज्य सरकार, समय–समय पर, पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए, आदर्श उप–विधियां बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार, पंचायत को, आदर्श उप–विधियों को स्थानीय स्थितियों के अनुकूल उपान्तरित करके, अपनाने का निर्देश दे सकेगी।

(3) यदि पंचायत उप–धारा (2) के निर्देश का छःमास के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो, राज्य सरकार ऐसी पंचायत को, ऐसे आदर्श नियम लागू कर सकेगी।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(4) इस धारा के अधीन उप–विधियों को अपनाने या लागू करने के लिए धारा 184 की उप–धारा (4) के उपबन्ध लागू होंगे।

189. शक्तियों का प्रत्यायोजन.– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों के सिवाय, नियम विरचित करने से सम्बन्धित शक्तियों के, अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या किसी पंचायत को प्रत्यायोजित या प्रदत्त कर सकेगी।

(2) यथास्थिति, निदेशक या उपायुक्त, उप–धारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित या प्रदत्त शक्तियों से भिन्न इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित किन्हीं शक्तियों को, किसी अधिकारी को जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय–14

प्रकीर्ण

190. पंचायत के सदस्यों और सेवकों का लोक सेवक होना.– पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक [1][भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(28)के अर्थ] के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

191. सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों का परित्राण .– किसी पंचायत या उसकी किन्हीं, समितियों या उसके किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध या किसी ऐसी पंचायत, उसकी समिति, उसके पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के, निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी बात के संबन्ध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किसी उप–विधि के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा है, कोई वाद नहीं चलाया जाएगा।

192. सदस्यों, पदाधिकारियों, अधिकारियों आदि के विरूद्ध कतिपय वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाएगा .– कलक्टर की पूर्व अनुज्ञा से, पंचायत के किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध ऐसे वाद में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उप–विधियों के अधीन उसके द्वारा की गई किसी बात या किसी कार्रवाई से उद्भूत हुआ हो, प्रतिवाद ऐसे व्यक्ति की ओर से सम्बन्धित पंचायत द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रतिवाद पर उपगत व्यय का संदाय संबंधित पंचायत की निधि में से किया जाएगा।

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

193. नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन .– किसी पंचायत या उसके किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के या इस अधिनियम में वर्णित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के निदेशानुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के अधीन की गई हो या की जाने के लिए तात्पर्यित है, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 80 के अधीन सम्यक् रूप से नोटिस तामील न कर दिया गया हो।

194. तामील करने की पद्धति.– इस अधिनियम से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, उप–विधि या आदेश के अधीन किसी नोटिस या अन्य दस्तावेजों की तामील विहित रीति में की जाएगी।

195. पंचायत के अभिलेख का निरीक्षण और कार्यवाहियों का अभिलिखित किया जाना .– पंचायत या इसकी समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में तैयार और अभिलिखित किए जाएंगे और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और इसकी पुष्टि आगामी बैठक में की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए और ऐसी फीस के संदाय करने पर, जो विहित की जाए, पंचायत तथा उसकी किसी समिति के अभिलेखों का ऐसे व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा जो उनकी वांछा करे, और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे व्यक्तियों को जो उनके लिए आवेदन करे, ऐसी फीस का संदाय करने पर, जैसी कि विहित की जाए, दी जाएगी।

196. सदस्यों आदि को पारिश्रमिक का प्रतिषेध .– पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अनुसार के सिवाय, पंचायत के किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

197. स्वामी या अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर, पंचायत संकर्मों का निष्पादन कर सकेगी और व्यय वसूल कर सकेगी.– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा कोई संकर्म निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, और ऐसे संकर्मो के निष्पादन में व्यतिक्रम किया जाता है, तो चाहे ऐसे व्यतिक्रम के लिए , किसी शास्ति का उपबन्ध किया गया हो या न किया गया हो पंचायत ऐसा संकर्म निष्पादित करवा सकेगी, और उसके द्वारा उपगत व्ययों का, जब तक इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो, पंचायत को संदाय उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके द्वारा ऐसा संकर्म निष्पादित किया जाना चाहिए था और संदाय करने में व्यतिक्रम किए जाने की दशा में, वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

198. भूमि का अर्जन .– (1) जहां इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कोई भूमि अपेक्षित हो और पंचायत करार द्वारा उसे अर्जित करने में

असमर्थ हो, तो राज्य सरकार ऐसी पंचायत के निवेदन पर और कलक्टर की सिफारिश पर, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन उसे अर्जित करने की कार्रवाई कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर का तथा उन कार्यवाहियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत समस्त अन्य प्रभारों का पंचायत द्वारा संदाय कर दिया जाने पर वह भूमि उस पंचायत में निहित हो जाएगी जिसके लिए वह इस प्रकार अर्जित की गई है।

(2) पंचायत, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसी भूमि, जो उप–धारा (1) के अधीन अर्जित की गई है, अंतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि का उस प्रयोजन, जिसके लिए वह अर्जित की गई है, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन नहीं करेगी।

199. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात कर सकेगी जो उसके उपबंधों से असंगत न हो जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

200. निरसन और व्यावृति .– (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को और से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है), निरसित हो जाएगाः

परन्तु निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगाः–

(क) निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन की गई या होने दी गई किसी बात ; या

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत, या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ;या

(ग) निरसित अधिनियम के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड़ ; या

(घ) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड़ अधिरोपित किया जा सकेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं किया गया होः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए, निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, अनुदेश या निदेश, विरचित नियम, विनियम, उप–विधियां, प्ररूप या स्कीम, प्राप्त प्रमाण–पत्र, मंजूर किया अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति, किया गया रजिस्ट्रीकरण, अधिरोपित कर या उद्गृहीत फीस या रेट है। जहां तक यह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त है और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी और तद्नुसार प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

(2) विद्यमान पंचायतें अपनी कालावधि के अवसान तक बनी रहेगी, यदि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या विधान सभा द्वारा उस प्रभाव के पारित संकल्प द्वारा, उससे पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है।

(3) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के लिए निरसित अधिनियम के अधीन विद्यमान व्यवस्था, प्रवृत्त बनी रहेगी जब कि तत्स्थानी, यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् का इस अधिनियम के अधीन गठन नहीं किया जाता है।

(4) उपायुक्त, विद्यमान ग्राम पंचायत की आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन इस अधिनियम के अधीन गठित उसकी तत्स्थानी ग्राम पंचायत के बीच ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए जाएं।

[1]{(5) यथास्थिति, उनकी विभाजन या पुर्नगठन की दशा में, उपायुक्त पंचायत समितियों की परिसम्पत्तियों और देनदारियों को और निदेशक जिला परिषद् की परिसम्पत्तियों और देनदारियों को, प्रभाजित करेगा।

(6) परिसम्पत्तियों और देनदारियों का प्रभाजन सरकार द्वारा समय–समम पर इस प्रयोजन के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। }

---

[2]{अनुसूची–1

{धारा 11(1) देखें }

ग्राम पंचायत के कृत्य

1. स्वच्छता, सफाई और न्यूसैंन्स का निवारण और उसका उपशमन ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 18) द्वारा उपधाराएं (5) और (6) जोड़ी गई।

[2] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्यांक 22) द्वारा अनुसूचि–1 प्रतिस्थापित की गई।

2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों और टैंकों तथा परम्परागत पारम्परिक जल के स्त्रोतों का सन्निर्माण, मुरम्मत और अनुरक्षण ;

3. ग्राम पथों, खच्चरों के लिए सड़कों और ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और बांधों, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित तथा पोषित न हों, का सन्निर्माण और अनुरक्षण;

4. सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, नालियों, टैंकों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और इनकी सफाई ;

5. भवनों, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों तथा फ्लश शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन;

6. कचरा इक्ट्ठा करना और व्ययन करना तथा कचरा क्षेपण के लिए स्थानों का पृथक रक्षण ;

7. उपयोग न किए जाने वाले कुंओं, अस्वच्छ तालाबों, पोखरों, खाइयों तथा गड्डों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावड़ियों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना;

8. ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना ;

9. सार्वजनिक मार्गों या स्थानों और उन स्थलों में, जो निजी सम्पत्ति न हों या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हों या राज्य सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना ;

10. सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम पंचायत में निहित या उसके नियन्त्रणाधीन ग्राम स्थल, चारागाहों तथा अन्य भूमियों का प्रबन्ध और विकास ;

11. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए से भिन्न, प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण ;

12. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का अनुरक्षण ;

13. वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण ;

14. शवों, पशु–शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन ;

15. लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन ;

16. मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन ;

17. कांजी–हाउस की स्थापना और प्रबन्ध तथा पशुओं से संबधित अभिलेखों का रखा जाना ;

18. बाजारों और मेलों की स्थापना, प्रबन्ध तथा विनियमन ; और

19. जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना।}

———

अनुसूची–2

{धारा 11(2) 83 और 94 देखें}

1. कृषि, कृषि विस्तार सम्मिलित करते हुए।
2. भूमी सुधार एवं भूमी संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल फैलाव विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन।
5. मत्स्य पालन।
6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी।
7. लघु वन उपज।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित करते हुए लघु उद्योग।
9. खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण आवास।
11. पेयजल।
12. ईधन तथा चारा।
13. सड़क, पुलिया, पुल, नौघाट(फैरिज) जल मार्ग तथा आवागमन के अन्य साधन।
14. विद्युत का वितरण सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण।
15. अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत।
16. गरीबी–उन्मूलन योजना।
17. प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा।
18. तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा।
19. प्रौढ़ तथा अनौपचारिक शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।
22. बाजार तथा मेले।
23. अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र तथा औषधालयों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य तथा स्वच्छता।
24. परिवार कल्याण।

25. महिला एवं बाल विकास।
26. विकलांग और मानसिक रूप से बाधितों को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण।
27. कमजोर वर्गों का कल्याण विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का।
28. लोक वितरण पद्धति।
29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

———

[1][अनुसूची–3

(धारा 32 देखें)

ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञेय अपराध

सख्या	अधिनियम या संहिता का नाम	अपराध	धारा
1.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	स्वेच्छया उपहति कारित करना।	115
2.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहतिकारित करना	122(1)
3.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	सदोष अवरूद्ध।	126
4.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या अपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड।	131
5.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	दंगा।	194
6.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना।	206
7.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना।	207
8.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	शपथ या प्रतिज्ञान से इकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया	213

[1] हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 1) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

		जाए।	
9.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इकार करना।	214
10.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करना।	215
11.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न।	267
12.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाब्य हो।	271
13.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक जल–स्त्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।	279
14.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा।	285
15.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	287
16.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षा पूर्ण आचरण।	288
17.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	किसी निर्माण को गिराने, उसकी मुरम्मत करने या संनिर्माण करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	290
18.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।	291
19.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अन्यथा अनुपबन्धित मामलो में लोक न्यूसैन्स के लिए दण्ड।	292
20.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अश्लील कार्य और गाने।	296
21.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	आपराधिक न्यायभंग।	316 (1 व 2)
22.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	चुराई हुई सम्पत्ति।	317 (1 व 2)
23.	भारतीय न्याय संहिता, 2023	छल।	318 (1 व 2)
24	भारतीय न्याय संहिता, 2023	रिष्टि (नुकसान या हानि 1,000 रूपये के मूल्य तक हो)।	324 (1 से 5)
25	भारतीय न्याय संहिता, 2023	जीव–जन्तु का बध करने या उसे विकलांग करने द्वारा	325

		रिष्टि। (1,000 रूपये के मूल्य तक)।	
26	भारतीय न्याय संहिता, 2023	अपराधिक अतिचार और गृह–अतिचार।	329
27	भारतीय न्याय संहिता, 2023	लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान।	352
28	भारतीय न्याय संहिता, 2023	मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार।	355
29	टीका अधिनियम, 1880 (1880 का 13)	धारा 22 के खण्ड (क) (ख) और (घ) के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का दण्ड	धारा 22 के खण्ड (ग) के सिवाय।
30	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	पशुओं के अभिग्रहण का बलपूर्वक विरोध करना अथवा उन्हें छुड़ाना।	24
31	पशु अतिचार अधिनियम, 1871	सुअरों द्वारा भूमि या फसलों और सार्वजनिक सड़कों को नुक्सान पहुंचाया जाना।	26
32	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	बालकों को तम्बाकू बेचने के लिए शास्ति ।	3
33	हिमाचल प्रदेश किशोर (धूम्रपान निषेध) अधिनियम, 1952	सार्वजनिक स्थान में किशोर से तम्बाकू का अभिग्रहण करना।	4
34	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या भार साधक होने के लिए शास्ति ।	3
35	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	जुआ घर में पाए जाने के लिए शास्ति	4
36	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)	गिरफतार व्यक्तियों पर गलत नाम और पता देने के लिए शास्ति।	7
37	सार्वजनिक द्यूत (पब्लिक गैंबलिंग) अधिनियम, 1867 (1867 का 2)]	इस अधिनिमय की धारा 22, 158 और 187 के अधीन अपराध।	

अनुसूची–4
(धारा 46 देखें)

कुछ दावों के लिए परिसीमा।

संख्या	वाद विवरण	परिसीमा अवधि	समय जिसमें अवधि आरम्भ होगी
1.	2.	3	4.
1.	किसी संविदा पर देय धन के लिए।	तीन वर्ष	जब वादी को धन देय हो जाए।
2.	जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए	तीन वर्ष	जब वादी जंगम सम्पत्ति लेने का हकदार हो जाए।
3.	किसी जंगम सम्पत्ति को संदोषतः लेने या क्षति पहुंचाने के प्रतिकर के लिए।	तीन वर्ष	जब जंगम सम्पत्ति संदोषतः ली गई थी या जब इसको क्षति पहुंचाई गई थी।
4.	पशु अतिचार द्वारा हुए नुक्सान के लिए।	एक वर्ष	जब पशु अतिचार द्वारा नुक्सान हुआ हो।

अनुसची–5
(धारा 127 देखें)

पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए शपथ का प्ररूप।

मैं...
(नाम)

ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं

(पंचायत का नाम) पद का नाम)

रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।